


सर्व शिक्षा अभियान
(SARVA SHIKSHA ABHIYAN)
TEHRI GARHWAL




वार्षिक कार्य योजना एवं बजट
(Annual Work Plan & Budget, S.S.A.)

2004 - 2005

जिला परियोजना कार्यालय, (डी०पी०ई०पी० / एस०एस०ए०),
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

सर्व शिक्षा अभियान टिहरी गढ़वाल



अनुक्रमणिका

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट २००४-२००५

अध्याय	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1	जनपद टिहरी गढ़वाल परिचय, शैक्षिक परिदृश्य	02	28
2	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम—।।। उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियाँ	29	44
3	सर्व शिक्षा अभियान(एस०एस०ए०) उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियाँ	45	48
4	परियोजना की अध्यतन प्रगति एवं आगे जारी रखे गये कार्यों की योजना एवं बजट तालिकाएं- 'ए' व 'बी' एवं 'बी-१'	49	57
5	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	58	68
6	योजना निर्माण-प्रक्रिया	69	70
7	परियोजना क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण	71	72
8	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २००२-२००३, बजट तालिकाएं- 'सी', 'डी' व 'ई' एवं संलग्नक	73	89

अध्याय - एक

जनपद टिहरी गढ़वाल - परिचय

१. ऐतिहासिक परिदृश्य

महा-हिमालय में कुर्मचंल, नेपाल, केदार, जालन्धर एवं कश्मीर पाँच खण्ड हैं। इन पाँच प्रमुख खण्डों में से केदार खण्ड उत्तरी अक्षांस 31.8 तथा देशान्तर 80.6 के मध्य स्थित है। इस खण्ड की वामावर्त यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री धामों की यात्रा मार्गों में भागीरथी, भिलंगना के सगम पर अवस्थित टिहरी (गणेश-प्रयाग) की प्रसिद्धि अपनी पावनता और दिव्यता के लिए अति प्राचीन काल से है। उत्तरांचल के गढ़वाल वाले भाग में सन् 688 में कनकपाल चांदपुर गढ़ के महाराज बने। 14 वीं सदी तक इस क्षेत्र में 52 गढ़ थे जहां से कत्यूरी राजाओं ने अपना-अपना राज-काज चलाया। 15 वीं सदी में अजयपाल बड़े प्रतापी राजा हुए, उन्होंने सारे गढ़ों को अपने राज्य में मिला कर गढ़वाल राजवंश की नीव डाली। तभी से इस क्षे. का नाम गढ़वाल पड़ा। प्रारम्भ में उन्होंने 'देवलगढ़' को अपनी राजधानी बनाया कुछ समय बाद उसे श्रीनगर स्थानान्तरित कर दिया। गोरखों के गढ़वाल आक्रमण के पश्चात तत्कालीन राजा के साथ हुई संधि के अनुसार सन् 1815 में अंग्रेजों ने टिहरी रियासत सुदर्शन शाह को प्रदान की व शेष गढ़वाल इपने अधीन कर लिया। गयी। इसे टिहरी रियासत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर पंवार वंश के शासकों का आधिपत्य रहा है। जनक्रान्ति के फलस्तरूप 1 अगस्त सन् 1949 ई० को इसे संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में सम्मिलित किया गया।

२. भौगोलिक परिदृश्य

क. स्थिति एवं विस्तार

टिहरी नवगठित उत्तरांचल राज्य का एक मुख्य जनपद है। यह जनपद 30°-3'-10'' से 30°-52'-41'' उत्तरी अक्षांस तथा 78°-8'-45'' से 79°-2'-45'' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जनपद के उत्तर में उत्तरकाशी दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल पूर्व में रुद्रप्रयाग तथा पश्चिम में उत्तरांचल की अंतरिम राजधानी देहरादून स्थित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3796 वर्ग किमी है। टिहरी गढ़वाल गगनचुम्बी चोटियों, पहाड़ी ढलानों, बुग्यालों, तालों और घाटियों का सुरम्य क्षेत्र है। भागीरथी, भिलंगना और गंगा प्रमुख नदियां हैं जिनमें जलकूर, बालगंगा, धर्मगंगा, हेवल आदि सहायक नदियां समाहित होती हैं। वर्तमान में एशिया का सर्वाधिक ऊँचा (360.5 मी.) बॉध बनाया जा रहा है। जिसके कारण ऐतिहासिक टिहरी नगर जलमग्न हो जायेगा। इसके रथान पर बॉध के निकट नया टिहरी नगर बसाया गया है जो कि जनपद का मुख्यालय है। जनपद की अधिकांश भाग पहाड़ी है।

खा. जलवायु

जनपद की जलवायु इसके असमान उच्चावचन समुद्र तल से ऊंचाई एवं इसके क्षेत्रफल से प्रभावित होती है। ऊंचे पहाड़ी भागों में अत्यधिक ठंड एवं घाटी वाले भागों में उष्ण जलवायु पाई जाती है। जनपद में बर्षा भर 60 सेमी. से 250 सेमी. तक वर्षा होती है। जनपद में सामान्यतः तीन मौसम हैं:-

- जाड़ा—मध्य अक्तूबर से मध्य मार्च तक (जो स्थानीय बोली में 'हयूंद' के नाम से जाना जाता है)।
- गर्मी—मध्य फरवरी से मध्य जून तक (जो स्थानीय बोली में रुड़ी नाम से जाना जाता है)।
- बर्षा—मध्य जून से मध्य अक्तूबर तक (जो स्थानीय बोली में बसकाल के नाम से जाना जाता है)।

३. जनपद का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

यहाँ की अधिकांश (93.48 प्रतिशत) जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ के निवासियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राज्य के अन्य जनपदों के समान है। जौनपुर विकास खण्ड की संस्कृति पर देहरादून के जनजाति क्षेत्र जौनसार से प्रभावित है। यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। देश के कोने-कोने से पावन धार्मों की यात्रा के लिए आये लोगों को यहाँ की पर्वत श्रेणियों, नदियों, सिद्धपीठ और प्राकृतिक सौन्दर्य ने अभिभूत कर दिया और उनमें से कुछ लोग यहाँ बस गये, कुछ साधनारत हो गये। यहाँ पर बहुसंख्या हिन्दू धर्मावलम्बियों की है। अल्प रूप में मुसलमान, सिक्ख, इसाई, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं।

संयुक्त परिवार प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित है किन्तु वर्तमान भौतिक परिवेश से प्रभावित होकर एकल परिवार व्यवस्था भी विकसित होने लगी है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अवसर प्रदान किये जाते हैं। मैलों, उत्सवों एवं विवाह आदि सांस्कृतिक पर्वों पर ढोल, दमाऊ, हुड़का, रणसिंगा, सिणई आदि वाद्ययत्रों की थाप पर लोग पाण्डव, थड़या, चौफुला, झुमेलो, डोल आदि में लोक नृत्यों के माध्यम से अपने उल्लास एवं आनन्द की अभिव्यक्ति करते हैं। यातायात तथा संचार साधनों एवं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ यहाँ का सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश आधुनिकता की ओर अग्रसर है।

जनपद में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ग्रामीण क्षेत्रों में गढ़वाली (पहाड़ी) बोली बोली जाती है। यहाँ का मुख्य पहनावा महिलाओं द्वारा धोती-ब्लाउज, सलवार-कुर्ता के साथ-साथ घाघरा व चोली एवं पुरुषों द्वारा कुर्ता-पजामा, पैंट-शर्ट या धोती-कुर्ता पहना जाता है।

४. जनपद का आर्थिक परिदृश्य क-व्यावसायिक संरचना

जनपद की आर्थिकी का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के साथ-साथ बागवानी व पशुपालन भी एक व्यवसाय है। जनपद की कुल कार्यशील जनसंख्या का 77.92 प्रतिशत कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। कृषि मजदूर के रूप में 1.01 प्रतिशत व अन्य प्राथमिक-व्यवसयों में 2.80 प्रतिशत जनसंख्या लगी है।

क्र०स०	वर्ग	कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
1	कृषि कार्य	77.92
2	कृषि मजदूर	1.01
3	अन्य प्राथमिक व्यवसाय	2.80
4	खनन एवं उदयोग	0.05
5	निर्माण	4.20
6	व्यापार व वाणिज्य	2.82
7	परिवहन एवं संचार	1.10
8	अन्य	10.10

स्रोत— जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

खा-भूमि उपयोग

जनपद का बहुत बड़ा भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कुल क्षेत्र के 69.52 प्रतिशत भाग पर वन है। मात्र 12.76 प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है।

क्र०स०	वर्ग	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	वन	69.52
2	चारागाह	2.56
3	झाड़ियां	0.11
4	शुद्ध योया गया क्षेत्र	12.76
5	गैर कृषि कार्यों में	1.41
6	परती आदि	12.25
7	बंजर	1.39

स्रोत— जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका 1996

ग-जनपद में कृषि

कृषि जनपद का मुख्य व्यवसाय है। खरीफ व रबी यहाँ की प्रमुख फसल है। चावल, गेहूँ मंडुवा, झंगोरा व जौ मुख्य खाद्य फसल है। आलू, मक्की, तंबाकू भी यहाँ पर उगाया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र का 19.47 प्रतिशत भाग ही सिंचित है। दलहन में उड्ढद, मसूर, चना, मटर व तोर जबकि तिलहन फसलों में सरसों, तिल व सोयाबीन मुख्य फसल हैं।

५. उपलब्ध संसाधन

क- प्राकृतिक संसाधन

१. वनाधारित संसाधन – प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी, पशुचारा, इमारती लकड़ी, बनौषधि—पादप उपलब्ध है। जनपद का 69.52 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है। यहाँ पर साल, हल्दू, खेर, शीशम, बांस से लेकर पाइन, देवदार, बांज, बुरास, खर्सू, मौरु से लेकर घास के भाग सम्मिलित है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में विविधता पाई जाती है। अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में बुग्याल (छोटी नरम घास), काई मिलती है। वनों का उपयोग ईधन एवं भवन निर्माण में किया जाता है।

क्र०स०	क्षेत्र	ऊंचाई	प्रमुख वृक्ष
1	उपोष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन	1200 मी० से कम	साल, हल्दू, खेर, शीशम, बांस
2	समशीतोष्ण कटिबन्धीय वन	1200 – 1800 मी०	चीड़, देवदार, कैल आदि
3	उप-अल्पाइन	1800 – 3000 मी०	बांज, बुरास, खर्सू, मौरु, रिंगाल आदि
4	अल्पाइन	3000 – 4500 मी०	बर्च, लिचेन, बुग्याल आदि

२. जलाधारित संसाधन – जनपद में कई छोटे-छोटे गाड़ हैं, जो बाद में बड़ी नदियों में मिलं जाते हैं। अलकनन्दा, भागीरथी, भिलंगना, बालगंगा, यमुना आदि प्रमुख नदियाँ हैं। जनपद की नदियों के जल का उपयोग उनके गहरी घाटियों में बहने के कारण नहीं हो पाता है। भविष्य में नदियों पर छोटे-छोटे बांध बनाकर इनका उपयोग जलविद्युत सिंचाई एवं पेयजल के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में भागीरथी पर टिहरी जलविद्युत परियोजना निर्मित है। भविष्य में छोटे-बड़े बांध बनाकर जहाँ सिंचाई के लिए सुविधाओं का विकास किया जा सकता है वहीं विद्युत उत्पादित करके आकर्षण राजरथ जुटाया जा सकता है।

३. खानिक सम्पदा – जनपद के कई भागों में तांबा, शीशा, सोना, जस्ता, सल्फर के भंडार हैं जिनका सदुपयोग संचार तथा परिवहन साधनों के न होने से नहीं हो पा रहा है।

खा- मानव निर्मित संसाधन

१-परिवहन व संचार सुविधाएँ – जनपद सड़क यातायात से जुड़ा हुआ है। सभी विकास खण्ड मुख्यालय पक्की सड़कों से जुड़े हैं। 1994–95 में कुल सड़कों की लम्बाई 1640 किमी० थी। जिसमें से 1576 किमी० मार्ग पक्का था। 1153 गाँव सड़कों से जुड़े हैं। 1994–95 में 1273 किमी० सड़क लोक निर्माण विभाग व 268 किमी० डी.जी.बी.आर. के अन्तर्गत हैं। जनपद से दो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनमें से एक ऋषिकेश – गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दूसरा ऋषिकेश – बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। जनपद में 1994–95 तक 287 डाकघर व 64 टेलीग्राफ आफिस थे। जनपद में सुदूर गांवों तक दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है।

२-विद्युत व्यवस्था – जनपद में 1994–95 में कुल 76 प्रतिशत गाँव विद्युतीकृत थे। परन्तु विद्युत व्यवस्था चुरता-दुररक्त नहीं है। अधिकतर बिजली गायब ही रहती है। विद्युत आपूर्ति अनिमियत व दोषपूर्ण है। जनपद में विद्युत का प्रमुख उपयोग घरेलू कार्यों हेतु किया जाता है।

३-बैंकिंग व्यवस्था – जनपद में 40 राष्ट्रीयकृत बैंक 22 सहकारी व 23 ग्रामीण बैंक हैं।

४-पेयजल योजना – जनपद में पेयजल व्यवस्था जल निगम व जल संस्थान द्वारा संचालित है। नगरीय क्षेत्रों से पेयजल व्यवस्था पाइप लाइन के माध्यम से की गई है। जनपद के अधिकतर गाँवों में पाइप लाइनें बिछा दी गयी हैं परन्तु पेयजल व्यवस्था सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परम्परागत तरीके से कई किमी से पैदल चलकर सिर पर पानी लाना पड़ता है।

५-उद्योग-धर्थे – जनपद में उद्योग धर्थों का विकास ना के बराबर हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में टोकरी बुनना, रस्सी बनाना, कंडे बनाना, टाट-पट्टी बनाना आदि कुटीर उद्योगों का विकास बहुत छोटे स्तर पर हुआ है। जनपद के ढालवाला क्षेत्र में सरिया एवं एंगिल बनाने के उद्योगों का विकास हुआ है। **६-चिकित्सालय** – जनपद के प्रत्येक विकासखंड में प्राथमिक स्वारथ्य केंद्र स्थापित हैं। परन्तु उनमें चिकित्सकों का अभाव है। इसके अतिरिक्त सुमन जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर एवं संयुक्त चिकित्सालय नई टिहरी हैं।

७ - प्रमुख पर्यटन स्थल – जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में चंद्रबदनी, सुरकंडा देवी, कुंजापुरी, सेम-मुखेम, खैट-पर्वत, थाती (बुढ़ाकेदार), किलकिलेश्वर महादेव (चौरास), बेलेश्वर महादेव (भिलंगना), कोटेश्वर बांध महादेव (नरेंद्रनगर) तपोवन, देवप्रयाग आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल एवं धनोलटी, घुत्तू केम्टीफाल, सहस्रताल, महासरताल, पांतली कांठा, शिवपुरी, कौड़ियाल, नरेंद्रनगर, चम्बा, खतलिंग ग्लेशियर, लोयल की शिवगुफा, टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

६. जनपद का प्रशासनिक परिदृश्य

टिहरी जनपद में पाँच तहसीले नरेन्द्रनगर, टिहरी, प्रतापनगर, देवप्रयाग व धनसाली तथा नौ विकासखंड हैं। जनपद में कुल 76 न्याय पंचायते हैं। सम्पूर्ण जनपद में कुल 762 ग्राम पंचायते हैं। कुल गाँवों की संख्या 1847 है जिनमें से 14 वनग्राम, 1778 आबाद राजस्व ग्राम व 55 गैर आबाद राजस्व ग्राम हैं। जनपद में दो नगरपालिकाएं (टिहरी व नरेन्द्रनगर) एवं 4 टाउन एरिया (मुनीकीरेती, देवप्रयाग, कीर्तिनगर व चम्बा) हैं।

क्र०स०	विवरण	संख्या
1	जनपद में तहसीलों की संख्या	5
2	जनपद में उपतहसीलों की संख्या	2
3	जनपद में विकास खंडों की संख्या	9
4	जनपद में नगरपालिकाओं की संख्या	2
5	जनपद में नगरपंचायतों की संख्या	4
6	जनपद में न्यायपंचायतों की संख्या	76
7	जनपद में ग्रामपंचायतों की संख्या	928
8	जनपद में गाँवों की संख्या	1847

स्रोत—जिला सांख्यिकी हरत पुस्तिका 1996

जनपद में ड्लाकवार संख्या

क्र०स०	ड्लाक का नाम	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	राज० ग्राम	बसितयाँ	नगर क्षेत्र
1	भिलंगना	11	170	262	409	0
2	चम्बा	8	91	214	250	2
3	देवप्रयाग	10	106	258	321	1
4	जाखणीधार	7	86	149	199	0
5	जौनपुर	10	111	253	326	0
6	कीर्तिनगर	8	81	155	269	1
7	नरेन्द्रनगर	8	103	213	376	2
8	प्रतापनगर	8	95	118	161	0
9	थौलधार	6	85	173	197	0
योग		76	928	1795	2508	6

स्रोत—परिवार सर्वेक्षण 2002

७. जनपद की जनसंख्या का परिदृश्य

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनपद की कुल जनसंख्या 604608 है। जिसमें से 294842 पुरुष एवं 309766 महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या का 51.23 प्रतिशत महिलाएं हैं। जनपद लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1051 महिलाएं हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 16.15 है। जनपद में प्रति वर्ग किमी 148 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे अंकित तालिका में स्पष्ट है—

जनसंख्या—२००१

क्र०स०	विवरण	संख्या	
		1991	2001
1	जनपद की कुल जनसंख्या	520256	604608
क	पुरुष जनसंख्या	256315	294842
ख	महिला जनसंख्या	263941	309766
2	जनपद की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर	16 ^ए 59	16 ^ए 15
3	जनपद का लिंगानुपात (1000पुरुषों पर महिलाएं) —	1048	1051
4	जनपद में जनसंख्या का घनत्व/वर्ग किमी	128	148
5	जनपद की कुल साक्षरता	48 ^ए 46:	67 ^ए 04: 340878
क	पुरुष साक्षरता	72 ^ए 09:	85 ^ए 62: 209806
ख	महिला साक्षरता	26 ^ए 31:	49 ^ए 76: 131072

स्रोत—जनगणना 1991 एवं 2001।

जनपद की तुलनात्मक जनसंख्या-२००१

क्र०स०	विवरण	भारत	उत्तरांचल	टिहरी
1	कुल जनसंख्या	1027015247	8479562	604608
क	पुरुष जनसंख्या	531277078	4316401	294842
ख	महिला जनसंख्या	495738169	4163161	309766
2	जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर	21‰34	19‰20	16‰15
3	लिंगानुपात (1000 पुरुषों पर महिलाएँ)-	933	964	1051
4	जनसंख्या का घनत्व /वर्ग किमी	324	159	148
5	कुल साक्षरता	65‰38	72‰28	67‰04: 340878
क	पुरुष साक्षरता		84‰01	85‰62: 209806
ख	महिला साक्षरता		60‰26	49‰76: 131072

स्रोत-जनगणना 2001।

जनपद की जनसंख्या - १९९१ एवं २००१

क्र०स०	विवरण	संख्या	
		1991	2001
1	जनपद की कुल जनसंख्या	520256	604608
क	पुरुष जनसंख्या	256315	294842
ख	महिला जनसंख्या	263941	309766
1	जनपद की कुल ग्रामीण जनसंख्या	486361	546133
क	पुरुष जनसंख्या	234649	259078
ख	महिला जनसंख्या	251712	287055
1	जनपद की कुल शहरी जनसंख्या	32895	58475
क	पुरुष जनसंख्या	21045	35764
ख	महिला जनसंख्या	11850	22711
1	जनपद की कुल बनक्षेत्र जनसंख्या	1000	
क	पुरुष जनसंख्या	621	
ख	महिला जनसंख्या	379	

स्रोत-जनगणना 1991 एवं 2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की 93.48 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी वर्ष 2001 में घटकर 90.33 प्रतिशत हो गयी। जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.33 प्रतिशत से बढ़ कर 9.67 प्रतिशत हो गयी।

जनपद की छलाक्खार जनसंख्या - १९९१

विकास क्षेत्र	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
भिलंगना	42253	47535	90788	7462	8242	15704	8	1	09
चम्बा	24854	26834	51688	2312	2331	4643	85	29	114
देवप्रयाग	24072	27430	51502	3557	3613	7170	33	32	65
जाखणीधार	34360	31945	66305	4168	3910	8078	38	17	55
जौनपुर	25497	24840	50337	4845	4643	9888	56	255	311
कीर्तिनगर	20146	21334	41480	3102	3212	6314	—	—	---
नरेन्द्रनगर	35720	34312	70032	3815	3444	72659	5	0	00
प्रतापनगर	25458	27393	52851	3306	3334	6640	—	—	---
थौलधार	21909	22364	44273	3681	3603	7284	32	14	46
वनक्षेत्र	621	379	1000	—	—	—	—	—	---
योग	25631	26394	52025	36248	36332	72580	257	348	605
	5	1	6						

स्रोत-जनगणना 1991

जनपद की छलाक्खार जनसंख्या-2001

क्र० स०	विकास क्षेत्र	कुल जनसंख्या			प्रतिशत		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	भिलंगना	103002	0	103002	18.86	0	17.03
2	चम्बा	60441	32004	92445	11.07	54.73	15.29
3	देवप्रयाग	54224	1550	55774	09.93	02.65	09.22
4	जाखणीधार	52278	0	52278	09.57	0	08.65
5	जौनपुर	58862	0	58862	10.78	0	09.74
6	कीर्तिनगर	44425	1040	45465	08.13	01.78	07.52
7	नरेन्द्रनगर	61170	23881	85051	11.20	40.84	14.07
8	प्रतापनगर	59961	0	59961	10.98	0	09.92
9	थौलधार	51770	0	51770	09.48	0	08.56
	योग	546133	58475	604608	100.00	100.00	100.00

जनपद में विकास क्षेत्रवार संकेतकांक - १९९१

क्र० स०	विकास क्षेत्र	जनसंख्या	अ०जा० जनसंख्या प्रतिशत	अ०जा०जा० जनसंख्या प्रतिशत	जन घनत्व	साक्षरता दर
1	भिलंगना	90788	17.29	.009	49	30.54
2	चम्बा	51688	8.98	.22	116	45.93
3	देवप्रयाग	51502	13.92	.126	117	39.42
4	जाखणीधार	66305	12.18	.08	192	45.72
5	जौनपुर	50337	18.84	.617	104	30.83
6	कीर्तिनगर	41480	15.22	--	284	56.46
7	नरेन्द्रनगर	70032	10.36	.007	247	42.18
8	प्रतापनगर	52851	12.56	--	229	35.04
9	थौलधार	44273	16.45	.1	211	38.38
	वनक्षेत्र	1000	--	--	--	52.60
	योग	520256	13.95	0.116	128	48.46

स्रोत-जनगणना 1991

६. जनपद का शैक्षणिक परिदृश्य

क. साक्षरता

साक्षरता का विकास से सीधा संबंध हाता है। 1901 में जनपद की कुल 2.2 प्रतिशत जनसंख्या ही साक्षर थी। जनपद में 1991 में साक्षरता का प्रतिशत 48.46 है। जो 2001 में बढ़कर 67.04 हो गया। 2001 में जहाँ जनपद की पुरुष साक्षरता 85.62 प्रतिशत है वहीं दूसरी ओर महिला साक्षरता दर इसकी आधी 49.76 प्रतिशत है।

वर्ष	साक्षरता		
	पुरुष	महिला	योग
1991	72.09	26.31	48.46
2001	85.62	49.76	67.04

स्रोत – जनगणना 2001.

वर्ष	कुल जनसंख्या			कुल साक्षर जनसंख्या		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
2001	294842	309766	604608	209806	131072	340878

स्रोत – जनगणना 2001.

विकास क्षेत्रवार साक्षरता दर – १९९१

क्र०स०	विकास क्षेत्र	जनसंख्या	साक्षरता दर
1	भिलंगना	90788	30.54
2	चम्बा	51688	45.93
3	देवप्रयाग	51502	39.42
4	जाखणीधार	66305	45.72
5	जौनपुर	50337	30.83
6	कीर्तिनगर	41480	56.46
7	नरेन्द्रनगर	70032	42.18
8	प्रतापनगर	52851	35.04
9	थौलधार	44273	38.38
	वनक्षेत्र	1000	52.60
	योग	520256	48.46

स्रोत–जनगणना 1991.

खा. रियासत काल और वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था

सामन्तशाही शासन व्यवस्था एवं विषम भौगोलिक स्थिति के कारण लोगों का शैक्षिक विकास अवरुद्ध रहा है। महाराजा भवानी शाह के समय (1859–71) जनपद में प्रथम संरकृत पाठशाला खुली जो जनपद का पहला शैक्षणिक संस्थान था। महाराजा प्रतापशाह ने सन् 1875 में टिहरी में प्रताप हाईस्कूल खोला। 1907 में कुल प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 5 थी। तभी 1880–81 में इनकी संख्या गात तीन थी। जो 1935 में 260 हो गई। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कानूनिकारी परिवर्तन हुआ।

क्र०स०	विवरण	वर्तमान स्थिति	रियासतकाल में
1	प्राथमिक विद्यालय	1291	300
2	जूहाईस्कूल	340	41
3	हाईस्कूल	66	4
4	इंटर कॉलेज	112	1
5	नवोदय विद्यालय	1	—
6	केन्द्रीय विद्यालय	1	—
7	महाविद्यालय	9	0
8	प्राविधिक राजस्था	1	—
9	औद्योगिक संस्थान	6	—

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी, टिंगो 2002–2003.

ग. जनपद में शैक्षणिक संस्थाओं की वर्तमान स्थिति

क्र०स०	विद्यालय	प्रकार	कक्षाएं	संख्या
1	प्राथमिक विद्यालय	परिषदीय	1–5	1291
		मान्यताप्राप्त	1–5	216
		विद्याकेन्द्र	1–2	226
		वैकल्पिक शिक्षा केंद्र	1–5	14
2	आदर्श विद्यालय	राजकीय	1–5	8
		राजकीय	6–8	7
3	जूनियर हाईस्कूल	परिषदीय	6–8	340
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6–8	12
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6–8	51
4	हाईस्कूल	राजकीय	6–10	42
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6–10	5
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6–10	2
		राजकीय	9–10	17
5	इंटरमीडिएट कॉलेज	मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	9–10	1
		राजकीय	6–12	97
		मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	6–12	12
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6–12	1
		राजकीय	9–12	1
6	केन्द्रीय विद्यालय	मान्यताप्राप्त(वित्तसहित)	9–12	1
		राजकीय	6–12	1
		मान्यताप्राप्त(वित्तविहीन)	6–12	1
		राजकीय	1–12	1
7	नवोदय विद्यालय		6–12	1

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी, टिंगो 2003–2004.

१. ६-११ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में 1755 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें 1 से 2 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्राकिंत तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

जनपद में ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

(जहाँ कक्षा १ से कक्षा ५ तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1291	15 वर्ष 2003-04 में खुले.
2	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	216	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	8	
4	विद्या केंद्र	226	
5	वैकल्पिक शिक्षा केंद्र	14	
	योग	1755	

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-2004.

२. ११-१४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में 571 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें 6 से 8 या 6 से 10 या 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्राकिंत तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

जनपद में ११ से १४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

(जहाँ कक्षा ६ से कक्षा ८ तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
1	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	340	37 वर्ष 2003-04 में खुले.
2	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त सहित)	12	
3	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त विहिन)	51	
4	राजकीय आदर्श विद्यालय	7	
5	राजकीय हाईस्कूल	42	
6	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त विहिन)	02	
7	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त सहित)	05	
8	राजकीय इण्टर कालेज	97	
9	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त सहित)	12	
10	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त विहिन)	01	
11	केन्द्रीय विद्यालय	01	
12	नवोदय विद्यालय	01	
	योग	571	

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-2004

घा. जनपद का छात्र-नामांकन परिदृश्य
जनपद में ०६ से १४ वय वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति
१. आयुवार नामांकन

क. ६ से ११ वय वर्ग

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 91897 है, जिसमें से 91587 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 310 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 204 है।

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय न जाने वाले			जी०इ०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2003-04	46845	45052	91897	106	204	310	99.77	99.55	99.66

स्रोत— हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

खा. ११ से १४ वय वर्ग

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 52206 है, जिसमें से 51762 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 444 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 317 है।

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय न जाने वाले			जी०इ०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2003-04	26612	25594	52206	127	317	444	99.52	98.76	99.15

स्रोत— हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

वर्ष 2003- 2004 में जनपद का जी०इ०आर० निम्नवत था —

जी०इ०आर० – २००३-०४

वय वर्ग	कुल बच्चे			जी०इ०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	46845	45052	91897	107.00	110.95	108.94
11-14	26612	25594	52206	83.70	83.83	83.76

स्रोत— हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

कुल नामांकन (एन०ई०आर०)

वर्ष	एन०ई०आर०			एन०ई०आर०		
	कुल नामांकन अनुपात ६-११ वय वर्ग			कुल नामांकन अनुपात ११-१४ वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	९३.८८	९१.००	९२.४६			
2000-2001	९५.७५	९३.८७	९४.८२	९६.४२	९१.६२	९४.११
2001-2002	९९.००	९८.१२	९८.५७	९७.५९	९५.००	९६.३४
2002-2003	९९.२५	९८.७०	९८.९८	९८.३७	९५.५८	९७.०१
2003-2004	९९.७७	९९.५५	९९.६६	९९.५२	९८.७६	९९.१५

स्रोत— बेसिक शिक्षा अधिकारी टिंगो.

सकल नामांकन (जी०ई०आर०)

वर्ष	जी०ई०आर०			जी०ई०आर०		
	कुल नामांकन अनुपात ६-११ वय वर्ग			कुल नामांकन अनुपात ११-१४ वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	९५.५६	९८.५५	९७.०२			
2000-2001	९७.०२	९९.६२	९८.२९	९६.४२	९१.६२	९४.११
2001-2002	१०८.११	१११.६०	१०९.८४	९७.४२	९५.३९	९६.४४
2002-2003	१०४.८१	१०९.२३	१०६.९९	८३.८९	८४.४१	८४.१४
2003-2004	१०७.००	११०.९५	१०८.९४	८३.७०	८३.८३	८३.७६

स्रोत— बेसिक शिक्षा अधिकारी टिंगो.

२. कक्षावार नामांकन २००२-०३

क.१. कक्षावार छात्रसंख्या (प्राथमिक स्तर)

निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है कि ८०.२२ प्रतिशत बच्चे परिषदीय प्राठ०वि०, रा०आ०वि० या विद्या केन्द्रों में तथा १९.७८ प्रतिशत बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत हैं। बालिकाओं के मामले में सरकारी विद्यालयों में कुल बालिकाओं की ८५.०१ प्रतिशत बालिकाएं नामांकित हैं जबकि १४.९९ प्रतिशत बालिकाएं एवं २४.५६ प्रतिशत बालक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। परिषदीय प्राठ०वि० में प्रति विद्यालय ५९.५६ बच्चे पढ़ते हैं।

विद्यालयवार छात्र संख्या (प्राथमिक स्तर)

Sl. No.	Type of School	Total Number	Children enrolled (30-Sept. 2003)		
			Boys	Girls	Total
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	१२९१	३५७२०	४०२७८	७५९९८
2	माडल स्कूल प्राथमिक	१०	३३४	३३४	६६८
3	विद्याकेन्द्र	२२६	१७६२	१८८१	३६४३
4	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	२१६	१२३०८	७४९२	१९८००
Total			५०१२४	४९९८५	१००१०९

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी टिंगो २००३-२००४।

क्र०स०	विद्यालय	कुल छात्र			प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	सरकारी विद्यालय	37816	42493	80309	75.44	85.01	80.22
2	मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय	12308	7492	19800	24.56	14.99	19.78
	योग	50124	49985	100109	100.00	100.00	100.00

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी,टिओगो 2003-2004।

निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 32.07 प्रतिशत कक्षा एक में व 18.99 प्रतिशत भाग कक्षा 2 में, 17.62 प्रतिशत भाग कक्षा 3 में, 16.26 प्रतिशत कक्षा 4 में, 15.06 प्रतिशत छात्र कक्षा 5 में अध्ययनरत है। कुल छात्र संख्या में 49.93 प्रतिशत भाग छात्राओं का है।

कक्षावार छात्रसंख्या (३० सितंबर २००४)

कक्षा	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	16279	15825	32104	32.07
2	9507	9510	19017	18.99
3	8774	8869	17643	17.62
4	7989	8284	16273	16.26
5	7575	7497	15072	15.06
योग	50124	49985	100109	100.00

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी,टिओगो 2003-2004।

जनपद का छात्र नामांकन वर्षावार (प्राथमिक स्तर)

क्र०	वर्ष	छात्र नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
1	1999-2000	48389	48453	96842
2	2000-2001	49442	48890	98332
3	2001-2002	49291	49916	99207
4	2002-2003	49263	49981	99244
5	2003-2004	50124	49985	100109

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी,टिओगो 2003-2004।

ब्लाक्वार प्रति विद्यालय छात्र-अनुपात प्राथमिक स्तर २००२-०३

क्र०	विंक्षे०	कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	कुल परिषदीय की छात्र संख्या	प्रति विद्यालय छात्र संख्या
1	भिलंगना	216	15522	71.86
2	चम्बा	124	5882	47.44
3	देवप्रयाग	137	6753	49.29
4	जाखणीधार	121	6465	53.43
5	जौनपुर	169	9928	58.75
6	कीर्तिनगर	124	4987	40.23
7	नरेन्द्रनगर	149	10745	72.11
8	प्रतापनगर	131	9307	71.05
9	थौलधार	120	6409	53.41
	योग	1291	75998	58.87

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी,टिओगो 2003-2004.

क.२. कक्षावार छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

जनपद में संचालित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में कुल छात्र संख्या 43729 है। परिषदीय उच्च प्राथमिक में प्रति विद्यालय 54.92 बच्चे पढ़ते हैं। अग्राकित तालिका से कक्षावार नामांकन की स्थिति स्पष्ट है—

दूनियर स्तर विद्यालयवार छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

Sl. No.	Type of School	Total Number	Children enrolled (30-Sept. 2003)		
			Boys	Girls	Total
1	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	340	7830	8811	16641
2	आदर्श स्कूल(जू0हा0)	29	416	434	850
3	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल	62	3244	2155	5399
4	माध्यमिक विद्यालय(हाई0 व इंटर)	148	10748	10055	20839
Total			22274	21455	43729

कक्षावार छात्रसंख्या (३० सितंबर २००३)

क्र.	विद्यालय	कक्षा-६		कक्षा-७		कक्षा-८		योग		
		बाल	बालि	बाल	बालिक	बाल	बालिक	बाल	बालि	योग
1.	जू0हा0	4023	3897	3813	3820	3654	3683	11490	11400	22890
2.	हा0व इ0का0	3933	3520	3442	3354	3409	3181	10784	10055	20839
	योग	7956	7417	7255	7174	7063	6864	22274	21455	43729

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिठियोनिरीक्षक टिठो 2003-2004।

जनपद का छात्र नामांकन वर्षावार (उच्च प्राथमिक स्तर)

क्र०	वर्ष	छात्र नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
1	2001-2002	21218	19395	40613
2	2002-2003	20893	19929	40822
3	2003-2004	22274	21455	43729

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिठियोनिरीक्षक टिठो 2003-2004।

लाकवार प्रति विद्यालय छात्र-अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर २००२-०३

क्र०	विठ्ठो०	कुल परिषदीय उच्चा प्राथमिक विद्यालय	कुल परिठो०प्रा०विठ० की छात्र संख्या	प्रति विद्यालय छात्र संख्या
1	मिलंगना	59	3403	57.69
2	चम्बा	31	1261	40.68
3	देवप्रयाग	34	1422	41.82
4	जाखणीधार	36	1781	49.47
5	जौनपुर	46	2035	44.24
6	कीर्तिनगर	26	986	38.00
7	नरेन्द्रनगर	42	2446	58.24
8	प्रतापनगर	34	1906	56.06
9	थौलधार	32	1401	43.78
	योग	340	16641	48.94

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी, टिठो 2003-2004.

खा. जातिवार नामांकन

जनपद में वर्ष 2003-04 में कक्षा 1 से 5 तक के कुल नामांकन 100109 में जातिवार नामांकन की स्थिति निम्नवत है-

१. छात्रसंख्या (प्राथमिक स्तर)

वर्ग	कुल पंजीकृत छात्र			तुलनात्मक		प्रतिशत
	बालक	बालिका	योग	2003-2004	2002-2003	
सामान्य	39398	39339	78737	78.65	78.73	
अनु०जा०	9984	9946	19930	19.91	19.88	
अनु०जन०जा०	23	16	39	.04	.02	
पि०जाति	400	390	790	.80	.88	
अल्प०सं०	306	283	589	.60	.49	
योग	50124	49985	100109	100.00	100.00	

स्रोत- विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, टिडोगो 2003-2004।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 78.65 प्रतिशत भाग सामान्य वर्ग के छात्रों का एवं 19.91 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के छात्रों का है। कुल छात्र संख्या में मात्र 0.04 प्रतिशत भाग ही अनुसूचित जनजाति के छात्रों का है।

२. छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

जनपद वर्ष 2003-04 में के कक्षा 6 से 8 तक के कुल नामांकन 43729 में जाति वार नामांकन की स्थिति निम्नवत है-

क्र.	विद्यालय	सामान्य		अनु०जाति		अनु०ज० जाति		पि०जाति	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	जू०हा०	9612	9811	1763	1466	10	7	105	116
2.	हा०व इ०का०	8684	8493	1974	1430	14	11	112	121
	योग	18296	18304	3737	2896	24	18	217	237

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिडिओनिरीक्षक टिडोगो 2003-2004।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या 43729 में से सामान्य वर्ग के 36600 विद्यार्थी, अनुसूचित जाति के 6633 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति के 42 विद्यार्थी तथा पिछड़ी जाति के कुल 454 विद्यार्थी हैं।

वर्ग	कुल पंजीकृत छात्र			तुलनात्मक		प्रतिशत
	बालक	बालिका	योग	2002-2003	2003-2004	
सामान्य	18296	18304	36600	84.48	83.70	
अनु०जा०	3737	2896	6633	14.25	15.17	
अनु०जन०जा०	24	18	42	.09	.09	
पि०जाति	217	237	454	1.18	1.04	
योग	22274	21455	43729	100.00	100.00	

स्रोत- बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिडिओनिरीक्षक टिडोगो 2003-2004।

५- छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय

क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

वर्ष 2001-02 के छात्र नामांकन के अनुसार जनपद के 1291 प्राथमिक विद्यालयों में से 163 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र नामांकन 25 से कम है। यह कुल 12.9 प्रतिशत है। जबकि 25 से 100 तक नामांकन वाले कुल विद्यालयों की संख्या 855 है, जो कुल का 67.64 प्रतिशत है। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 186 है, जो कि 14.71 प्रतिशत है। इस वर्ष खुले 72 प्राविधि में कक्षाएं संचालित नहीं हो पायी हैं। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

क्र०स०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	अनारम्भ विद्यालय	072	04.75
2	25 से कम नामांकन वाले विद्यालय	163	12.90
3	25 से 100 तक नामांकन वाले विद्यालय	855	67.64
4	100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय	186	14.71
	योग	1276 + 15	100

स्रोत—ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

निम्नांकित तालिका से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है—

क्र०स०	विवरण	नामांकन के अनुसार प्राप्त विद्यालय			
		25 से कम	25 से 100 तक	100 से अधिक	अनारम्भ
1	भिलगढ़ा	09	136	52	16
2	चम्बा	16	92	8	05
3	देवप्रयाग	21	87	17	10
4	जाखणीधार	22	80	16	04
5	जौनपुर	20	120	20	08
6	कीर्तिनगर	31	80	04	08
7	नरेन्द्रनगर	10	98	32	07
8	प्रतापनगर	14	82	27	06
9	थौलधार	20	80	10	08
	योग	163	855	186	72+15

स्रोत—ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

ख. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

वर्ष 2001-02 के छात्र नामांकन के अनुसार जनपद के 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 62 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्र नामांकन 25 से कम है। यह कुल 20.46 प्रतिशत है। जबकि 25 से 100 तक नामांकन वाले कुल विद्यालयों की संख्या 222 है, जो कुल का 73.27 प्रतिशत है। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों की संख्या 19 है, जो कि 6.27 प्रतिशत है।

निम्न तालिका से स्थिति स्पष्ट है।

क्र०स०	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	25 से कम नामांकन वाले विद्यालय	062	20.46
2	25 से 100 तक नामांकन वाले विद्यालय	222	73.27
3	100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय	019	06.27
योग		303+37	100

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

निम्नांकित तालिका से ब्लाकवार स्थिति स्पष्ट है-

क्र०स०	विंक्षे०	नामांकन के अनुसार उ० प्रा० विद्यालय		
		25 से कम	25 से 100 तक	100 से अधिक
1	भिलगना	14	30	08
2	चम्बा	04	21	02
3	देवप्रयाग	06	23	-
4	जाखणीधार	06	22	04
5	जौनपुर	14	27	1
6	कीर्तिनगर	04	20	-
7	नरेन्द्रनगर	03	34	01
8	प्रतापनगर	04	26	01
9	थौलधार	07	19	02
	योग	62	222	19

स्रोत-ई0एम0आई0एस0 2001-2002।

६. स्कूल अनुसार गाँव क- प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा

जनपद के 1778 आबाद ग्रामों में स्थित 2514 बस्तियों में 1276 परिषदीय प्रा०विद्यालय, 173 मा०प्राप्त प्रा०विद्यालय, 10 रा०आ०विद्यालय, 201 विद्या केंद्र एवं 14 वै०शि० केंद्र स्थित हैं। जनपद में 2243 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 1.00 कि०मी की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

विंक्षे०	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है)	कुल बस्तियां (जहाँ प्राथमिक शिक्षा की सुविधा १ कि०मी० से अधिक दूरी पर उपलब्ध है)	जी०ष०आ०
भिलगना	409	386	23	94.38
चम्बा	252	216	36	85.71
देवप्रयाग	322	300	22	93.17
जाखणीधार	199	177	22	88.94
जौनपुर	326	292	34	89.57
कीर्तिनगर	270	237	33	87.78
नरेन्द्रनगर	378	295	83	78.04
प्रतापनगर	161	158	03	98.14
थौलधार	197	182	15	92.38
योग	2514	2243	271	89.22

स्रोत-हाउस-होल्ड सर्वे मई-जून 2002

उक्त 271 असेवित बस्तियों में वर्ष 2002-03 में 11 एवं वर्ष 2003-2004 में 15 नए प्राथमिक विद्यालय एवं वर्ष 2003-04 में 26 विद्याकेंद्र एवं 05 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोले गए।

खा- उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा

जनपद के 1778 आबाद ग्रामों में स्थित 2514 बस्तियों में 303 परिषदीय जूनियर विद्यालय, 58 माओप्राप्त जूनियर विद्यालय, 17 राओआविद्यालय, 49 हाईस्कूल एवं 110 इण्टर कालेज स्थित हैं। जनपद में 2224 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 3.00 किमी की परिधि में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है-

विंक्षेप	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है)	कुल बस्तियां (जहाँ उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 3 किमी से अधिक दूरी पर उपलब्ध है)	जी० घ० आर०
भिलंगना	409	375	34	91.69
चम्बा	252	233	19	92.46
देवप्रयाग	322	304	18	94.41
जाखणीधार	199	170	29	85.43
जौनपुर	326	274	52	84.05
कीर्तिनगर	270	246	24	91.11
नरेन्द्रनगर	378	279	99	73.07
प्रतापनगर	161	157	04	97.52
थौलधार	197	186	11	92.39
योग	2514	2224	290	88.42

स्रोत-हाउस-होल्ड रोटी गई-जून 2002

उक्त 290 असेवित बस्तियों में वर्ष 2003-2004 में 37 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए।

7. छात्र अध्यापक अनुपात क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

जनपद में परियोजना से पूर्व कुल 886 प्र०अ० व 1917 सहायक अध्यापक के पद सृजित थे। वर्ष 2000-01 में 30, 2001-02 में 60, वर्ष 2002-03 में 11 एवं वर्ष 2003-04 में 15 प्र०अ० के पद परियोजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये। अतः जनपद में कुल प्र०अ० के सजित पदों की संख्या 1002 है। जबकि स्वीकृत 1917 स०अ० के पदों में से $30+60+11+15+90+115 = 321$ पद (116 प्र०अ० डी०पी०ई०पी० के विद्यालयों में एवं 90 पद ओ०बी०बी० के तहत जू०हा० एवं 115 पद शिक्षा-मित्र) शासनादेश के कारण रिक्त रखे गये हैं। 299 शिक्षा मित्रों के पद परियोजना द्वारा एवं 115 शिक्षा मित्रों के पद उत्तरांचल सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जनपद में अध्यापकों की स्थिति निम्नवत है—

विवरण	कुल स्वीकृत प्र०अ० पद	कुल स्वीकृत सहा०अध्या० पद	कुल स्वीकृत शिक्षा-मित्र पद
शिक्षा विभाग	886	1917	115*
डी०पी०ई०पी०	116	—	299
योग	1002	1917*	414

* $30+60+11+15=116$ पद शासनादेश के कारण रिक्त रखे गये हैं। *115 पद शिक्षा-मित्र स्वीकृत किंतु रिक्त स०अ० के पदों के विरुद्ध।

अतः जनपद में कुल स्वीकृत पद— ख1002क्ष1917.,11690115द्व414त्र3012, हुए। इस प्रकार स्वीकृत अध्यापकों की संख्या पर जनपद का छात्र-अध्यापक अनुपात 9 सितम्बर 2003 को 1: 25.23 था।

जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों स्वीकृत अध्यापकों की दर से छात्र अध्यापक अनुपात 9/2003 को 1:24.23 था। विकासखण्डवार स्थिति निम्नवत है—

जनप	कुल परि०प्रा०वि० की छात्र संख्या	अध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
ठिहरी गढवाल	75998	3012	1:25.23

लोकवार छात्र-अध्यापक अनुपात प्राथमिक स्तर २००३-०४

क्र०	वि०क्षे०	कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	कुल परि०प्रा०वि० की छात्र संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
1	भिलगना	216	15401	
2	चम्बा	124	6053	
3	देवप्रयाग	137	6881	
4	जाखणीधार	121	6582	
5	जौनपुर	169	9981	
6	कीर्तिनगर	124	5189	
7	नरेन्द्रनगर	149	10527	
8	प्रतापनगर	131	8883	
9	थोलधार	120	6205	
	योग	1291	75702	1:24.38

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी,टी०गो 2003-2004.

खा. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में कुल संचालित 340 जूनियर हाईस्कूलों में 260 प्राधानाध्यापक एवं 993 सहायक अध्यापकों के पद (871 पूर्व से एवं 122 एस०एस०ए० में) सहित कुल 1253 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 195 प्र०अ० एवं 808 स०अ० कुल 1003 अध्यापक कार्यरत हैं। 9/2003 को स्वीकृत अध्यापकों के दर पर छात्र-अध्यापक अनुपात 1:13.28 था।

विवरण	कुल स्वीकृत प्र०अ० पद	कुल स्वीकृत स०अ० पद	कुल स्वीकृत पद
शिक्षा विभाग	260	871	1131
एस०एस०ए०	—	122	122
योग	260	993	1253

9/2003 को स्वीकृत अध्यापकों के दर पर छात्र-अध्यापक अनुपात 1:13.28 था। ब्लाकवार कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्नवत है-

जनपद	कुल परिंउ०प्रा०वि० की छात्र संख्या	अध्यापकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
टिहरी गढ़वाल	16641	1253	1:13.28

ब्लाकवार प्रति विद्यालय छात्र-अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर २००२-०३

क्र०	विंक्षेप	कुल परिणामी उ०प्रा० विद्यालय	कुल परिंउ०प्रा०वि० की छात्र संख्या	छात्र-अध्यापक अनुपात
1	भिलंगना	59	3403	
2	चम्बा	31	1261	
3	देवप्रयाग	34	1422	
4	जाखणीधार	36	1781	
5	जौनपुर	46	2035	
6	कीर्तिनगर	26	986	
7	नरेन्द्रनगर	42	2446	
8	प्रतापनगर	34	1906	
9	थौलधार	32	1401	
	योग	340	16641	1:13.28

स्रोत-बेसिक शिक्षाधिकारी,टी०गो 2003-2004.

८. जनपद में भवन के अनुसार शिक्षण संस्थाएं

क. विकासखांडवार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 1755 एवं जू0हा0स्कूल स्तर की 571शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं। जिनमें प्राथमिक स्तर के 1291 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 340 परिषदीय विद्यालय हैं। भवन की उपलब्धता के अनुसार 1291 परिषदीय विद्यालय निम्नवत हैं—

डलाकवार भवन के अनुसार प्राथमिक विद्यालय

क्र० स०	विंख्या०	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भवन की स्थिति					
		भवनहीन	एककक्षीय	द्विकक्षीय	त्रि-कक्षीय	चार या चार से अधिक	योग
1	भिलंगना	—	—	199	12	2	213
2	चम्बा	—	—	106	13	2	121
3	देवप्रयाग	—	—	115	17	3	135
4	जाखणीधार	—	2	107	11	2	122
5	जौनपुर	—	—	131	37	—	168
6	कीर्तिनगर	—	—	102	19	2	123
7	नरेन्द्रनगर	1	—	114	26	6	147
8	प्रतापनगर	—	—	119	09	—	129
9	थौलधार	2	6	89	20	2	118
	योग	03*	08**	1082***	154	19	1276.15

*2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में, **6 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में एवं ***72 विद्यालय निर्माणाधीन।

स्रोत—ई0एम0आई0एस0 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल 2003–04।

जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में संचालित 1291 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 101 डी0पी0ई0पी योजनान्तर्गत खुले हैं। 90 जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण डी0पी0ई0पी योजनान्तर्गत हुआ है। वर्तमान में 99 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं, जिनका पुर्न-निर्माण आवश्यक है। 3 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनमें से 2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में हैं शेष 01 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण आवश्यक है। अग्राकिंत तालिका से विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है—

क्र०स०	विंक्षे०	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त विद्यालय
1	भिलंगना	00	09
2	चम्बा	00	14
3	देवप्रयाग	00	15
4	जाखणीधार	00	12
5	जौनपुर	00	11
6	कीर्तिनगर	00	14
7	नरेन्द्रनगर	01	07
8	प्रतापनगर	00	06
9	थौलधार	02	11
	योग	03	99

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल 2003–2004।

खा. विकासखंडवार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक प्रमुख समस्या भवन का न होना है। 46.54 प्रतिशत विद्यालयों में भवन नहीं हैं। इन 141 भवनों में 14 के भवन का निर्माण पैक्स-फैड द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में ए भवनहीन विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी या पंचायती भवनों में संचालित हैं। भवन की उपलब्धता के अनुसार 340 परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की स्थिति निम्नवत हैं—

डॉक्टर भवन के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र०स०	विकास क्षेत्र	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की भवन की स्थिति					
		भवनहीन	एक कक्षीय	द्वि कक्षीय	त्रि-कक्षीय	चार या चार से अधिक	योग
1	भिलंगना	22	—	1	18	11	52
2	चम्बा	12	—	1	07	07	27
3	देवप्रयाग	16	—	1	09	03	29
4	जाखणीधार	16	—	3	08	05	32
5	जौनपुर	14	—	1	12	15	42
6	कीर्तिनगर	15	—	—	03	06	24
7	नरेन्द्रनगर	20	—	—	08	10	38
8	प्रतापनगर	13	—	—	10	08	31
9	थोलधार	13	—	—	09	06	28
Total		141*	00	07	84	71	303+37

* 14 निर्माणाधीन पैक्स-फैड द्वारा एवं 2 ध्वरत।

स्रोत—ई0एम0आई0एस0 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वरत भवन परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

जनपद में वर्तमान में संचालित 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। 14 भवनों का निर्माण पैक्स-फैड द्वारा हो रहा है। वर्तमान में 19 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वरत हैं व जिनका पुनर्निर्माण आवश्यक है। कुल 125 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनका निर्माण आवश्यक है। वर्तमान में ए विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजी या पंचायती भवनों पर संचालित हैं। अग्राकिंत तालिका विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है—

क्र०स०	विकास क्षेत्र	भवनहीन विद्यालय	जीर्ण-शीर्ण या ध्वरत विद्यालय	निर्माणाधीन
1	भिलंगना	19	2	3
2	चम्बा	11	1	1
3	देवप्रयाग	15	1	1
4	जाखणीधार	15	3	1
5	जौनपुर	14	2	—
6	कीर्तिनगर	10	1	5
7	नरेन्द्रनगर	19	6	1
8	प्रतापनगर	10	2	2
9	थोलधार	12	1	—
	योग	125	19	14

स्रोत—बेसिक शिक्षाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

६. जनपद में विद्यालयों में सुविधाओं की उपलब्धता की

क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

जनपद में रिथत 1291 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 269 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा प्रयोग के लिए उपलब्ध है। 130 में पेयजल डी०पी०ई०पी० के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 580 है। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 342 है। क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 321 है।

क्र०स०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	580	44.93
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	269+130	30.91
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	342	27.04
4	क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालय	321	25.38

स्रोत—ई०एम०आई०एस० 2001–2002 एवं वैसिक शिक्षाधिकारी,टिप्पणी 2003–2004।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की रिथति निम्नवत है—

क्र०स०	विक्षेप	कुल स्कूल	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीड़ागान
1	भिलंगना	216	90	80	38	49
2	चम्बा	124	68	35	38	14
3	देवप्रयाग	137	71	12	27	40
4	जाखणीधार	121	52	13	41	26
5	जौनपुर	169	68	66	47	71
6	कीर्तिनगर	124	54	17	21	20
7	नरेन्द्रनगर	149	87	12	41	47
8	प्रतापनगर	131	46	22	36	24
9	थौलधार	120	44	12	53	30
	योग	1291	580	269+130	342	321

स्रोत—ई०एम०आई०एस० 2001–2002 एवं वैसिक शिक्षाधिकारी,टिप्पणी 2003–2004।

खा—उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में रिथत 340 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 62 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा प्रयोग के लिए उपलब्ध है। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 176 है। 11 में शौचालय एस०एस०ए० के अंतर्गत प्रस्तावित हैं। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 53 है। 05 में चाहर दिवारी एस०एस०ए० के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 48 है।

क्र०स०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	176+11	55.00
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	62	18.24
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	53+5	17.06
4	क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालय	48	15.84

स्रोत—ई०एम०आई०एस० 2001–2002 एवं वैसिक शिक्षाधिकारी,टिप्पणी 2003–2004।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है—

क्र०स०	विंक्षे०	कुल विद्यालय	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीड़ागान
1	भिलगना	59	30	13	09	10
2	चम्बा	31	16	8	06	00
3	देवप्रयाग	34	17	4	05	08
4	जाखणीधार	36	18	6	06	03
5	जौनपुर	46	27	14	11	12
6	कीर्तिनगर	26	13	2	02	03
7	नरेन्द्रनगर	42	20	2	04	04
8	प्रतापनगर	34	21	9	06	03
9	थौलधार	32	14	4	04	05
योग		340	176+11	62	53+5	48

स्रोत—इ०ए०आ०इ०ए० 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी,टी०गो 2003–2004।

जनपद में स्थित 303 जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 90 विद्यालय आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड योजना से आच्छादित हैं। 04 विद्यालय नवम् वित्त आयोग एवं 12 विद्यालय दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित हैं। ब्लाकवार इनकी स्थिति निम्नवत है—

क्र०स०	विंखा०	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	योजनाओं से अच्छादित विद्यालय		
			ओबीबी	नवम / दशमवित्त	योग
1	भिलगना	59	17	02	19
2	चम्बा	31	07	01	08
3	देवप्रयाग	34	08	01	09
4	जाखणीधार	36	09	04	13
5	जौनपुर	46	10	02	12
6	कीर्तिनगर	26	05	01	06
7	नरेन्द्रनगर	42	11	02	13
8	प्रतापनगर	34	13	02	15
9	थौलधार	32	10	01	11
योग		340	90	16	106

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी,टी०गो 2003–2004।

१०. जिला परियोजना कार्यालय (डी०पी०ई०पी०)

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गई है। जिला परियोजना कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण कार्य करता है, जोकि इस कार्यालय का संचालन विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से करता है। विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए जिला परियोजना कार्यालय में चार समन्वयक व एक सहायक लेखाधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। इसके साथ ही लेखाधिकारी की सहायता के लिए एक लेखाकार, एक स्टेनो व एक लिपिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

जिला परियोजना कार्यालय में एम०आई०एस० सेल की स्थापना भी की गई है। जिसमें एक कम्प्यूटर आपरेटर संविदा पर कार्यरत है। कार्यालय में कार्य करने हेतु एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है।

जिला परियोजना कार्यालय स्टाफ विवरण

क्र०सं०	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	01	01	—
2	समन्वयक	04	04	—
3	सहायक लेखाधिकारी	01	01	—
4	लेखाकार	01	01	—
5	आशुलिपिक	01	01	—
6	लिपिक	01	—	01
7	कम्प्यूटर आपरेटर	01	01	—
8	चतुर्थ श्रेणी	01	01	—

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-04।

परियोजना के कुशल संचालन हेतु जनपद के सभी विकास खण्डों में विकासखण्ड संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें एक समन्वयक तथा उनकी सहायता के लिए प्रत्येक विकासखण्ड में दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही पूरे जनपद में 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। उपरोक्त का विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	बी०आर०सी०समन्वयक	09	09	.
2	बी०आर०सी० सहसमन्वयक	18	17	.
3	एन०पी०आर०सी० समन्वयक	76	73	.

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो2003-2004।

११. जिला शिक्षा परियोजना समिति

जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना/अनुश्रवण समिति गठित है। मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के पदेन उपाध्यक्ष एवं विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदर्य सचिव हैं। इसमें पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिला परियोजना कार्यालय कार्य करता है। यह समिति मुख्यतः निम्नांकित कार्यों को करती है:—

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण.
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण.
- निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था.
- जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का विकास.
- जनपद में कार्यरत विभिन्न विभागों में समन्वयन की स्थापना.
- डायट एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के मध्य समन्वयन की स्थापना.
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना.

१२. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा एवं प्रांगण संस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए समय-समय पर विभिन्न सेवारत प्रशिक्षणों का आयोजन करता है, उन्हें अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। साथ ही डायट प्राथमिक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए बी०टी०सी० का सेवा पूर्व प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। डायट का भवन मदन नेगी में बना है परन्तु वर्तमान में डायट नई टिहरी में संचालित है। जनपद में डायट में स्टाफ की स्थिति निम्नवत है—

क्र.सं.	पद	पद स्वीकृत	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	प्राचार्य	01	00	01
2	उपाचार्य	01	00	01
3	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	00	06
4	प्रवक्ता	17	16	01
5	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	—
6	सांख्यिकार	01	01	—
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01
8	तकनीकी विशेषज्ञ	01	—	01
9	कार्यालय अधीक्षक	01	01	—
10	स्टेनो	01	01	—
11	लेखाकार	01	—	01
12	कनिष्ठ लिपिक	09	09	—
13	प्रयोगशाला सहायक	02	—	02
14	चतुर्थ श्रेणी	05	05	—

स्रोत— प्राचार्य डायट टिंगो 2003-2004.

अध्याय - दो

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम- ।।।

उद्देश्य एवं प्रमुखा गतिविधियाँ

नई शिक्षा की कार्यनीति 1992 के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक उत्साहपूर्ण प्रयास रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में जहाँ बेसिक शिक्षा की भौतिक संरचना की सुगम बनाया जाना आवश्यक है, वहीं गान्केन्द्रित पाठ्यक्रम आधारित पठन-पाठन की गुणवत्ता पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। परियोजना में खासकर बालिकाओं, अनुसूचित जनजाति तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जनपद में 1 अप्रैल 2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

अवधि — अप्रैल 2000 से मार्च 2005।

कुल लागत — ₹ 0 1833.66 लाख।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की पंहुच सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक रत्तर पर समस्त शालात्यागी बच्चों की दर 8 प्रतिशत तक कम करना।
- भाषा तथा गणित की दक्षताओं में 25 प्रतिशत तथा अन्य विषयों की दक्षताओं की सम्प्राप्ति में औसतन 40 प्रतिशत तक वृद्धि लाना।
- लिंग तथा विभिन्न राष्ट्राजिक वर्गों के बीच नामांकन, शालात्यागी और अधिगम सम्प्राप्ति के अन्तर को 5 प्रतिशत तक कम करना।
- असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/विद्या केन्द्रों की स्थापना।
- अल्प संख्यक/अनुजाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्राथमिक शिक्षा के विकास में समुदाय की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

- असेवित बरितयों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों, बैकल्पिक शिक्षा केंद्रों/विद्या केंद्रों की स्थापना।
- अल्प संख्यक/अनु०जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिये बैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्राथमिक विद्यालय के भवनों का पुनर्निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव।
- प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण।
- ग्राम शिक्षा समिति की प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन तथा निर्माण कार्यों के सक्रिय भूमिका।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
- शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- समेकित बाल बिकास योजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष ₹० 2000.00 का विद्यालय विकास अनुदान।
- प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी हेतु ₹० 500.00 का अनुदान।
- अक्षम एवं बिकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा।
- दूर शिक्षा कार्यक्रम का विकास।
- नवाचार कार्यक्रमों को प्रमुखता।
- अनु०जाति, अनु०ज०जा० के बच्चों तथा बालिकाओं के लिये निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था।
- माइक्रोप्लानिंग तथा स्कूल मैपिंग अभ्यास के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का नियोजन।
- नामांकन बृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के पदों का सृजन, नये विद्यालयों हेतु प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा मित्र के पदों का सृजन।
- रचय सेवी संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग।
- प्राथमिक शिक्षा के बिकास में समुदाय की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का निशुल्क स्वारथ्य परीक्षण।
- बिकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों (बी.आर.सी) की स्थापना।
- न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (एन.पी.आर.सी.) की स्थापना।
- कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट) का सुदृढीकरण।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित प्रमुख गतिविधियाँ

क. पहुँच का विस्तार

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का पहला उद्देश्य 6 से 11 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है, जिससे शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अंतर्गत असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों या विद्या केन्द्रों की स्थापना परियोजना के अंतर्गत की जाती है। जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित प्रयास वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक किये गये:

१. नवीन प्राथमिक विद्यालय

जनपद में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के अन्तर्गत असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 तक जनपद की 116 बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। नवीन खुले विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 1.91 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसका 40 प्रतिशत अंशदान (रु 76.40 हजार) परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। शैक्षणिक सामग्री की पूर्ति हेतु रु 10000.00 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि परियोजना के द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जाती है।

२. शिक्षा-गारण्टी योजना

शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार योजना में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराना या फिर बीच में विद्यालय छोड़ने वाले या अधिक उम्र वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। परियोजना अन्तर्गत जनपद में ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है जो बस्तियां पूर्ण विद्यालय खोलने के निर्धारित मानकों की पूरा नहीं करती हैं। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री एवं इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था परियोजना के द्वारा की जाती है। इसके अन्तर्गत अब तक 226 बस्तियों में 226 विद्या-केन्द्र एवं 14 में 14 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोल दिये गये हैं। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित आचार्य को एक माह का आवासीय प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। आचार्यजी को दस माह की संविदा पर रखा जाता है। आचार्यजी द्वारा संतोषजनक रूप से कार्यकरने पर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुनः संविदा पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उसे 15 दिन का आवासीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। आचार्यजी के रूप में कार्य करने पर उसे 1000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा किया जाता है।

३. शिक्षा-मित्र योजना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था की जाती है, साथ ही एक शिक्षा-मित्र की व्यवस्था उस विद्यालय में की जाती है जहां से अध्यापक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खुले प्राथमिक विद्यालय में प्रौन्नत किया जाता है। साथ ही एकल अध्यापकीय दूरस्थ विद्यालयों में शिक्षा-मित्र की व्यवस्था भी परियोजना द्वारा की जाती है। शिक्षा-मित्र का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाना है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित शिक्षा मित्र को एक माह का आवासीय प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मित्र को दस माह की संविदा पर रखा जाता है। शिक्षा मित्र द्वारा संतोषजनक रूप से कार्यकरने पर उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पुनः संविदा पर रखा जा सकता है, ऐसी स्थिति में उसे 15 दिन का आवासीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण डायट द्वारा दिया जाता है। शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने पर उसे 3000.00 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिया जाता है। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000-01 में डी०पी०ई०पी० योजना के अन्तर्गत 127 शिक्षा-मित्रों की व्यवस्था की गयी थी। स्वीकृत 127 शिक्षा मित्रों के पदों के विरुद्ध 127 शिक्षा-मित्रों के व्यवस्था की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा पूरी कर इनका प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ष 2000-01 में 115 शिक्षा मित्रों के पद स्वीकृत किये गये, स्वीकृत 115 शिक्षा मित्रों के पदों के विरुद्ध 115 शिक्षा-मित्रों के चयन की कार्यवाही ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा पूरी कर इनका प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2001-02 में 120 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित थी। जिनमें से 60 शिक्षा मित्रों के चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है जिनमें से 57 का प्रशिक्षण डायट द्वारा पूर्ण करवा कर उन्हें विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त कर दिया गया है। शेष 60 का चयन 60 की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 में प्रस्तावित 26 प्राथमिक विद्यालय के लिए 52 शिक्षा-मित्र स्वीकृत हुए हैं इन पर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

खा. ठहराव सुनिश्चितकरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यालय में पंजीकृत सभी बच्चे अपनी प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही विद्यालय छोड़ें। इसके अंतर्गत समस्त शालात्यागी बच्चों की दर 8 प्रतिशत तक लाना है। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की भौतिक एवं बौद्धिक संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा आगामी वर्षों में भी प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित है। जनपद में नामांकन की अपेक्षा धारण पर अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता महशूस की जा रही है। जनपद में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नांकित गतिविधियां आयोजित की गयीं—

१. वातावरण सृजन

वातावरण सृजन एवं सरकारी कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे कार्यशालाओं, पर्यायालय कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों आदि के माध्यम से जनता को जागरूक बनाया जा रहा है। समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह बताया जाएगा कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रबन्ध समुदाय स्वयं कर सकता है, जिसके आशातीत परिणाम मिल रहे हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों की जानकारी दी जाती है। जनपद में 896 ग्राम शिक्षा समितियां एवं 1563 स्कूल प्रबन्धन समितियां गठित हैं। इसके अतिरिक्त मातृ-अध्यापक संघ (ममता) भी गठित हैं। ये सभी एक स्वयं सेवी समूह हैं। जनपद में समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं:-

- समय-समय पर सरकारी एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ बैठकें एवं कार्यशालाएं।
- ग्राम शिक्षा समितियों का गठन एवं उनकी नियमित मासिक बैठकें।
- स्कूल प्रबन्धन समितियों का गठन एवं नियमित मासिक बैठकें।
- डी0आर0जी0 एवं बी0आर0जी0 का गठन, प्रशिक्षण एवं उसकी बैठकें।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।
- भीना कम्पैन एवं नुककड़ नाटकों का आयोजन।
- दीवार-लेखन।
- समाचार पत्रों के द्वारा।
- स्कूल चलो अभियान।
- अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क।
- बाल-मेंलों का आयोजन।
- बी0ई0सी0 मेंलों का अयोजन।
- मां-बेटी मेंलों का अयोजन।
- रथानीय पर्वों व मेंलों में प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण।
- स्वयं-सेवी संस्थाओं से सहायता।
- न्यूज लेटर का प्रकाशन।

२. भवन पुन-निर्माण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 90 जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 1.91 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराया जा चुकी है, निर्माण हेतु 40 प्रतिशत अंशदान (रु0 76.4 हजार) परियोजना द्वारा एवं शेष 60 प्रतिशत पी0एम0जी0वाई0 द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। लक्ष्य के सापेक्ष 90 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

३. अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 67 प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण एक-कक्षीय या अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में किया जाता है। विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु प्रति कक्षा-कक्ष .70 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है। निर्माण हेतु 40 प्रतिशत अंशदान (रु0 28.00हजार) परियोजना द्वारा एवं शेष 60 प्रतिशत पी0एम0जी0वाई0 द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। लक्ष्य के सापेक्ष 67 प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

४. शौचालय निर्माण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 200 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 100 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 100 विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है। विद्यालयों में शौचालय के निर्माण हेतु प्रति शौचालय .10 लाख रुपये का दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जाती है। नि

५. पेयजल निर्माण

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 175 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 50 विद्यालयों में पेयजल के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय .22 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है। 130 विद्यालयों में पेयजल के निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जा चुकी है। निर्माण हेतु सम्पूर्ण अंशदान (रु0 22.00हजार) परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

६. भवन मरम्मत

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 390 प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। 390 विद्यालयों में मरम्मत हेतु प्रति विद्यालय .20 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करा कर मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

७. स्वास्थ्य परीक्षण

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में रवास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सम्पादित किया जाता है। परियोजना के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अभिलेखीकरण हेतु प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर बच्चे को दिया गया। जो बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त पाये गये उन्हें बीमारी की स्थिति के अनुरूप गुलाबी, पीला व हरा संदर्भ कार्ड कमशः अतिगम्भीर, कम गम्भीर व साधारण रोग की पहचान हेतु बनाकर दिये गये।

८. बालिका शिक्षा

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। फिर भी जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालयों में होना चाहिए उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। हालांकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संचालित होने के पश्चात बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फिर भी यह बालकों के अपेक्षा कम है। जनपद में बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं—

- सामुदायिक सहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों में ममता, एस०एम०सी० एवं एम०टी०ए०/पी०टी०ए० का गठन।
- विद्यालयों गठित एम०टी०ए०/पी०टी०ए० के सदस्यों का प्रशिक्षण।
- महिला प्रेरक समुहों का गठन व प्रशिक्षण।
- ग्राम पंचायत की चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण/कार्यशालाएं।
- अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण।
- कला—जतथा/ मीना कैम्पैन कार्यक्रम।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
- अभिभावक शिक्षक संघों की प्रतिमाह बैठकें।
- मां—बेटी मेलों का आयोजन।
- ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाएं।
- ठहराव प्रक्रिया तथा तारोकन अभियान।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण
- महिला समाख्या से कन्वर्जन्स।
- स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा विदों से सहयोग।

बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु जनपद में न्याय पंचायत रत्तर पर 15 न्याय पंचायतों में आदर्श संकुल-विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु इन संकुलों में वातावरण सृजन के तहत मां-बेटी मेला, न्याय पंचायत रत्तर पर ग्राम पंचायतों की कार्यशालाएं, मीना-कैम्पैन, बाल-मेला, ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं माइक्रोप्लानिंग एवं ग्राम शिक्षा योजना निर्माण का कार्य किया गया। इन क्लस्टरों में प्रत्येक विद्यालय में ममता समूह का गठन एवं ग्राम पंचायत रत्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है।

६. स्कूल चलो अभियान

गत दो वर्षों से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस हेतु जनपद, ब्लाक-स्तर एवं स्कूल पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं:-

- बालगणना (स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान.)
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विद्यालयों में नामांकन.
- अभिभावक एवं जन संपर्क.
- ग्राम शिक्षा समिति एवं विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकें.
- निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण.
- प्रभात फेरियां एवं रैलियां, विचार गोष्ठियां.
- एन०पी०आर०सी० पर अध्यापकों की बैठकें.
- निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण.
- बी०आर०जी० एवं डी०आर०जी० की बैठक.
- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, बी०आर०सी० समन्वयकों की बैठकें।

S.N.	Year	Total Enrolment (P.Level)			GER
		Boys	Girls	Total	
1	1999-2000	48389	48453	96842	97.02
2	2000-2001	49442	48890	98332	98.29
3	2001-2002	49291	49116	99207	109.84
4	2002-2003	49263	49981	99244	106.99
5	2003-2004	50124	49985	100109	108.94

१०. समेकित शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांकन करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में विकासखंड चम्बा में एवं 2003-04 विकासखंड प्रतापनगर एवं भिलंगना में स्वास्थ्य विभाग टिहरी, एन०आई०वी०एच० देहरादून एवं एन०आई०ओ०एच० देहरादून के सहयोग से विकलांगता परीक्षण एवं उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन किया गया।

ग. गुणवत्ता संवर्धन

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता संवर्धन है। इस हेतु जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में विकास करने के लिए डायट, ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिसका लक्ष्य विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करना है। जिससे विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार लाया जा सके। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं :—

- एम०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० तथा डायट स्तर पर प्रतिमाह बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित सभस्याओं तथा पैडागोजी पर चर्चा एवं निदान।
- पाठ्यक्रम, बालिका शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण माड्यूल पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण।
- अध्यापकों का बहुउद्देशीय रोवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
- जिला संदर्भ समूह एवं विकासखण्ड संदर्भ समूहों का गठन, उनका प्रशिक्षण एवं बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा।
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं नियमित मासिक बैठकें।
- बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- डी०पी०ओ० अभियानियों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- विभिन्न कार्यशालायें / रोमिनारों का आयोजन।
- महिला प्रेरक समूह, गाता शिक्षक संघ एवं एस०एम०सी० का गठन ओर प्रशिक्षण एवं नियमित बैठकें।
- आचार्यों / अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों का अभिनवीकरण एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
- शोध एवं क्रियात्मक शोध।
- विद्यालयों का कोटि-करण।
- वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापक / अध्यापिका को दक्षता सम्मान।
- टी०एल०एम० विकास हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण।
- टी०एल०एम० प्रदर्शनी मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- बाल मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण।
- ग्राम शिक्षा समितियों को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान।
- प्राथमिक विद्यालयों में बुक-बैंकों की स्थापना।
- शिक्षकों को टी०एल०एम० अनुदान।

१. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

स्कूली-शिक्षा की प्रारम्भिक तैयारी के रूप में समेकित बाल विकास विभाग के साथ समन्वयन स्थापित करते हुये परियोजना के प्रथम वर्ष में 98 आगनबाड़ी केन्द्रों एवं द्वितीय वर्ष में 102 केन्द्रों को ₹०८०८०८०८० केन्द्रों के रूप में चयनित किया गया जिनमें से 194 कार्यक्रियों का प्रशिक्षण कर केन्द्र संचालित कर दिये गये, इन केन्द्रों की कार्यक्रियों व सहायिकाओं को कमशः ₹० 250.00 व ₹० 125.00 का मानदेय परियोजना द्वारा दिया जाता है। साथ ही केन्द्रों की साज सज्जा एवं बच्चों के लिए खिलौनों हेतु ₹० 5000.00 प्रति केन्द्र एक बार एवं आकस्मिक व्यय हेतु ₹० 1500.00 प्रति केन्द्र प्रति वर्ष दिया जाता है।

२. विजनिंग कार्यशालाएँ

Sl.No.	Visioning Workshop	From	To	No. of Participant
1	First	15-07-2000	18-07-2000	45
2	Second	21-07-2000	24-07-2000	42
3	Third	19-09-2000	23-09-2000	48
4	Fourth	29-09-2000	30-09-2000	45
Total				180

३. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण

विद्यालय विकास हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करने एवं ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से जनपद में वर्ष 2000-01 में कुल गठित 758 ग्राम शिक्षा समितियों में से 350 ग्राम शिक्षा समितियों के 8324 सदस्यों को ग्राम सभा स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2001-02 में 412 ग्राम शिक्षा समितियों के 12369 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2003-04 में 400 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद में समुदायों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने एवं ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य है:-

- विद्यालय एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के मध्य धनात्मक समन्वयन स्थापित करना ताकि विद्यालय में संसाधनों का विकास हो, शैक्षणिक गुणवत्ता का संवर्धन हो
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा, उसके सार्वजनिकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण में सक्रिय योगदान करने के संदर्भ में सुग्राहित/अभिप्रैरित करना।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं विद्यालय मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
- आकर्षक विद्यालय परिवेश/कक्षा निर्माण, रुचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल प्रबंध समिति के योगदान के लिए सुग्राहित/जागरूक करना।
- अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन, सहयोग तथा शिक्षा के लिए वित्तीय तथा अन्य संसाधन जुटाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना।

७. ब्लाक एवं जिला-संदर्भ-समूह

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में रुची रखने वाले समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जनपद के प्रत्येक ब्लाक में ब्लाक-स्तर पर 30 सदस्यीय ब्लाक-संदर्भ-समूह एवं जिला-स्तर पर 35 सदस्यीय जिला-संदर्भ-समूह गठित किए गए हैं। प्रशिक्षित ब्लाक संदर्भ समूह के सदस्यों द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन समूहों की त्रैमासिक बैठक कमशः ब्लाक एवं जिला-स्तर पर की जाती है। इन बैठकों में मैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की समीक्षा एवं भविष्य की कार्य योजना व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है।

८. बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० समन्वयक प्रशिक्षण

No. of Blocks	BRC Coordinators in Place	BRC Co- Coordinators in Place	No. of Nyay- Panchayat	NPRC Coordinators in Place
9	9	18	76	76

S.N.	Activity	Training	
		Target	Achieve.
1	BRC Co-ordinator Trg.(Adharbhoot Trg.)	09	09
2	BRC Co.Co-ordinator Trg.	18	18
3	NPRC Co-ordinator Trg.	76	76

९. अध्यापक प्रशिक्षण

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर किया जाता है। वर्ष 2001-02 में 2284 शिक्षकों को साधन माड्यूल पर नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण बी०आर०सी० पर दिया गया। इस के साथ ही बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर नियुक्त समन्वयकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वर्ष 2001-02 में संपादित किया गया। वर्ष 2002-03 में सभी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कठिन स्थलों पर आधारित 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है।

Activity	Year	Training	
		Target	Achieve.
Master Traincrs	2001-02	32	32
	2002-03	32	32
	2003-04	32	
Teachers Training	2001-02	2420	2382
	2002-03	2560	2293
	2003-04		

१०. निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण

विद्यालयों में होने वाले विविध निर्माण कार्यों के उचित सम्पादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आर0ई0एस0 एवं लघु सिंचाई के अभियंताओं द्वारा जिला एवं विकास खंड स्तर पर एक दिन ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को निर्माण कार्य सम्बन्धी तकनीकी जानकारी दी जाती है। वर्ष 2000-01 में ऐसे 10 एवं वर्ष 2001-02 में 09 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए।

११. विद्यालय विकास अनुदान

परियोजनात्तर्गत विद्यालयों की साज-सज्जा हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष रु 2000.00 का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान ग्राम शिक्षा समिति के मध्यम से दिया जाता है। वर्ष 2000-01 में 1174, वर्ष 2001-02 में 1166, वर्ष 2002-2003 में 1213 एवं वर्ष 2003-2004 में 1257 प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान दिया गया है।

१२. अध्यापक अनुदान

परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण हेतु प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक को पत्येक वर्ष रु0 500.00 का अनुदान दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा तैयार किये गये शिक्षण अधिगम/सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा शिक्षण को रूचिपूर्ण एवं प्रभावी बनाने में किया जाता है। शिक्षकों द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शन एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 एवं जिला स्तर पर आयोजित टी0एल0एम0 में भी किया जाता है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षकों में टी0एल0एम0 निर्माण के प्रति रुचि जागृत करना, एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाना है। वर्ष 2001-02 में 2392 अध्यापकों, वर्ष 2002-03 में 289 शिक्षा-मित्रों सहित, 2666 अध्यापकों एवं वर्ष 2003-04 में 290 शिक्षा-मित्रों सहित 2492 अध्यापकों को यह अनुदान दिया गया है।

१३. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

परियोजना के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रों एवं अन्यवर्ग की सभी वालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों वितरित की जाती हैं। वर्ष 2000-2001 में 62004 छात्रों को वर्ष 2001-02 में 53761 छात्र/छात्राओं को लाभन्वित किया गया, वर्ष 2002-03 में 54250 छात्र/छात्राओं एवं वर्ष 2003-04 में 55984 छात्र/छात्राओं को को लाभन्वित किया गया।

१४. विद्यालय मूल्यांकन व कोटीकरण

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के मापन हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्याकेंद्रों का कोटीकरण का कार्य संपादित किया जा रहा है। विद्यालय मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र का उद्देश्य बहुआयामी है। विद्यालय के मूल्यांकन तथा कोटीकरण का लक्ष्य विद्यालय की स्थिति तथा छात्र सम्प्राप्ति की स्थिति में निरन्तर सुधार लाना है। मूल्यांकन व कोटीकरण प्रपत्र के दो भाग हैं। भाग 'अ' विद्यालय की स्थिति से सम्बंधित है इस हेतु अंक विभाजन का कुल योग 100 है। भाग 'ब' विद्यालय के साध्य छात्र सम्प्राप्ति से सम्बंधित है, इस हेतु अंक विभाजन का कुल योग 100 है। विद्यालय कोटीकरण हेतु भाग 'अ' व 'ब' के अनुसार प्राप्त कोटीकरण को क्रमशः पृथक—पृथक अंकित किया जाता है, यथा AA, AB, BA इत्यादि। कोटीकरण के उद्देश्य से विद्यालय का मूल्यांकन वर्ष में तीन बार किया जाएगा। प्रथम मूल्यांकन जुलाई से सितम्बर की अवधि में, द्वितीय मूल्यांकन अक्टूबर से दिसम्बर की अवधि में, तृतीय मूल्यांकन फरवरी से अप्रैल की अवधि में किया जायेगा। विद्यालय कोटीकरण प्रपत्र दो प्रतियों में किया जायेगा, एक प्रति मूल्यांकनकर्ता (समन्वयक एन०पी०आर०सी०) के पास तथा दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जाती है।

१५. टी०एल०एम० मेला

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को प्रति वर्ष ₹० 500.00 का अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ₹०एल०एम० की प्रदर्शनी न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिला रा.र पर ₹०एल०एम० मेले का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ₹०एल०एम० की जानकारी एवं उसे बनाने की विधि दूसरे शिक्षकों की देना है।

ए. क्षमता विकास

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत संस्थाओं की क्षमता का संवर्धन करना भी है। इसके अन्तर्गत जनपद में:-

१. जिला परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय मुख्यतः डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 एवं ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से जनपद की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण, परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर नियंत्रण, विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण, जिले में योजना के विभिन्न स्तरों पर समन्वयन, परियोजना के क्रियाकलापों हेतु स्वीकृत धन का हस्तानान्तरण एवं समुचित उपयोग, शैक्षणिक गतिविधियों का अनुश्रवण, वार्षिक कार्ययोजनानुसार कार्यों का समयबद्ध निष्पादन आदि कार्यों का निष्पादन करता है। जिला-रत्तर पर एक सुसज्जित जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसमें १ विशेषज्ञ वेशिक शिक्षाधिकारी, १ सहायक लेखाधिकारी, ४ समन्वयक (क्रमशः प्रशिक्षण, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता), १ शिविर सहायक, १ लेखाकार, १ कम्प्यूटर आपरेटर एवं १ चतुर्थ श्रेणी कार्यरत हैं।

२. जिला शिक्षा परियोजना समिति

जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है। गुरुव्य विकास अधिकारी इस समिति के पदेन उपाध्यक्ष एवं विशेषज्ञ वेशिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव है। इसमें पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिला परियोजना कार्यालय कार्य करता है। यह समिति मुख्यतः निम्नांकित कार्यों को करती है:-

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सभी गतिविधियों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण.
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण.
- निर्माण कार्यों के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था.
- जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का विकास.
- जनपद में कार्यरत निभिन्न विभागों में समन्वयन की स्थापना.
- डायट एवं वेशिक शिक्षा अधिकारी के मध्य समन्वयन की स्थापना.
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना.

३. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली

जनपद में जिला परियोजना कार्यालय में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 सेल की स्थापना की गई है। जनपद के विद्यालयों से एक निर्धारित प्रपत्र पर सूचना भरकर उसका कम्प्यूटराईजेशन किया जाता है। इस प्रकार कम्प्यूटरीकृत सूचनाओं का प्रयोग वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट निर्माण, शैक्षणिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, अनुश्रवण एवं नियोजन, आंकणों एवं सूचनाओं के विश्लेषण तथा आवश्यकताओं की पहचान में किया जाता है।

४. न्यायपंचायत संसाधन केंद्र

प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) की स्थापना की गयी है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अकादमिक सहायता के लिए प्रत्येक एन०पी०आर०सी० में एक एन०पी०आर०सी० समन्वयक की नियुक्ति परियोजनान्तर्गत की गयी है। इस प्रकार जनपद में 76 न्याय पंचायत समन्वयक परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं। एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य, ग्राम शिक्षा समितियों/स्कूल प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण का कर्य, बाल मैलों एवं मॉ-बेटी मैलों का आयोजन, टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मैले का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन, विविध शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, स्कूल चलो अभियान का आयोजन एवं विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का कार्य किया जाता है। जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 76 न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 76 न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र (एन०पी०आर०सी०) का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। न्याय-पंचायत संसाधन केन्द्र के निर्माण हेतु प्रति केंद्र .70 लाख रुपये की दर से धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जाती हैं, निर्माण हेतु 40 प्रतिशत अंशदान (रु० 28. 00हजार) परियोजना द्वारा एवं शेष 60 प्रतिशत पी०एम०जी०वाई० द्वारा उपलब्ध कराया गया।

५. ब्लाक संसाधन केंद्र

जनपद में कुल 9 विकासखण्ड हैं। प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक-संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०) की स्थापना की गयी है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अकादमिक सहायता के लिए प्रत्येक बी०आर०सी० में एक समन्वयक व दो सह-समन्वयकों की नियुक्ति परियोजनान्तर्गत की गयी है। इस प्रकार जनपद में 9 ब्लाक समन्वयक, 18 सहसमन्वयक परियोजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये हैं, जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। बी०आर०सी० पर एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की बैठकें, शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा, एन०पी०आर०सी० को तकनीकी सहयोग प्रदान, विद्यालयों का भ्रमण उन्हें अकादमिक सहयोगप्रदान करना, विविध सूचनाओं का संकलन, समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन, प्रशिक्षण (डायट के निर्देशन त्रै) का आयोजन, अध्यापकों को अकादमिक सहयोग, विविध शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन, बाल मैलों एवं मॉ-बेटी मैलों का आयोजन, टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मैले का आयोजन, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यक्रमों का आयोजन, स्कूल चलो अभियान का आयोजन एवं विविध शैक्षणिक सूचनाओं के संकलन का केन्द्र सम्पादित होकर है।

जनपद में ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी०आर०सी०) का निर्माण जल निगम की सी० एंड डी० यूनिट द्वारा किया जा रहा है।

६. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

डायट जनपद में स्थित शिक्षण संस्थाओं को अकादमिक सहयोग प्रदान करता है। डायट द्वारा संदर्भ व्यक्तियों का चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य, सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षा मित्र प्रशिक्षण, आचार्यजी/अनुदेशक प्रशिक्षण, औंगनबाड़ी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण, बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण, बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठकें, शोध कार्य एवं ऐशन-रिसर्च, मैर्जीन एवं न्यूज लेटर का प्रकारान, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन, बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 की गतिविधियों का अनुश्रवण, अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं उनकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण एवं न्यूनतम अधिगम स्तर का मापन आदि कार्य सम्पादित किए जाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को विविध गतिविधियों के संचालनार्थ सहायता परियोजना द्वारा प्रदान की जाती है।

वित्तीय प्रबंधन

परियोजना की अवधि 5 वर्ष (1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक) है। परियोजना की कुल लागत ₹0 1833.66 लाख है। परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर कुल स्वीकृत लागत का 25 प्रतिशत एवं प्रबन्ध पर 6 प्रतिशत व्यय किया जा सकता है।

परियोजना की प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है। वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदनोपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जाती है। जिसका उपभोग निर्धारित प्रोक्योरमेन्ट के अनुसार वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। परियोजना के आग-व्यय का अंकेशण सी0ए0 एवं ए0जी0 द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक संप्रेषण किया जाता है। प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को आय-व्यय का विवरण प्रेषित किया जाता है।

वर्ष 2000-01 में परियोजना की विविध गतिविधियों के संचालन हेतु कुल ₹0 185.26 लाख व्यय किया गया। जनपद की वर्ष 2001-02 ₹0 650.0139 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में कुल 466.84 लाख रुपये विविध गतिविधियों के संचालनार्थ व्यय किये गये। जनपद की वर्ष 2002-03 की कुल ₹0 575.559 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत थी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल 361.312 लाख रुपये विविध गतिविधियों के संचालनार्थ व्यय किये गये। जनपद की वर्ष 2003-04 की कुल ₹0 634.6577 लाख कर्षि कार्ययोजना स्वीकृत थी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में कुललाख रुपये विविध गतिविधियों के संचालनार्थ व्यय किये गये।

आध्याय - ३

सर्व शिक्षा अभियान(एस०एस०ए०)

उद्देश्य एवं प्रमुखा गतिविधियाँ

अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप जनपद ने प्रारंभिक शिक्षा में संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों को बढ़ाने की दृष्टि से काफी प्रगति की है। जनपद में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति उत्साहजनक है। शिक्षा के लिए समुदाय की काफी मांग है तथा यह प्रवृत्ति, विशेष रूप से महिलाओं एवं लड़कियों की साक्षरता तथा स्कूल उपस्थिति की दर से पता चलती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा स्कूल उपस्थिति के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष के अन्तर का अधिक होना, चिन्ताजनक विषय है। सर्व शिक्षा अभियान जिससे देश के प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है, का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यह अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटिपरक प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने संबंधी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक अंतर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गई है। जनपद टिहरी गढ़वाल में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों की प्राथमिक की शिक्षा के बारे में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जनपद में किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर ज्ञात होता कि 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में से 1541 बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर हैं जिनमें बालिकाओं की संख्या 1017 है जोकि इस आयु वर्ग में न जाने वालों की संख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इस हेतु इस वर्ष 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अर्थात् उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल 'बैक टू स्कूल' शिविर की उपलब्धता।
- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें।
- संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
- बालक-बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग-भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

कार्यक्रम की विशेषताएं

- असेवित बस्तियों मे नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयोंएवं एजूकेशन गारंटी केंद्रों की स्थापना।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या तथा जरुरतों को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय/सेवशन को सीता का निर्धारण।
- बाल-श्रमिकों, अल्प संख्यक/अनु०जाति के बच्चों, बालिकाओं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिये बैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवनों का पुनर्निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल, शौचालय तथा चारहदीवरी की व्यवस्था तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण।
- ग्राम शिक्षा समिति की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्धन तथा निर्माण कार्यों के सक्रिय भूमिका।
- स्कूल प्रबंधन समितियों का गठन।
- ग्राम शिक्षा समिति एवं स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण।
- शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- समेकित बाल बिकास योजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था।
- प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष ₹० 2000.00 का विद्यालय विकास अनुदान।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी हेतु ₹० 500.00 का अनुदान।
- अक्षम एवं बिकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा।
- दूर शिक्षा कार्यक्रम एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास।
- नवाचार कार्यक्रमों को प्राथमिकता।
- नवाचार कार्यक्रमों के अंतर्गत समेकित बाल बिकास योजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ियों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं कम्प्यूटर एंजूकेशन की व्यवस्था।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनु०जाति, अनु०ज०जा० के बच्चों तथा बालिकाओं के लिये निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था।
- माइक्रोप्लानिंग तथा स्कूल मैपिंग अभ्यास के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा का नियोजन।
- नामांकन बृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त अध्यापकों के पदों का सृजन।
- स्वयं सेवी संस्थाओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से सहयोग।
- प्रारम्भिक शिक्षा के बिकास में समुदाय की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करना।
- बिकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों (बी.आर.सी) की स्थापना।
- न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों (एन.पी.आर.सी.) की स्थापना।
- कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट) का सुदृढीकरण।

अनमानित सकल (जी०ई०आर०) नामांकन लक्ष्य

विगत वर्ष जनपद में जी०ई०आर० 106.99 प्रतिशत था जोकि वर्ष 2003-04 में बढ़कर 108.94 हो गया। जनपद में बालिकाओं का जी०ई०आर० बालकों के जी०ई०आर० की अपेक्षा 3.95 प्रतिशत अधिक है। आगामी वर्ष 2004-05 के लिए जनपद का सकल नामांकन लक्ष्य 6 से 11 वय वर्ग के लिए 110.00 प्रतिशत रखा गया है। निम्नांकित तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

सकल नामांकन (जी०ई०आर०) ६ से ११ वय वर्ग

Year	Total 6 To 11 Aga Group			In School Class 1st to 5th			GER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	46845	45052	91897	50124	49985	100109	107.00	110.95	108.94
2002-03	47003	45758	92761	49263	49981	99244	104.81	109.23	106.99
2001-02	45593	44725	90318	49291	49916	99207	108.11	111.61	109.84

क्र० स०	विवरण	नामांकन 2003-2004		नामांकन लक्ष्य 2004-2005
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	जी०ई०आर० प्रतिशत	110.00	108.94	110.00
2	कुल नामांकन	104029	100109	104029
3	बालक जी०ई०आर०	109.00	107.00	109.00
4	कुल बालक नामांकन	51956	50124	51956
5	बालिका जी०ई०आर०	112.00	110.95	112.00
6	कुल बालिका नामांकन	52073	49985	52073

स्रोत— विशेषज्ञ वैरिक शिक्षाधिकारी, टिंगा 2003-2004।

शुद्ध नामांकन (एन०ई०आर०) ६ से ११ वय वर्ग अनुपात

Year	Total 6 To 11 Aga Group			In School 6 To 11 Aga Group			Out of School 6 To 11 Aga Group			NER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	46845	45052	91897	46739	44848	91587	106	204	310	99.77	99.55	99.66
2002-03	47003	45758	92761	46651	45161	91812	352	597	949	99.25	98.70	98.98
2001-02	45593	44725	90318	45137	43885	89022	456	840	1296	99.00	98.12	98.57
2000-01							2158	3021	5179	95.76	93.85	94.82
1999-00							2658	2851	5509	94.49	93.92	94.21

क्र०स०	विवरण	नामांकन 2003-2004		नामांकन लक्ष्य 2004-2005
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	क. कुल एन०ई०आर०	100.00	99.96	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बच्चे	94160	91587	94160
2	क. बालक एन०ई०आर०	100.00	99.77	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बालक	47666	46739	47666
3	क. बालिका एन०ई०आर०	100.00	99.55	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाली बालिकाएं	46494	44844	46494

स्रोत— विशेषज्ञ वैरिक शिक्षाधिकारी, टिंगा 2003-2004.

उपरोक्त तालिका के कम में जनपद में वर्तमान में एन.ई.आर. 99.96 प्रतिशत है जिसे 2004-2005 में 100.00 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सकल नामांकन (जी०ई०आर०) ११ से १४ वय वर्ग

Year	Total & To 14 Aga Group			In School Class 6th to 8th			GER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	26612	25594	52206	22274	21455	43729	83.70	83.83	83.76
2002-03	24905	23611	48516	20893	19929	40822	83.89	84.41	84.14

स्रोत- विशेषज्ञ वैसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-2004।

आगामी वर्ष 2004-05 के लिए जनपद का सकल नामांकन लक्ष्य 11 से 14 वय वर्ग के लिए 99.95 प्रतिशत रखा गया है। निम्नांकित तालिका से स्थिति ख्यात है-

सकल नामांकन (जी०ई०आर०) ११ से १४ वय वर्ग

क्र० स०	विवरण	नामांकन २००३-२००४		नामांकन लक्ष्य २००४-२००५
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	जी०ई०आर० प्रतिशत	99.95	83.76	99.95
2	कुल नामांकन		43729	
3	बालक जी०ई०आर०	100.85	83.70	100.85
4	कुल बालक नामांकन		22274	
5	बालिका जी०ई०आर०	99.00	83.83	99.00
6	कुल बालिका नामांकन		20893	

स्रोत- विशेषज्ञ वैसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-2004.

शुद्ध नामांकन (एन.ई.आर.) ११ से १४ वय वर्ग अनुपात

Year	Total 11 To 14 Aga Group			In School 6 To 14 Aga Group			Out of School 6 To 14 Aga Group			NER		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2003-04	26612	25594	52206	26485	25277	51762	127	317	444	99.52	98.76	99.15
2002-03	24905	23611	48516	24498	22568	47066	407	1043	1450	98.37	95.58	97.01
2001-02	21779	20332	42111	21255	19315	40570	524	1017	1541	97.59	95.00	96.34
2000-01	21833	20262	42095	21051	18565	39616	782	1697	2479	96.42	91.62	94.11

स्रोत- विशेषज्ञ वैसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-2004।

क्र०स०	विवरण	नामांकन २००३-२००४		नामांकन लक्ष्य २००४-२००५
		लक्ष्य	प्राप्ति	
1	क. कुल एन.ई.आर.	98.81	99.15	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बच्चे	486661	51762	
2	क. बालक एन.ई.आर.	99.84	99.52	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाले बालक	25215	26485	
3	क. बालिका एन.ई.आर.	97.73	98.76	100.00
	ख. कुल विद्यालय जाने वाली बालिकाएं	23446	25277	

स्रोत- विशेषज्ञ वैसिक शिक्षाधिकारी,टिंगो 2003-2004।

उपरोक्त तालिका के क्रम में जनपद में वर्तमान में एन.ई.आर. 99.15 प्रतिशत है जिसे 2004-2005 में 100 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

अध्याय - चार

परियोजना की अध्यतन प्रगति एवं आगे जारी रखो गये कार्यों की योजना

जनपद में सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम (एस०एस०ए०) 1 जनवरी 2002 से आरम्भ किया गया।

अध्यतन प्रगति

१. निर्माण कार्य

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 36 भवनहीन/ जार्ण-शीर्ण उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु भवन, 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु अतिरिक्त कक्ष-कक्ष एवं 70 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु शौचालय निर्माण, 05 में चाहरदीवारी निर्माण एवं 04 स०आर०सी० निर्माण की स्वीकृति निर्माण कार्यों के अन्तर्गत प्राप्त हुई।

क्र०स०	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	विवरण
1	नवीनउ०प्रा०विद्यालय भवन निर्माण	09	09	धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त
2	उ०प्रा०विद्यालय भवन पुर्न-निर्माण	36	32	धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त
3	उ०प्रा०विद्यालय अ०कक्षा-कक्ष निर्माण	30	30	धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त
4	उ०प्रा०विद्यालय शौचालय निर्माण	70	67	धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त
5	चाहरदीवारी निर्माण	05	—	विद्यालयों का चयन किया जा रहा है।
6	सी०आर०सी० निर्माण	04		

क. भवन पुनर्निर्माण

प्रथम वर्ष में 09 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए ₹० 600 हजार प्रति विद्यालय की दर से बजट का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था। विद्यालयों का चयन कर दिया गया है, धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है।

ख. शौचालय

जनपद में इस वर्ष में गत 20 अवशेष सहित 70 विद्यालयों में शौचालय के निर्माण के लिए ₹० 15 हजार प्रति शौचालय की दर से बजट प्राप्त हुआ। 67 विद्यालयों का चयन कर दिया गया है, धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। शेष 03 के लिए विद्यालयों का चयन किया जा रहा है।

ग. भवन पुनर्निर्माण

प्रथम वर्ष में 21 एवं 15 भवनहीन/ जीर्ण-शीर्ण उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए क्रमशः ₹० 400 हजार प्रति विद्यालय एवं ₹० 600 हजार प्रति विद्यालय की दर से बजट का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में

किया गया था। भवन निर्माण के लिए क्रमशः 17 एवं 15 कुल 32 विद्यालयों का चयन कर दिया गया है, धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है।

४. अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण

जनपद में इस वर्ष में गत अवशेष 10 विद्यालयों एवं नए 20 सहित कुल 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए क्रमशः रु० 70 हजार प्रति कक्ष एवं रु० 135 हजार प्रति कक्ष की दर से बजट प्राप्त हुआ। 30 विद्यालयों का चयन कर दिया गया है, धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं।

५. बाउंड्रीवाल निर्माण

जनपद में इस वर्ष में 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए रु० 50 हजार प्रति की दर से बजट प्राप्त हुआ। 05 विद्यालयों का चयन किया जा रहा है। चयन के बाद धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

Block	New J.H.School Const.2003-04		Recon. J.H.School			A.C.Room			Toilet		
	Open School	School Const	2002-2003	2003-2004	Total	2002-2003	2003-2004	Total	2002-2003	2003-2004	Total
Bhilangana	7	1	5	5	10	3	4	7	3	9	12
Chamba	4	1	2	0	2	1	1	2	3	4	7
Deoprayag	5	1	4	5	9		3	3	2	1	3
Jakhanidhar	4	1	1	2	3	3	2	5	1	4	5
Jaunpur	4	1	2	0	2	1	1	2	4	5	9
Keertinagar	2	1	0	0	0		1	1		9	9
N.Nagar	4	1	2	3	5		2	2	6	4	10
P.Nagar	3	1	1	0	1	1	3	4		2	2
Thaoldhar	4	1	0	0	0	1	3	4	1	9	10
Total	37	9	17	15	32	10	20	30	20	47	67

२. टी०एल०ई० अनुदान

इस वर्ष की कार्य योजना में जनपद में कुल 165 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय रु० 50 हजार की दर से बजट का प्राविधान किया गया था। 165 विद्यालयों का चयन कर धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है।

क्र०सं०	विवरण	लक्ष्य	प्रगति	विवरण
1	पुराने विद्यालयों के लिए	165	165	
2	नए विद्यालयों के लिए	37		

3. स्कूल अनुदान

जनपद में कुल 543 विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय रु 2 हजार की दर से बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया था। लक्ष्य के सापेक्ष 479 विद्यालयों को यह अनुदान दिया गया। जनपद के 108 इकाइयों (97 राजकीय एवं 11 सवित्त माओप्रा) एवं 35 राजकीय हाईस्कूल, 16 सवित्त माओप्रा जूहा एवं 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यह अनुदान दिया गया है।

Block	2002-2003						2003-2004						
	JH Pari	Aid. J.H.	G. H.S.	G. I.C.	Aid. I.C.	Total	JH Pari	M.S.	Aid. J.H.	G. H.S.	G. I.C.	Aid. I.C.	Total
Bhilangana	50	5	5	15	5	80	52	5	5	5	15	5	87
Chamba	26	2	3	16		47	27	4	2	3	16		52
Deoprayag	9	5	4	10	2	50	29	2	5	4	10	2	52
Jakhanidhar	28		3	9		40	32	1		3	9		45
Jaunpur	41		3	8		52	42	1		3	8		54
Keertinagar	23	1	6	13		43	24	0	1	6	13		44
N.Nagar	37	2	1	13	1	54	38	2	2	1	13	1	57
P.Nagar	29	1	6	5	2	43	31	1	1	6	5	2	46
Thaoldhar	27		4	8	1	40	28	1		4	8	1	42
Total	290	16	35	97	11	449	303	17	16	35	97	11	479

8. विद्यालय भवन मरम्मत

जनपद की इस वर्ष की कार्ययोजना में 100 विद्यालयों के मरम्मत की व्यवस्था की गयी थी। लक्ष्य के सापेक्ष 100 विद्यालयों को यह अनुदान दिया गया। जनपद के 100 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान दिया गया है।

Block	2002-2003				2003-2004	
	M.S.	G. H.S.	G. I.C.	Total	JH Pari	Total
Bhilangana	3	5	15	23	19	19
Chamba	1	3	16	20	10	10
Deoprayag	2	4	10	16	9	9
Jakhanidhar	1	3	9	13	9	9
Jaunpur	1	3	8	12	14	14
Keertinagar		6	13	19	7	7
N.Nagar	2	1	13	16	8	8
P.Nagar		6	5	11	14	14
Thaoldhar	1	4	8	13	10	10
Total	11	35	97	143	100	100

5. शिक्षक अनुदान

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक एवं हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज में प्रति विद्यालय 3 अध्यापकों की दर से कुल 1541 अध्यापकों को यह अनुदान उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1441 अध्यापकों को प्रति अध्यापक रु 500.00 की दर से धनराशि वितरित की गयी।

Block	2002-2003							2003-2004								
	JH Pari	M.S.	Aid. J.H.	G. H.S.	Aid. H.S.	G. I.C.	Aid. I.C.	Total	JH Pari	M.S.	Aid. J.H.	G. H.S.	Aid. H.S.	G. I.C.	Aid. I.C.	Total
Bhilangana	154		22	15		45	15	251				15		45	15	75
Chamba	111		11	9		48		179				9		48		57
Deoprayag	97		25	12		30	6	170				12		30	6	48
Jakhanidhar	99			9		27		135				9		27		36
Jaunpur	132			9		24		165				9		24		33
Keertinagar	71		5	18		39		133				18		39		57
N.Nagar	146		11	3		39	3	202				3		39	3	45
P.Nagar	93		5	18		15	6	137				18		15	6	39
Thaoldhar	93			12		24	3	132				12		24	3	39
Total	996		79	105		291	33	1504	967	39	6	105		291	33	1441

६. शिक्षा गारंटी तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा

6 से 14 वर्ष वर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के शिक्षा गारंटी केंद्र एवं वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के अंगर्तत स्वयं सेवी संरथाओं से प्रस्ताव मांगे गए हैं उनसे प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को स्कूल लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

७. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

जनपद में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों एवं अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित किए जाने का लक्ष्य रख गया था। इस वर्ष 20986 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए। सामान्य वर्ग के 16845 बच्चों को राज्य सरकार के सौजन्य से पाइयपुस्तकें वितरित की गयीं।

Year	S.S.A. Class VI th To VIII th							G. Total	S.Govt Gen Boys	Total 6 th To 8th			
	Boys			Girls									
	SC	St	Total	Gen	SC	St	Total						
2002-2003	3136	16	3152	15735	2338	25	18098	21250	15970	37220			
2003-2004	3486	7	17683	3269	16		3285	20968	16846	37814			

८. समेकित शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांकन करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक बालिकाओं का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

गत वर्ष के प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण में समेकित शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को दिया गया। इसके अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु वे क्या—क्या

कर सकते हैं उन्हें विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर किन-किन सावधानियों को बरतना चाहिए ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करें उनके शिक्षण में क्या-क्या सावधानियां बरती जाय आदि की जानकारी उन्हें दी गयी है।

वर्ष 2003-2004 में विकासखंड प्रतापनगर एवं भिलंगना में स्वारथ्य विभाग टिहरी एवं एन0आई0वी0एच0 तथा एन0आईओ0एच0 देहरादून के सहयोग से एक विकलांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 6 से 18 वय वर्ग के विकलांग बच्चों का परीक्षण कर बच्चों को विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं बच्चों को उपकरण प्रदान किए गए।

इसके अंतर्गत जनपद में जिला एवं ब्लाक रत्तर पर कार्यशालाएं एवं सेमीनार आयेजित किए गए। विकलांगता परीक्षण एवं उपकरण वितरण शिविरों में पेरेंट्स कौसिलिंग भी की जाती हैं। एस0एम0सी0 एवं ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण में अध्यापकों एवं सुनुदाय के लोगों के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदीकरण के प्रयास किए गए।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लगाए गए विकलांगता परीक्षण द्वारा उपकरण वितरण शिविर

विभाग	तिथि	लाभान्वित बच्चों की संख्या	जिन विभागों/संस्थाओं का सहयोग लिया, का नाम	विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या	सहायता उपकरण हेतु चिन्हित बच्चों की संख्या
चम्पा	28.08.02	136	स्वारथ्य विभाग टिहरी, एन0आई0वी0एच0 देहरादून	51	51
	एवं 25.10.02	56	एन0आई0ओ0एच0 देहरादून। एन0आई0वी0एच0 देहरादून		44 बच्चों को उपकरण वितरित।
प्रतापनगर	16.05.03	85	"	23	04 छील चेयर, 21 सुनने की मशीन, 3 को चश्मा
भिलंगना	29.12.03	73	"		08 क्रेच, 14 सुनने की मशीन, 2 को चश्मा

d. बालिका शिक्षा के अन्तर्गत नवाचार

१. कम्प्यूटर शिक्षा

इसके अन्तर्गत जनपद में 5 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु बजट का प्राविधान प्रति विद्यालय रूपये 1.25 लाख की दर से किया गया था। साथ ही कम्प्यूटर कक्ष की फरनीशिंग एवं विद्युत व्यवस्था हेतु तथा इन विद्यालयों के 5 अध्यापकों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित करने हेतु बजट का प्राविधान किया गया था। कम्प्यूटर शिक्षा हेतु विद्यालयों का चयन कर धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

१०. अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था

जनपद में नवम् एवं दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत 16 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पदों का सृजन नहीं हो पाया है जिसके कारण ये विद्यालय भली-भाती संचालित नहीं हो पा रहे हैं। इस वर्ष की कार्य योजना में प्रति विद्यालय तीन पद के आधार पर 48 सहायक अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था की गई थी परंतु पदों पर नियुक्ति न हो पाने के कारण धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। वर्तमान में नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

११. नवीन खुले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों की व्यवस्था

जनपद में इस वर्ष खुले 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 02 अध्यापकों की दर से 74 अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था की गई थी, इन पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

१२. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जनपद में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों एवं हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रति विद्यालय 3 अध्यापक इस प्रकार कुल 1541 अध्यापकों डायट/बी0आर0सी0स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए थे परंतु प्रशिक्षण माड्यूल विकसित न हो पाने के कारण यह कार्य संपादित नहीं किया जा सका।

१३. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण

विद्यालय विकास हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करने एवं स्कूल प्रबंधन तथा ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से जनपद में इस वर्ष कुल लक्ष्य 543 के विरुद्ध 329 स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों को स्कूल/ग्राम सभा स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ-साथ 400 ग्रा0शि0समितियों का प्रशिक्षण कार्य जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित किया गया।

Block	Trained	
	VEC	SMC
Bhilangana	68	46
Chamba	38	32
Deoprayag	49	27
Jakhanidhar	40	29
Jaunpur	46	55
Keertinagar	34	37
N.Nagar	46	46
P.Nagar	42	28
Thaoldhar	37	29
Total	400	329

१४. बी0आर0सी0

जनपद में कुल 9 तिकास खण्ड हैं जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के प्रयोग्यकरण का कार्य करते हैं। बी0आर0सी0 के लिए यात्रा भत्ता, कंटेनजेन्सी एवं टी0एल0एम0 मदों में धनराशि प्राविधानित की गई थी, डी0पी0ई0पी0 से इन मदों में धनराशि प्राप्त होने के कारण धनराशि नहीं दी गयी। केवल यात्रा भत्ता एवं कंटेनजेन्सी मद में धनराशि व्यय की गयी। शेष मदों में डी0पी0ई0पी0 से धनराशि प्राप्त होने के कारण धनराशि नहीं दी गयी।

१५. एन०पी०आर०सी०

जनपद में कुल 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं जिनमें 76 एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्यरत हैं, जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के प्रयोगशक्ति का कार्य करते हैं। जनपद में कुल 76 एन०पी०आर०सी० के लिए यात्रा भत्ता, कन्टेनेजेन्सी एवं टी०एल०एम० मद में धनराशि का प्राविधान किया गया था। इस वर्ष की कार्य योजना में 22 नई सी०आर०सी० के गठन के लिए एवं उनमें कार्यरत 22 समन्वयकों के बेतन आदि की व्यवस्था की गई थी। परंतु पदों की स्थीकृति न मिल पाने के कारण अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी। केवल यात्रा भत्ता, टी०एल०एम० एवं कन्टेनेजेन्सी मद में धनराशि व्यय की गयी। शेष मदों में डी०पी०ई०पी० से धनराशि प्राप्त होने के कारण धनराशि नहीं दी गयी।

१६. शौध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (RESM)

जनपद में गत वर्ष कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने वाली कुल 543 सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं थीं। प्रति विद्यालय 1400.00 की दर से इस मद में धनराशि का प्राविधान किया गया था। इस वर्ष विभिन्न कार्यशालाओं, सेमीनार, शोध एवं लघु-शोध, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन, विभिन्न प्रपत्रों के मुद्रण आदि पर धनराशि व्यय की गयी।

१७. जिला परियोजना कार्यालय

परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिला परियोजना कार्यालय में यात्रा भत्ता, कंज्यूमेबल, उपकरण एवं वाहन मरम्मत एवं पी०ओ०एल० मद आकस्मिक व्यय, वाहन किराया, एवं वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मद में धनराशि प्राविधानित की गई थी। जनपद में निर्माण कार्यों के तकनिकी पर्यवेक्षण हेतु जनपद में निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत आर०ई०एस० का सहयोग लिया जायेगा। ऐजेन्सी के सहायक अभियन्ता एवं अद्वा अभियन्ताओं के लिये प्रति उच्च प्रा०वि० भवन प्रति कक्षा-कक्ष एवं प्रति शौचालय की दर से बजट का प्राविधान किया गया था। डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत जनपद में ई०एम०आई०एस०सेल की स्थापना की गई है। सेल में सेल फर्नीसिंग, कम्प्यूटर कंज्यूमेबल मद में धनराशि प्राविधानित की गई थी। जनपद में इस वर्ष कम्प्यूटर क्रय एवं ई०एम०आई०एस०सेल फर्नीसिंग मद में धनराशि व्यय की गयी।

इस वर्ष यात्रा भत्ता, कंज्यूमेबल, उपकरण एवं वाहन मरम्मत एवं पी०ओ०एल० मद आकस्मिक व्यय, वाहन किराया, एवं वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मद में धनराशि व्यय की गयी।

१८. एन०पी०ई०जी०ई०एल०

परियोजना के अंतर्गत गत वर्ष इस कार्यक्रम में पृथक से मदों में धनराशि स्थीकृत हुई है। कुल 06 में कक्ष निर्माण हेतु धनराशि स्थीकृत हुई, कितु कार्यक्रम की स्थीकृति देर सं प्राप्त होने एवं धनराशि प्राप्त न हाक पाने के कारण कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा सका।

विस्तृत विवरण संलग्न तालिका 'ए' पर अंकित है –

Table-A : Last Year Activities Progress (Year 2003-04 Progress Year 2004-05)

SARVA SHIKSHA ABHIYAN Tehri Garhwal

Code	Activities/Particulars	Last year Sanction Amount With Spill Over		Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievet.		Expenditure		Approx. Savin and Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark))	Rs. In Thousand
		Ph.	Fin.			Till 31st Dec.	Till 31st March	Till 31st Dec.	Till 31st March App			
I Civil Work												
1	New Primary School				0.00					0.00		
2	New Upper Primary School	9	5400.00		5400.00		9		5400.00	0.00		
3	Re-Construction PS				0.00					0.00		
4	Re-Construction UPS	21+15	17400.00		17400.00		17+15		15800.00	1600.00	17 @ of 400 & 15 @ of 6.0	
5	A Class Room PS				0.00					0.00		
6	A Class Room UPS	10+20	3400.00		3400.00	10	20	700.00	3400.00	0.00	10 @ of 70 & 20 @ of 135	
7	Toilet PS				0.00					0.00		
8	Toilet UPS	20+50	1050.00		1050.00	20	67	300.00	1005.00	45.00		
9	D Water PS				0.00					0.00		
10	D Water UPS				0.00					0.00		
11	B Wall PS				0.00					0.00		
12	B Wall UPS	5	250.00		250.00					250.00		
13	Major Repairs PS				0.00					0.00		
14	Major Repairs UPS				0.00					0.00		
15	Construction of BRC				0.00					0.00		
16	Construction of CRC	4	1800.00		1800.00					1800.00		
17	Electrification				0.00					0.00		
18	Any Other				0.00					0.00		
					0.00					0.00		
TOTAL			29300.00	0.00	29300.00	30.00	96.00	1000.00	25605.00	3695.00		
II Teaching Learning Equipment												
1	TLE New PS				0.00					0.00		
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)	85+80	8250.00		8250.00		85+80		8250.00	0.00		
3	TLE New UPS	37	1850.00		1850.00					1850.00		
	TOTAL		10100.00	0.00	10100.00			0.00	8250.00	1850.00		
III School Grant												
1	School Improvement Grants PS				0.00					0.00		
2	School Improvement Grants UPS	543	1086.00		1086.00	479	479	958.00	958.00	128.00		
	TOTAL		1086.00	0.00	1086.00			958.00	958.00	128.00		
IV Maintenance Grant												
1	Maintenance Grants PS				0.00					0.00		
2	Maintenance Grants UPS	100	500.00		500.00	100	100	500.00	500.00	0.00		
	TOTAL		500.00	0.00	500.00			500.00	500.00	0.00		

Code	Activities/Particulars	Last year Sanction Amount With Spill Over		Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievet.	Expenditure		Approx. Savin g Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark))
		Ph.	Fin.			Till 31st Dec.	Till 31st March	Till 31st Dec.	
V	Teacher Grant (TLM)								
1	Teacher Grant (TLM) PS			0.00				0.00	
2	Teacher Grant (TLM) UPS	1541	770.50	770.50	1441	1441	720.50	720.50	50.00
	TOTAL		770.50	0.00	770.50		720.50	720.50	50.00
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)								
1	EGS Primary (No. of Children)			0.00				0.00	
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	300	360.00	360.00				360.00	
	TOTAL		360.00	0.00	360.00		0.00	0.00	360.00
	Alter. & Innovative Education (AIE)								
3	AIE Primary (No. of Children)			0.00				0.00	
4	AIE Upper Primary (No. of Children)	100	3000.00	3000.00				3000.00	
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)	100	84.50	84.50				84.50	
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)			0.00				0.00	
7	Any Other			0.00				0.00	
				0.00				0.00	
	TOTAL		3084.50	0.00	3084.50		0.00	0.00	3084.50
VII	Free Text Books								
1	F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS	9966	1046.22	-1046.22	0.00			0.00	
2	F.T.Books to SC/ST children & GirlsUPS	14946	1195.68	2152.96	3349.64	20968	20968	3349.64	3349.637
	TOTAL		2241.90	1106.74	3349.64		3349.64	3349.64	0.00
VIII	1. Ed.	703	843.60		843.60		12.00	50.00	793.60
	TOTAL		843.60	0.00	843.60		12.00	50.00	793.60
IX	Innovative Activities								
1	Computer Education		1500.00		1500.00			1500.00	0.00
2	E.C.C.E.			0.00				0.00	
3	Girls Education		1000.00		1000.00			1000.00	
4	SC/ST Intervention		1500.00		1500.00			1500.00	
5	Tea Garden/Special Areas			0.00				0.00	
6	Any Other MCDA		1000.00		1000.00			1000.00	
	TOTAL		5000.00	0.00	5000.00		0.00	1500.00	3500.00
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year								
1	Salary of Teachers PS			0.00				0.00	
2	Salary of Teachers UPS			0.00				0.00	
3	Salary of Additional Teachers PS			0.00				0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS	48	4608.00		4608.00			4608.00	
5	Salary of ParaTeachers			0.00				0.00	
6	Any Other			0.00				0.00	
	TOTAL		4608.00	0.00	4608.00		0.00	0.00	4608.00

Code	Activities/Particulars	Last year Sanction Amount	Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievet.	Expenditure		Approx. Savin	Previous Particulars with Note (Remark))
		With Spill Over	Ph.	Fin.	Till 31st Dec.	Till 31st March	Till 31st Dec.	Till 31st March App	
XI	Salary of Teachers Sanctioned in Pre Year								
1	Salary of Teachers PS			0.00				0.00	
2	Salary of Teachers UPS	74	7104.00	-1106.74	5997.26			5997.26	
3	Salary of Additional Teachers PS			0.00				0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS			0.00				0.00	
5	Salary of ParaTeachers			0.00				0.00	
6	Any Other			0.00				0.00	
	TOTAL	7104.00	-1106.74	5997.26		0.00	0.00	5997.26	
XII	Teacher Training								
1	Induction Training (30 days)	1686	3540.60		3540.60			3540.60	
2	10 Days In-service Course	1541	1078.70		1078.70			1078.70	
3	10 Days Orientation For Freshly Trd. Recruit UPS			0.00				0.00	
4	15 Days Recurring For Untrained Teachers			0.00				0.00	
5	Any Other			0.00				0.00	
	TOTAL	4619.30	0.00	4619.30		0.00	0.00	4619.30	
XIII	Strengthening Of VEC								
1	VFC Training			0.00				0.00	
2	SMC Training	543	260.64		260.64	329	329	157.920	158.00
	TOTAL		260.64	0.00	260.64			157.92	158.00
XIV	BRC (Administrative)								
1	Salary of Co-ordinator			0.00				0.00	
2	Salary of Co Co-ordinator			0.00				0.00	
3	Equipment & Furniture/fiture & Equipment			0.00				0.00	
4	Travelling Allowance & Meetings	9	54.00		54.00			9.00	45.00
5	Maintinance of Equipment			0.00				0.00	
6	Maintinance of Building			0.00				0.00	
7	TLM Grant	9	45.00		45.00			45.00	
8	Contigency	9	112.50		112.50			67.50	45.00
9	Any Other			0.00				0.00	
	TOTAL		211.50	0.00	211.50		0.00	76.50	135.00
XV	CRC (Administrative)								
1	Salary of Co-ordinator	22	2112.00		2112.00			2112.00	
2	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	11	110.00		110.00			110.00	
3	Travelling Allowance & Meetings	98	235.20		235.20	76		30.40	204.80
4	Maintinance of Equipment			0.00				0.00	
5	Maintinance of Building			0.00				0.00	
6	TLM Grant	98	98.00		98.00	76		76.00	22.00
7	Contigency	98	245.00		245.00	76		114.00	131.00
8	Any Other			0.00				0.00	
	TOTAL		2800.20	0.00	2800.20		0.00	220.40	2579.80

Code	Activities/Particulars	Last year Sanction Amount With Spill Over		Re-appropriate Amount	Revised Sanctioned Amount	Phy. Achievet.		Expenditure		Approx. Savin stand Balancing Amount	Previous Particulars with Note (Remark))
		Ph.	Fin.			Till 31st Dec.	Till 31st March	Till 31st Dec.	Till 31st March App		
XVI	Research, Monitoring & Evaluation									0.00	
1	PS				0.00					0.00	
2	UPS	543	760.20		760.20			65.84	161.69	598.51	
	TOTAL		760.20	0.00	760.20			65.84	161.69	598.51	
XVII	Management										
1	Salary of Staff		55.00		55.00					55.00	
	Consultants				0.00					0.00	
2	Honorarium for Civil Work										
	AE		24.00		24.00					24.00	
	JE		626.00		626.00					626.00	
3	Travelling Allowance		50.00		50.00			40.00		10.00	
4	Maintenance of Equipment		20.00		20.00			10.00		10.00	
5	Telephone / Fax				0.00					0.00	
6	Contingency		20.00		20.00			20.00		0.00	
7	Consumable		20.00		20.00			20.00		0.00	
8	POL & Vehicle Maintenance				0.00					0.00	
9	Maintenance of Vehicle				0.00					0.00	
10	POL for Motor cycle				0.00					0.00	
11	Hiring of Vehicle		20.00		20.00			10.00		10.00	
12	AWP&B		20.00		20.00		8.18	10.00		10.00	
13	Capi. Buil. For Edu. Pur.	90	63.00		63.00					63.00	
14	Capi. Buil. For Proj. Staff	120	144.00		144.00					144.00	
15	EMIS Cell				0.00					0.00	
16	Inovation				0.00					0.00	
	TOTAL		1062.00	0.00	1062.00			8.18	110.00	952.00	
XVIII	NPEGEL	6	1819.00		1819.00					1819.00	
	TOTAL		1819.00	0.00	1819.00			0.00	0.00	1819.00	
	Grand Total		76531.34	0.00	76532.34			6772.073	41659.727	34872.613	

आगे जारी रखो गये कार्यों की योजना

वर्ष 2003-04 में विभिन्न मदों में खीकृत धनराशि देर से प्राप्त होने के कारण सम्बन्धित मद में धनराशि व्यय नहीं की जा सकी। जिन मदों में कार्य वर्ष 2004-05 में संपादित करने का लक्ष्य रखा गया है उन मदों में धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नवत् भौतिक लक्ष्यों एवं धनराशि को स्पिल ओवर किया गया है—

१. निर्माण कार्य

जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 36 भवनहीन एवं 09 नए खुले उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु भवन 30 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं 70 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु शौचालय निर्माण की स्थीकृति 04 सी0आर0सी0 निर्माण एवं 05 बाउंड्रीवाल की खीकृति प्राप्त हुई थी।

क. भवन पुनर्निर्माण

गत वर्ष में 36(21+15) भवनहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए क्रमशः रु0 40 हजार एवं रु0 600 हजार प्रति विद्यालय की दर से बजट का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था। 32 विद्यालयों के निर्माण के लिए धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को अवमुक्त की जा चुकी है। 04 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्थलों का चयन कर धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। अतः इस मद में प्राप्त 04 भवनों के निर्माण के लिए धनराशि एवं समरत भौतिक लक्ष्य को स्पिल ओवर किया गया है। आगामी वर्ष में इनका निर्माण कार्य संपादित कर दिया जाएगा।

खा. शौचालय निर्माण

गत वर्ष में 70 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण के लिए रु0 15 हजार प्रति शौचालय की दर से बजट का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था। 67 विद्यालयों का चयन कर उनमें शौचालय निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष 03 के लिए धनराशि प्राप्त न हो पाने के कारण निर्माण कार्य संपादित नहीं किया जा सका है। आगामी वर्ष में इनका निर्माण कार्य संपादित कर दिया जाएगा।

ग. बाउंड्रीवाल निर्माण

गत वर्ष में 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए रु0 50 हजार प्रति बाउंड्रीवाल की दर से बजट का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था। विद्यालय चयनित न हो पाने के कारण निर्माण कार्य संपादित नहीं किया जा सका है। आगामी वर्ष में इनका निर्माण कार्य संपादित कर दिया जाएगा।

घा. संकुल संसाधन केंद्र निर्माण

गत वर्ष में 04 सी0आर0सी0 के भवन निर्माण के लिए रु0 450 हजार प्रति सी0आर0सी0 की दर से बजट का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना में किया गया था। धनराशि प्राप्त न हो पाने के कारण निर्माण कार्य संपादित नहीं किया जा सका है।

२. टी०एल०ई० अनुदान

इस वर्ष की कार्य योजना में जनपद में 37 नवीन खुले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय रु० 50 हजार की दर से बजट का प्राविधान किया गया था। धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों की उपलब्ध कराई जा रही है। अतः इस मद में प्राप्त धनराशि एवं भौतिक लक्ष्य को स्पष्ट ओवर किया गया है। आगामी वर्ष में यह कार्य संपादित कर दिया जाएगा।

३. घन०पी०ई०जी०ई०एल०

परियोजना के अतर्गत गत वर्ष इस कार्यक्रम में पृथक से मदों में धनराशि स्वीकृत हुई है। कुल 06 में कक्ष निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुई, किंतु कार्यक्रम की स्वीकृति देर से प्राप्त होने एवं धनराशि प्राप्त न होने पाने के कारण कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जा सका। आगामी वर्ष में यह कार्य संपादित कर दिया जाएगा।

आगे जारी रखे गये कार्यों का विवरण

क्र०	विवरण	लक्ष्य	समय एवं क्रियान्वयन एवं सी
1	उ०प्रा०विद्यालय भवन निर्माण	04	ग्राम शिक्षा समिति दिसम्बर 2004
2	वाउंड्रीवाल निर्माण	05	ग्राम शिक्षा समिति दिसम्बर 2004
3	उ०प्रा०विद्यालय शौचालय निर्माण	03	ग्राम शिक्षा समिति दिसम्बर 2004
4	रपी०आर०सी० भवन निर्माण	04	ग्राम शिक्षा समिति दिसम्बर 2004
5	नवीन उ०प्रा०विद्यालय टी०एल०ई० अनुदान	37	ग्राम शिक्षा समिति जुलाई 2004
6	एन०पीजी०ई०एल० के अंतर्गत कक्ष निर्माण	06	ग्राम शिक्षा समिति दिसम्बर 2004

विस्तृत विवरण संलग्न तालिका 'बी' एवं 'बी-1' पर अंकित है —

Table - B Spill Over Work Plan for Coming (Next) Year 2004-2005

SARVA SHIKSHA ABHIYAN Tehri Garhwal

Rs. In Thousand

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
		Balance Phy. Target	Balancing Amount					
I	Civil Work							
1	New Primary School		0.00		378.00			
2	New Upper Primary School		0.00		600.00			
3	Re-Construction PS		0.00		378.00			
4	Re-Construction UPS	4+0	1600.00	✓ 4+0	600.00	1600.00	DPO & VEC Dec. 2004	
5	A. Class Room PS		0.00		135.00			
6	A. Class Room UPS		0.00		135.00			
7	Toilets PS		0.00		15.00			
8	Toilets UPS	3	45.00	✓ 3	15.00	45.00	DPO & VEC Dec. 2004	
9	D. Water PS		0.00		20.00			
10	D. Water UPS		0.00		20.00			
11	B. Wall PS		0.00		40.00			
12	B. Wall UPS	5	250.00	✓ 5	50.00	250.00	DPO & VEC Dec. 2004	
13	Major Repairs PS		0.00					
14	Major Repairs UPS		0.00					
15	Construction of BRC		0.00					
16	Construction of CRC	4	1800.00	✓ 4	450.00	1800.00	DPO & VEC Dec. 2004	
17	Electrification		0.00					
18	Any Other		0.00					
	TOTAL		3695.00			3695.00		
II	Teaching Learning Equipment							
1	TLE New PS		0.00		10.00			
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)		0.00		50.00	0.00		(85+80)
3	TLE New UPS	37	1850.00		50.00	1850.00	DPO & VEC July 2004	
	TOTAL		1850.00			1850.00		
III	School Grant							
1	School Improvement Grants PS		0.00		2.00			
2	School Improvement Grants UPS		128.00		2.00			
	TOTAL		128.00			0.00		
IV	Maintenance Grant							
1	Maintenance Grants PS		0.00					
2	Maintenance Grants UPS		0.00					
	TOTAL		0.00			0.00		

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
		Balance Phy. Target Balance	Balancing Amount					
V	Teacher Grant (TLM)							
1	Teacher Grant (TLM) PS		0.00		0.50			
2	Teacher Grant (TLM) UPS		50.00		0.50			
	TOTAL		50.00			0.00		
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)							
1	EGS Primary (No. of Children)		0.00					
2	EGS Upper Primary (No. of Children)		360.00					
	TOTAL		360.00			0.00		
	Alter. & Innovative Education (AIE)							
3	AIE Primary (No. of Children)		0.00					
4	AIE Upper Primary (No. of Children)		3000.00					
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)		84.50					
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)		0.00					
7	Any Other		0.00					
			0.00					
	TOTAL		3084.50			0.00		
VII	Free Text Books							
1	F.T.Books to SC/ST children & GirlsPS		0.00		0.07			
2	F.T.Books to SC/ST children & GirlsUPS		0.00		0.15			
	TOTAL		0.00			0.00		
VIII	I. Ed.		793.60					
	TOTAL		793.60			0.00		
IX	Innovative Activities							
1	Computer Education		0.00		500.00			
2	E.C.C.E.		0.00		500.00			
3	Girls Education		1000.00		500.00			
4	SC/ST Intervention		1500.00		500.00			
5	Tea Garden/Special Areas		0.00		500.00			
6	Any Other		1000.00					
	TOTAL		3500.00			0.00		
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year							
1	Salary of Teachers PS		0.00					
2	Salary of Teachers UPS		0.00					
3	Salary of Additional Teachers PS		0.00					
4	Salary of Additional Teachers UPS		4608.00					
5	Salary of ParaTeachers		0.00					
6	Any Other		0.00					
	TOTAL		4608.00			0.00		

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target	Unit Cost	Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
		Balance Phy. Target	Balancing Amount					
XI	Salary of Teachers Sanctioned in Pre-Year							
1	Salary of Teachers PS		0.00					
2	Salary of Teachers UPS ✓		5997.26					
3	Salary of Additional Teachers PS		0.00					
4	Salary of Additional Teachers UPS		0.00					
5	Salary of ParaTeachers		0.00					
6	Any Other		0.00					
	TOTAL		5997.26			0.00		
XII	Teacher Training							
1	Induction Training (30 days)		3540.60	✓				
2	10 Days In-service Course		1078.70	✓				
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS		0.00					
4	15 Days Recurring For Untrained Teachers		0.00					
5	Any Other		0.00					
	TOTAL		4619.30			0.00		
XIII	Strengthening Of VEC							
1	VEC Training		0.00		0.48			
2	SMC Training		102.64		0.48			
	TOTAL		102.64			0.00		
XIV	BRC (Administrative)							
1	Salary of Co-ordinator		0.00					
2	Salary of Co Co-ordinator		0.00					
3	Equipment & Furniture/fiture & Equipment		0.00		100.00			
4	Travelling Allowance & Meetings		45.00		6.00			
5	Maintinace of Equipment		0.00					
6	Maintinace of Building		0.00					
7	TLM Grant		45.00		5.00			
8	Contingency		45.00		12.50			
9	Any Other		0.00					
	TOTAL		135.00			0.00		
XV	CRC (Adnunistrative)							
1	Salary of Co-ordinator		2112.00					
2	Equipment & Furniture/fiture & Equipment		110.00		10.00			
3	Travelling Allowance & Meetings		204.80		2.40			
4	Maintinace of Equipment		0.00					
5	Maintinace of Building		0.00					
6	TLM Grant		22.00		1.00			
7	Contingency		131.00		2.50			
8	Any Other		0.00					
	TOTAL		2579.80			0.00		

Code	Activities/Particulars	Approximate		Balance Continue (Spill Over) Phy. Target		Financial Expenditure for Continue Spill Over	Implementation Agency & Time Period	Remark
		Balance Phy. Target	Balancing Amount					
XVI	Research, Monitoring & Evaluation							
1	PS		0.00		1.400			
2	UPS		598.51		1.400			
	TOTAL		598.51			0.00		
XVII	Management							
1	Salary of Staff		55.00					
	Consultants		0.00					
2	Honorarium for Civil Work		0.00					
	A.E.		24.00					
	J.E.		626.00					
3	Travelling Allowance		10.00		50.00			
4	Maintinace of Equipment		10.00		25.00			
5	Telephone / Fax		0.00		25.00			
6	Contingency		0.00		50.00			
7	Consumable		0.00		25.00			
8	POI. & Vehicle Maintenance		0.00		50.00			
9	Maintenance of Vehicle		0.00					
10	POI. for Motor cycle		0.00					
11	Hiring of Vehicle		10.00		20.00			
12	AWT&B		10.00		20.00			
13	Capi. Buil. For Edu. Fun.		63.00					
14	Capi. Buil. For Proj. Staff		144.00					
15	EMIS Cell		0.00					
16	Inovatation		0.00		100.00			
	TOTAL		952.00			0.00		
XVIII	NPEGEL		1819.00	6	200	1200.00	DPO & VEC Dec. 2004	6 Room Construction
	TOTAL		1819.00			1200.00		
	Grand Total		34872.61			6745.00		

SARVA SHIKSHA ABHIYAN, TEHRI GARHWAL
AWP&B 2003-2004 (Sencion Amount, Saving & Spill Over Amount)

S.N.	Activities/Particulars	Total AWP&B 2003-2004	Sencion Amount	Exp. Till 31/3/2004	Sencion Amount Spill Over	Saving
I Civil Work						
1	New Primary School	0.00		0.00	0.00	0.00
2	New Upper Primary School	5400.00	5400.00	5400.00	0.00	0.00
3	Re-Construction PS	0.00		0.00	0.00	0.00
4	Re-Construction U.P.S	1740.00	17400.00	5800.00	1600.00	0.00
5	A.Class Room PS	0.00		0.00	0.00	0.00
6	A.Class Room UPS	3400.00	3400.00	3400.00	0.00	0.00
7	Toilets PS	0.00		0.00	0.00	0.00
8	Toilets UPS	1050.00	1050.00	1005.00	45.00	0.00
9	D.Water PS	0.00		0.00	0.00	0.00
10	D.Water UPS	0.00		0.00	0.00	0.00
11	B.Wall PS	0.00		0.00	0.00	0.00
12	B.Wall UPS	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
13	Major Repairs PS	0.00		0.00	0.00	0.00
14	Major Repairs UPS	0.00		0.00	0.00	0.00
15	Construction of BRC	0.00		0.00	0.00	0.00
16	Construction of CRC	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00
17	Electrification	0.00		0.00	0.00	0.00
18	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	29300.00	29300.00	25605.00	3695.00	0.00
II Teachong Learning Equipment						
1	TLE New PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)	8250.00	8250.00	8250.00	0.00	0.00
3	TLE New UPS	1850.00	1850.00	0.00	1850.00	0.00
	TOTAL	10100.00	10100.00	8250.00	1850.00	0.00
III School Grant						
1	School Improvement Grants PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	School Improvement Grants UPS	1086.00	958.00	958.00	0.00	0.00
	TOTAL	1086.00	958.00	958.00	0.00	0.00
IV Maintenance Grant						
1	Maintenance Grants PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Maintenance Grants UPS	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	TOTAL	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

S.N.	Activities/Particulars	Total AWP&B 2003-2004	Senction Amount	Exp. Till 31/3/2004	Senction Amount	
					Spill Over	Saving
V	Teacher Grant (TLM)					
1	Teacher Grant (TLM) PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Teacher Grant (TLM) UPS	770.50	720.50	720.50	0.00	0.00
	TOTAL	770.50	720.50	720.50	0.00	0.00
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)					
1	EGS Primary (No. of Children)	0.00		0.00	0.00	0.00
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	360.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alter. & Innovative Education (AIE)					
3	AIE Primary (No. of Children)	0.00		0.00	0.00	0.00
4	AIE Upper Primary (No. of Children)	3000.00		0.00	0.00	0.00
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)	84.50		0.00	0.00	0.00
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)	0.00		0.00	0.00	0.00
7	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	3084.50	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	Free Text Books					
1	F.T. Books to SC/ST children & GirlsPS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	F.T. Books to SC/ST children & GirlsUPS	3349.64	3349.64	3349.64	0.00	0.00
	TOTAL	3349.64	3349.64	3349.637	0.000	0.00
VIII	I. Ed.	843.60	110.00	50.00	0.00	60.00
	TOTAL	843.60	110.00	50.00	0.00	60.00
IX	Innovative Activities					
1	Computer Education	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
2	E.C.C.E.	0.00		0.00	0.00	0.00
3	Girls Education	1000.00		0.00	0.00	0.00
4	SC/ST Intervention	1500.00		0.00	0.00	0.00
5	Tea Garden/Special Areas	0.00		0.00	0.00	0.00
6	Any Other	1000.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5000.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year					
1	Salary of Teachers PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Salary of Teachers UPS	0.00		0.00	0.00	0.00
3	Salary of Additional Teachers PS	0.00		0.00	0.00	0.00
4	Salary of Additional Teachers UPS	4608.00		0.00	0.00	0.00
5	Salary of ParaTeachers	0.00		0.00	0.00	0.00
6	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4608.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S.N.	Activities/Particulars	Total AWP&B 2003-2004	Sanction Amount	Exp. Till 31/3/2004	Sanction Amount Spill Over	Sanction Amount Saving
XI	Salary of Teachers Sanctioned in Pre.Year					
1	Salary of Teachers PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Salary of Teachers UPS	5997.26		0.00	0.00	0.00
3	Salary of Additional Teachers PS	0.00		0.00	0.00	0.00
4	Salary of Additional Teachers UPS	0.00		0.00	0.00	0.00
5	Salary of ParaTeachers	0.00		0.00	0.00	0.00
6	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5997.26	0.00	0.00	0.00	0.00
XII	Teacher Training					
1	Induction Training (30 days)	3540.60		0.00	0.00	0.00
2	10 Days In-service Course	1078.70		0.00	0.00	0.00
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS	0.00		0.00	0.00	0.00
4	15 Days Recuring For Untrained Teachers	0.00		0.00	0.00	0.00
5	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4619.30	0.00	0.00	0.00	0.00
XIII	Strengthening Of VEC					
1	VEC Training	0.00		0.00	0.00	0.00
2	SMC Training	260.64	157.92	158.00	0.00	-0.08
	TOTAL	260.64	157.92	158.00	0.00	-0.08
XIV	BRC (Administrative)					
1	Salary of Co-ordinator	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Salary of Co Co-ordinator	0.00		0.00	0.00	0.00
3	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	0.00		0.00	0.00	0.00
4	Travelling Allowance & Meetings	54.00	9.00	9.00	0.00	0.00
5	Maintinace of Equipment	0.00		0.00	0.00	0.00
6	Maintinace of Building	0.00		0.00	0.00	0.00
7	TLM Grant	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Contigency	112.50	67.50	67.50	0.00	0.00
9	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	211.50	76.50	76.50	0.00	0.00
XV	CRC (Administrative)					
1	Salary of Co-ordinator	2112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	110.00		0.00	0.00	0.00
3	Travelling Allowance & Meetings	235.20	30.40	30.40	0.00	-0.00
4	Maintinace of Equipment	0.00		0.00	0.00	0.00
5	Maintinace of Building	0.00		0.00	0.00	0.00
6	TLM Grant	98.00	76.00	76.00	0.00	0.00
7	Contigency	245.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8	Any Other	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	SSA AWP.B01	220.40	220.40	0.00	0.00

S.N.	Activities/Particulars	Total AWP&B 2003-2004	Sanction Amount	Exp. Till 31/3/2004	Sanction Amount Spill Over	Sanction Amount Saving
XVI	Research, Monitoring & Evaluation					
1	PS	0.00		0.00	0.00	0.00
2	UPS	760.20	150.00	161.69	0.00	-11.69
	TOTAL	760.20	150.00	161.69	0.00	-11.69
XVII	Management					
1	Salary of Staff	35.00		0.00	0.00	0.00
	Consultants	0.00		0.00	0.00	0.00
2	Honorarium for Civil Work	0.00		0.00	0.00	0.00
	A.E.	24.00		0.00	0.00	0.00
	J.E	626.00		0.00	0.00	0.00
3	Travelling Allowance	50.00	40.00	40.00	0.00	0.00
4	Maintinance of Equipment	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00
5	Telephone Fax	10.00		0.00	0.00	0.00
6	Contingency	20.00	5.00	20.00	0.00	-15.00
7	Consumable	20.00	5.00	20.00	0.00	-15.00
8	POL & Vehicle Maintenance	0.00		0.00	0.00	0.00
9	Maintenance of Vehicle	0.00		0.00	0.00	0.00
10	POI. for Motor cycle	0.00		0.00	0.00	0.00
11	Hiring of Vehicle	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00
12	AWP&B	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00
13	Capi. Buil. For Edu. Fun.	63.00		0.00	0.00	0.00
14	Capi. Buil. For Proj. Staff	144.00		0.00	0.00	0.00
15	EMIS Cell	10.00		0.00	0.00	0.00
16	Inovation	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	1062.00	80.00	110.00	0.00	-30.00
XVIII	NPEGEL	1819.00		0.00	1200.00	-1200.00
	TOTAL	1819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Grand Total	76532.34	27870.23	41659.727	6745.00	-20534.50

1	Balance Last Year		10660.230			
2	Recipet Current Year		17210.000			
3						
4	Total		27870.230			

'Need for opening new schools'

• Scarcity of teachers

• Many women are illiterate in this region

अध्याय-पांच

समस्याएं एवं रणनीतियां (Intervention & Strategies)

जनपद में कई बस्तियां अभी भी ऐसी हैं जिनमें मानकानुसार नवीन विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जो जनसंख्या सम्बन्धी मानक को पूरा नहीं करती, परन्तु उनमें प्रारंभिक स्तर का शिक्षा सुविधाएं काफी दूर हैं। जनपद में कई आबादी क्षेत्र ऐसे हैं जो मूल गांव से दूर हैं तथा उनमें एक से चार परिवार तक निवास करते हैं ऐसे लोग मुख्य रूप से कृषि, बागवानी एवं पशुपालन में संलग्न रहते हैं। कहीं-कहीं बरसात में नदी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। गांवों की अधिसंख्यक महिलायें निरक्षर होने के कारण शिक्षा की ज़रूरत से वाकिफ नहीं हैं फलतः वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए जागरूक नहीं हैं। विद्यालयों में नामांकन बच्चों का मूल अधिकार होना चाहिए यह जागरूकता समुदाय में नहीं है। जनपद के दूरी की दृष्टि से विकट क्षेत्रों में कम आयु के बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता है। कई बच्चों के अभिभावक बहुत गरीब हैं जो पढ़ने के अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं ढो सकते हैं। गरीबी के कारण कठिपय अभिभावक बच्चों को स्कूलों में न भेजकर उन्हें घेरलू कार्यों यथा खेती, जानवर चुगाना, गाई बहनों वी देखभाल करना आदि में लगा देते हैं। कुछ 6 से 14 वर्ष के बच्चे जिनका किन्हीं कारणवश विद्यालयों में इससे पूर्व नामांकन नहीं हो पाया वे विद्यालय में नामांकित होने से झेपते हैं तथा उनके अभिभावक भी रुचि नहीं रखते हैं, कगोंकि वे उनके दैनिक क्रियाकलापों (खेती-बाड़ी, पशुपालन) में हाथ बंटाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं को पढ़ने पढ़ाने के मुद्दे पर दूसरे की प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

ऐसी असेवित बस्तियों जो नवीन विद्यालय खोलने के मानक को पूरा करती थी उनमें नवीन प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय खोले गये हैं, जो बस्तियां राज्य मानकानुसार नवीन विद्यालय खोले जाने की श्रेणी को पूर्ण नहीं करती वहां शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा के तहत विद्या केन्द्र, शिक्षा घर खोलकर शत-प्रतिशत पहुंच कर लक्ष्य प्राप्त करना है। पर्वतीय विकट भौगोलिक समस्या को देखते हुए ई.जी.एस. शिक्षा गारण्टी योजना के तहत 10-15 बच्चों पर विद्याकेन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा के तहत 20 बच्चों पर शिक्षा घर खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों की उम्र चलने फिरने लायक होने पर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों के सक्रिय सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे शैक्षणिक वातावरण का सृजन किया जा सके। माह जूलाई के प्रथम सप्ताह में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जायेगा, जिनमें अध्यापक घर-घर जाकर आयु 6-14 के बच्चों का नामांकन करेंगे। बालिकाओं के वंचित वर्ग के शत-प्रतिशत नामांकन हेतु विभिन्न महिला संगठनों का सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु महिला समाख्या से भी सहयोग लिया जाएगा।

जनपद में उत्तर सारक्षता कार्यक्रम चलाया जा रहा है साक्षरता कार्यक्रम के साथ सर्व शिक्षा कार्यक्रम को जोड़ते हुए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु जनजागरण अभियान चलाये जाने का प्रबंध किया गया है। साक्षरता कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के बारे में जानकारी दे दी गई है। विकास

खण्डों में उत्तर साक्षरता के कार्यों का सम्पादन बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की सहायता से किया जा रहा है। विकास खण्ड जौनपुर, प्रतापनगर व भिलंगना के दूरस्थ गांव एवं आवागमन हेतु विकट गांवों को चिन्हीकृत कर स्थानीय आवश्यकतानुकूल शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के प्रयास सर्व शिक्षा कार्यक्रम के नवाचार कार्यक्रमों गांव के सदस्यों का अंतर्विकास खण्डीय / अंतर्जनपदीय एक्सपोजर भ्रमणों द्वारा किया जायेगा।

जनपद में समन्वित बाल विकास विभाग के साथ सामजंस्य कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाय भी की जा रही है, ताकि उसे 6 वय वर्ग से छोटे बच्चे वहां पर रहकर नियमित रूप से विद्यालयों में आने के लिए प्रेरित हो व उनके बड़े भाई बहन नियमित विद्यालय में आ सके। परियोजना में समन्वित बाल विकास विभाग के साथ सामजंस्य कर ई.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जाएंगे।

अध्यापक द्वारा बच्चों के मानसिक स्तर पर मूल्यांकन पर उनकी बड़ी उम्र को भी ध्यान में रखते हुए कक्षोन्नति प्रदान की जानी चाहिए। कठोरन्त बच्चों के लर्निंग गैप को भरने के लिए विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान हो तथा अभिभावकों से सतत सम्पर्क रखा जायेगा।

जनपद की लगभग 93.48 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है व वहां पर स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावक खेती पर निर्भर होने के कारण गरीब है। अतः परियोजनान्तर्गत समस्त वर्ग की बालिकाओं को, अ.जा., अ.ज.जा. के बालक-बालिकाओं का निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएंगी।

क. स्कूल के अनुसार गांव

१. प्राथमिक स्तरीय शिक्षा सुविधा

जनपद के 1778 आवाद ग्रामों में स्थित 2514 वरितियों में 1276 परिषदीय प्राविद्यालय, 173 माओप्राप्त प्राविद्यालय, 10 राओप्राविद्यालय, 201 विद्या केंद्र एवं 14 वैशिशो केंद्र स्थित हैं। जनपद में 2243 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गांव में या 1.00 किमी की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

विंक्षण	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गांव में ही प्राविद्यालय की सुविधा उपलब्ध है)	चौंटारा
भिलंगना	409	386 ✓	94.38
चम्बा	252	216	85.71
देवप्रयाग	322	300	93.17
जाखणीधार	199	177	88.94
जौनपुर	326	292	89.57
कीर्तिनगर	270	237	87.78
नरेन्द्रनगर	378	295	78.04
प्रतापनगर	161	158	98.14
थौलधार	197	182	92.38
योग	2514	2243	89.22

उक्त में से 26 असंवित बस्तियों में ईओजीएसो 05 में वैशिशो केंद्र एवं 15 में नए प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2003-2004 में खोले गए हैं।

२. उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा सुविधा

जनपद के 1778 आवाद ग्रामों में रिथत 2514 बस्तियों में 303 परिषदीय जूनियर विद्यालय, 58 माओप्राप्त जूनियर विद्यालय, 17 राजनीविद्यालय, 49 हाईस्कूल एवं 110 इंटर कालेज स्थित हैं। जनपद में 2224 बस्तियां ऐसी हैं जहाँ गाँव में या 3.00 किमी की परिधि में उच्च प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। नीचे दी गयी तालिका से रिथति स्पष्ट है—

विंक्षण	कुल बस्तियां	कुल बस्तियां (जहाँ गाँव में ही उप्रांशिका की सुविधा उपलब्ध है)	प्री०ए०आर०
भिलंगना	403	375	91.69
चम्बा	252	233	92.46
देवप्रयाग	322	304	94.41
जाखणीधार	199	170	85.43
जौनपुर	326	274	84.05
कीर्तिनगर	270	246	91.11
नरेन्द्रनगर	378	279	73.07
प्रतापनगर	161	157	97.52
थौलधार	107	186	92.39
योग	2514	2224	88.42

स्रोत—हाउस—होल्ड सर्वे 2002

उक्त में से 37 असेवित बस्तियों में वर्ष 2003–2004 में 37 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोले गए हैं।

खा. जनपद में शिक्षण संस्थाएँ

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में 1755 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें 1 से 2 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्राकिंत तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

(जहाँ कक्षा १ से कक्षा ५ तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
1	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1291	15 वर्ष 2003-04 में खुले।
2	मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय	216	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	8	
4	विद्या केंद्र	226	
5	वैकल्पिक शिक्षा केंद्र योग	14 1755	

स्रोत—वैसिक शिक्षाधिकारी,टिडीए 2003-2004.

२. ११-१४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान में 571 शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं जिनमें 6 से 8 या 6 से 10 या 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं अग्राकिंत तालिका से स्थिति स्पष्ट है—

जनपद में ११ से १४ वय वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ

(जहाँ कक्षा ६ से कक्षा ८ तक की कक्षाएँ संचालित होती हैं)

क्रमांक	विद्यालय का प्रकार	संख्या	अभ्युक्ति
1	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	340	37 वर्ष 2003-04 में खुले।
2	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त सहित)	12	
3	मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल(वित्त विहिन)	51	
4	राजकीय आदर्श विद्यालय	7	
5	राजकीय हाईस्कूल	42	
6	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त विहिन)	02	
7	मान्यता प्राप्त हाईस्कूल(वित्त सहित)	05	
8	राजकीय इण्टर कालेज	97	
9	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त सहित)	12	
10	मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (वित्त विहिन)	01	
11	केन्द्रीय विद्यालय	01	
12	नवोदय विद्यालय योग	01 571	

स्रोत—वैसिक शिक्षाधिकारी,टिडीए 2003-2004

ग. जनपद का छात्र-नामांकन परिदृश्य
जनपद में ०६ से १४ वय वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति
१. आयुवार नामांकन

क. ६ से ११ वय वर्ग

जनपद में 6 से 11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 91897 है, जिसमें से 91587 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 310 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 204 है।

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय न जाने वाले			एन०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2003-04	40845	45052	91897	106	204	310	99.77	99.55	99.66

स्रोत— हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

खा. ११ से १४ वय वर्ग

जनपद में 11 से 14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 52206 है, जिसमें से 51762 बच्चे विद्यालयों में जाते हैं विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या 444 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 317 है।

वर्ष	कुल बच्चे			विद्यालय न जाने वाले			एन०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
2003-04	26612	25594	52206	127	317	444	99.52	98.76	99.15

स्रोत— हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

वर्ष 2003- 2004 में जनपद का जी०ई०आर० निम्नवत था—

जी०ई०आर० - २००३-०४

वय वर्ग	कुल बच्चे			जी०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6-11	46845	45052	91897	107.00	110.95	108.94
11-14	26612	25594	52206	83.70	83.83	83.76

स्रोत— हाउस-होल्ड सर्वे अपडेटिंग सितंबर 2004.

कुल नामांकन (एन०ई०आर०)

वर्ष	एन०ई०आर०			एन०ई०आर०			
	कुल नामांकन अनुपात ६-११ वय वर्ग			कुल नामांकन अनुपात ११-१४ वय वर्ग			
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		
1999-2000	93.88	91.00	92.46				
2000-2001	95.75	93.87	94.82	96.42	91.62	94.11	
2001-2002	99.00	98.12	98.57	97.59	95.00	96.34	
2002-2003	99.25	98.70	98.98	98.37	95.58	97.01	
2003-2004	99.77	99.55	99.66	99.52	98.76	99.15	

स्रोत— वैसिक शिक्षा अधिकारी टिंगो.

सकल नामांकन (जी०ई०आर०)

वर्ष	जी०ई०आर०			जी०ई०आर०		
	कुल नामांकन अनुपात ६-११ वय वर्ग			कुल नामांकन अनुपात ११-१४ वय वर्ग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	95.56	98.55	97.02			
2000-2001	97.02	99.62	98.29	96.42	91.62	94.11
2001-2002	109.11	111.60	109.84	97.42	95.39	96.44
2002-2003	104.81	109.23	106.99	83.89	84.41	84.14
2003-2004	107.00	110.95	108.94	83.70	83.83	83.76

स्रोत— वैसिक शिक्षा अधिकारी टिंगो

२. कक्षावार नामांकन २००३-०४

क.१. कक्षावार छात्रसंख्या (प्राथमिक स्तर)

निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है कि 80.22 प्रतिशत बच्चे परिषदीय प्राठविं, राठाठविं या विद्या केन्द्रों में तथा 19.78 प्रतिशत बच्चे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पंजीकृत है। बालिकाओं के मामले में सरकारी विद्यालयों में कुल बालिकाओं की 85.01 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित हैं जबकि 14.99 प्रतिशत बालिकाएं एवं 24.56 प्रतिशत बालक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। परिषदीय प्राठविं में प्रति विद्यालय **59.56** बच्चे पढ़ते हैं।

क्र०स०	विद्यालय	कुल छात्र			प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	सरकारी विद्यालय	37816	42493	80309	75.44	85.01	80.22
2	मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय	12308	7492	19800	24.56	14.99	19.78
	योग	50124	49985	100109	100.00	100.00	100.00

स्रोत— वैसिक शिक्षाधिकारी, टिंगो 2003-2004 !

निम्न तालिका से स्पष्ट है कि कुल छात्र संख्या का 32.07 प्रतिशत कक्षा एक में व 18.99 प्रतिशत भाग कक्षा 2 में, 17.62 प्रतिशत भाग कक्षा 3 में, 16.26 प्रतिशत कक्षा 4 में, 15.06 प्रतिशत छात्र कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं। कुल छात्र संख्या में 49.93 प्रतिशत भाग छात्राओं का है।

कक्षावार छात्रसंख्या (३० सितंबर २००४)

कक्षा	बालक	बालिका	योग	प्रतिशत
1	16279	15825	32104	32.07
2	9507	9510	19017	18.99
3	8774	8869	17643	17.62
4	7989	8284	16273	16.26
5	7575	7497	15072	15.06
योग	50124	49985	100109	100.00

स्रोत— वैसिक शिक्षाधिकारी, टिंगो 2003-2004 !

जनपद का छात्र नामांकन वर्षवार (प्राथमिक स्तर)

क्र०	वर्ष	छात्र नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
1	1999-2000	48389	48453	96842
2	2000-2001	49442	48890	98332
3	2001-2002	49291	49916	99207
4	2002-2003	49263	49981	99244
5	2003-2004	50124	49985	100109

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी टिपोगो 2003-2004।

क.2. कक्षावार छात्रसंख्या (उच्च प्राथमिक स्तर)

जनपद में संचालित क्र० 6 से 8 तक के विद्यालयों में कुल छात्र संख्या 43729 है। परिषदीय उच्च प्राथमिक में प्रति विद्यालय 54.92 बच्चे पढ़ते हैं। अग्राकृत तालिका से कक्षावार नामांकन की स्थिति स्पष्ट है—

कक्षावार छात्रसंख्या (३० सितंबर २००३)

क्र.	विद्यालय	कक्षा-६		कक्षा-७		कक्षा-८		योग		
		बाल क	बालि का	बाल क	बालिक ा	बाल क	बालिक ा	बाल क	बालि का	योग
1.	जू0हा0	4023	3897	3813	3820	3654	3683	11490	11400	22890
2.	हा0व इ0का0	3933	3520	3442	3354	3409	3181	10784	10055	20839
	योग	7956	7417	7255	7174	7063	6864	22274	21455	43729

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिपोगोनिरीक्षक टिपोगो 2003-2004।

जनपद का छात्र नामांकन वर्षवार (उच्च प्राथमिक स्तर)

क्र०	वर्ष	छात्र नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग
1	2001-2002	21218	19395	40613
2	2002-2003	20893	19929	40822
3	2003-2004	22274	21455	43729

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी एवं जिपोगोनिरीक्षक टिपोगो 2003-2004।

खा. जातिवार नामांकन

१. प्राथमिक स्तर

वर्ग	कुल पंजीकृत छात्र			तुलनात्मक प्रतिशत	
	बालक	बालिका	योग	2003-2004	2002-2003
सामान्य	39398	39339	78737	78.65	78.73
अनु0जा0	9984	9946	19930	19.91	19.88
अनु0जन0जा0	23	16	39	.04	.02
पि0जाति	400	390	790	.80	.88
अल्प0सं0	306	283	589	.60	.49
योग	50124	49985	100109	100.00	100.00

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी टिपोगो 2003-2004।

ड. जीर्ण-शीर्ण एवं ध्वस्त भवन

१. विकासखंडवार प्राथमिक स्तरीय विद्यालय

जनपद में वर्तमान में संचालित 1276 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से 101 डी०पी०ई०पी योजनान्तर्गत खुले हैं। 90 जीर्ण-शीर्ण भवनों का निर्माण डी०पी०ई०पी योजनान्तर्गत हुआ है। वर्तमान में 99 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं, जिनका पुनर्निर्माण आवश्यक है। 3 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनमें से 2 विद्यालय टिहरी बांध डूब क्षेत्र में हैं शेष 02 भवनहीन विद्यालयों का निर्माण आवश्यक है। अग्राकिंत तालिका से विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है—

क्र०स०	विंक्षे० भिलगाना	भवनहीन 00	जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय	
			जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय	संख्या
1		00		09
2	चम्बा	00		14
3	देवप्रयाग	00		15
4	जाखणीधार	00		12
5	जौनपुर	00		11
6	कीर्तिनगर	00		14
7	नरेन्द्रनगर	01		07
8	प्रतापनगर	00		06
9	थौलधार	02		11
	योग	03		99

स्रोत—बैसिक शिक्षाधिकारी,टिओगो 2003-2004।

२. विकासखंडवार उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय

जनपद में वर्तमान में संचालित 303 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। 14 भवनों का निर्माण पैकर-फैड द्वारा हो रहा है। वर्तमान में 19 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त हैं व जिनका पुनर्निर्माण आवश्यक है। कुल 125 विद्यालय भवनहीन हैं, जिनका निर्माण आवश्यक है। वर्तमान में ए विद्यालय समुदाय द्वारा उपलब्ध कराए गए निजि या पंचायती भवनों पर संचालित हैं। अग्राकिंत तालिका विकासखंडवार इनकी स्थिति स्पष्ट है—

क्र०स०	विंक्षे०	भवनहीन	जीर्ण-शीर्ण या ध्वस्त विद्यालय	निर्माणाधीन
1	गिलगाना	19	2	3
2	चम्बा	11	1	1
3	देवप्रयाग	15	1	1
4	जाखणीधार	15	3	1
5	जौनपुर	14	2	—
6	कीर्तिनगर	10	1	5
7	नरेन्द्रनगर	19	6	1
8	प्रतापनगर	10	2	2
9	थौलधार	12	1	—
	योग	125	19	14

भवनहीन 125 एवं जीर्ण-शीर्ण 19 में से 103 के भवन निर्माण हेतु शनराशि 11वें वित्त आयोग एवं 36 के लिए सर्व शिक्षा अभियान में धनराशि खाकृत हुई है। धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को अवमुक्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं।

दा. विद्यालयों में सुविधाओं की स्थिति

क. प्राथमिक स्तर (कक्षा १ से ५ तक)

जनपद में रिथत 1291 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 269 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा प्रयोग के लिए उपलब्ध है। 130 में पेयजल डी०पी०इ०पी० के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 580 है। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 342 है। क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 321 है।

क्र०स०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	580	44.93
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	269+130	30.91
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	342	27.04
4	क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालय	321	25.38

स्रोत—इ०एम०आ॒इ०एस० 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंग० 2003–2004।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है—

क्र०स०	विंक्षे०	कुल स्कूल	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीड़ागान
1	भिंगना	216	90	80	38	49
2	चम्बा	124	68	35	38	14
3	देवप्रयाग	137	71	12	27	40
4	जाखणीधार	121	52	13	41	26
5	जौनपुर	169	68	66	47	71
6	कीर्तिनगर	124	54	17	21	20
7	नरेन्द्रनगर	149	87	12	41	47
8	प्रतापनगर	131	46	22	36	24
9	थौलधार	120	44	12	53	30
	योग	1291	580	269+130	342	321

स्रोत—इ०एम०आ॒इ०एस० 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंग० 2003–2004।

खा—उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६ से ८ तक)

जनपद में रिथत 340 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 62 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा प्रयोग के लिए उपलब्ध है। शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 176 है। 11 में शौचालय एस०एस०ए० के अंतर्गत प्रत्यावित हैं। चारहदीवारी युक्त विद्यालयों की संख्या 53 है। 05 में चाहर दिवारी एस०एस०ए० के अंतर्गत निर्माणाधीन हैं। क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या 48 है।

क्र०स०	प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	शौचालय की सुविधायुक्त विद्यालय	176+11	55.00
2	पेयजल की सुविधायुक्त विद्यालय	62	18.24
3	चारहदीवारी युक्त विद्यालय	53+5	17.06
4	क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालय	48	15.84

स्रोत—ई0एम0आई0एस0 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंग0 2003–2004।

ब्लाकवार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, चारहदीवारी युक्त विद्यालय एवं क्रीड़ागान की सुविधायुक्त विद्यालयों की स्थिति निम्नवत है—

क्र०स०	विंक्षे०	कुल विद्यालय	सुविधायुक्त विद्यालय			
			शौचालय	पेयजल	चारहदीवारी	क्रीड़ागान
1	भिलंगना	59	30	13	09	10
2	चम्बा	31	16	8	06	00
3	देवप्रयाग	34	17	4	05	08
4	जाखणीधार	36	18	6	06	03
5	जौनपुर	46	27	14	11	12
6	कीर्तिनगर	26	13	2	02	03
7	नरेन्द्रनगर	42	20	2	04	04
8	प्रतापनगर	34	21	9	06	03
9	थौलधार	32	14	4	04	05
	योग	340	176+11	62	53+5	48

स्रोत—ई0एम0आई0एस0 2001–2002 एवं बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंग0 2003–2004।

जनपद में स्थित 303 जूनियर हाईस्कूलों में से मात्र 90 विद्यालय आप्रेशन ब्लैक-बोर्ड योजना से आच्छादित हैं।

04 विद्यालय नवम् वित्त आयोग एवं 12 विद्यालय दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित हैं। ब्लाकवार इनकी स्थिति निम्नवत है—

क्र०स०	विंख्या०	परिषदीय जूनियर हाईस्कूल	योजनाओं से अच्छादित विद्यालय		
			ओबीबी	नवम / दशम वित्त	योग
1	भिलंगना	59	17	02	19
2	चम्बा	31	07	01	08
3	देवप्रयाग	34	08	01	09
4	जाखणीधार	36	09	04	13
5	जौनपुर	46	10	02	12
6	कीर्तिनगर	26	05	01	06
7	नरेन्द्रनगर	42	11	02	13
8	प्रतापनगर	34	13	02	15
9	थौलधार	32	10	01	11
	योग	340	90	16	106

स्रोत— बेसिक शिक्षाधिकारी,टिंग0 2003–2004।

अध्याय-छः

योजना निर्माण-प्रक्रिया

नियोजन किसी भी कार्य को पूर्ण करने की प्राथमिक कुन्जी है। वर्तमान तक हमारे देश का नियोजन लोक कल्याणकारी होते हुए भी जन-सहभागिता, रहित चल रहा है। हाल के वर्षों में नियोजन को धरातल तक लाने के लिए सराहनीय प्रयास किये गये हैं। पचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना स्वनियोजन अथवा स्थानीय नियोजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। बैसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आजादी के बाद से ही कई प्रयास किये परन्तु अभी तक लक्ष्यों को प्राप्त करनें में आशातीत सफलता नहीं मिल सकी, जिसका मुख्य कारण नियोजन में जनता की मांग एवं कार्यकारी उपकरणों की सहभागिता का न होना चिन्हित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान जिले का अपना कार्यक्रम है जिसका नियोजन जिला स्तर पर होता है। जिले की जनता की विशिष्ट आश्यकताओं के अनुकूल योजना का निर्माण करने पर अधिकाधिक लक्ष्यों की उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। जनपद टिहरी गढ़वाल में परियोजना के प्रथम वर्ष में विकास खण्डवार जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों तथा डी०पी०इ०पी०एवं एस०एस०ए० कार्यकर्ताओं की कर्यशाला रूपी बैठकें आयोजित की गई। जनपद स्तर पर जनपदीय कोर ग्रुप जिला सर्वेभ समूह जिला शिक्षा परियोजना समिति एवं समस्त जिला समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। जिसका व्योरा निम्नलिखित है:-

क्र० स०	कार्यशाला का दिनांक व रथल	कार्यशाला / बैठक में प्रतिभागी	कार्यशाला / बैठक के चर्चा बिन्दु
1	29.12.2003 से 30.12.2003 रात्रि 00का0 रात्रि 00का0 देरहादून	विभिन्न अधिकारी, सोलेखाधिकारी डायट एवं डी.पी.ओ. के कर्मी एवं रात्रि 00का0 के विशेषज्ञ	<ol style="list-style-type: none"> वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के विविध बिन्दुओं पर चर्चा। वार्षिक कार्य योजना 2003–2004 की अब तक की समीक्षा एवं छूटे हुए बिन्दुओं पर व्यापक चर्चा। एस०एस०ए० से सम्बन्धित विभिन्न कियाकलाप विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं किया-कलापों की पहचान करना। विभिन्न सीलिंग प्रावधानों पर चर्चा अध्यापक प्रशिक्षण से सम्बन्धित नवीनतम निर्देशों से परिचय कुछ नवाचारों की भी चर्चा विभिन्न सारणियों को तैयार करने की विधियों ई० एम० आई० एस० आंकड़ों तथा सुचनाओं का प्रयोग तथा विभिन्न संकेतों को यथा एन०ई०आर०, जी०ई०आर० आदि का आंकणन। समेकित शिक्षा हेतु एस०एस०ए० के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा। दूर संचार माध्यमों के प्रयोग तथा दूरस्थ शिक्षा घटक पर चर्चा। वाका.यो.एवंबजट 2004–05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा।

2	03.01.2004 डी०पी०ओ० नई टिहरी	बी०आर०सी० समन्वयक, एस.डी. आई. / ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक, बै०शि०अ०.	<ol style="list-style-type: none"> वार्षिक कार्य-योजना के प्रमुख हस्तक्षेपों की जानकारी कार्यनीति एवं विगत वर्ष के कार्यों की समीक्षा कियान्वयन में हुई कठिनाइयों एवं इनमें निराकरण हेतु विस्तृत चर्चा। बालगणना 2003-04 के आधार पर नामांकन का 2004-05 अनुमान। विभिन्न सूचनाओं का संकलन, छात्र संख्या का एकत्रीकरण परियोजना के अब तक के कार्यों की प्रगति एवं आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों/हस्तक्षेपों का व्यवस्था सहित विवरण परियोजना के लक्ष्यों को को प्राप्त करने में महसूस की गयी कठिनाइयां एवं आगामी वर्षों में निराकरण के उपाय। अन्य विभागों तथा समुदाय से कन्वर्जेस (समन्वय) स्थापित करने हेतु सुझाव/सहयोग
3	19.01.2004 डायट टिहरी गढ़वाल	डायट प्रचार्य एवं प्रवक्ता, वि०बै०शि० अधिकारी, जि०रा०भ० , बी०आर०सी० समन्वयक	<ol style="list-style-type: none"> वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के विविध बिन्दुओं पर चर्चा। वार्षिक कार्य योजना 2003-2004 की अब तक की समीक्षा एवं छूटे हुए बिन्दुओं पर व्यापक चर्चा। विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करने तथा उनके सम्पादन हेतु कार्यनीतियों का विकास करने एवं क्रिया-कलापों की पहचान एस०एस०ए० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा।
4	20.01.2004 बी.आर..सी. चम्बा	सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत् / सेवारत अध्यापक, ग्न०पी०आर०सी०, बी.आर.सी.समन्वयक, स०बै०शि०अ०एवं जिला समन्वयक	<ol style="list-style-type: none"> एस०एस०ए० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप। समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की कठिनाइयों पर चर्चा। प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा। बच्चों की नियमित उपस्थित एवं विद्यालय टहराव पर चर्चा। बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयों पर चर्चा। शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा। ई०जी०एस० एवं वैकल्पिक शिक्षा प्रमुख मॉडलों पर चर्चा। वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा।
5	22.01.2004 बी.आर..सी. सेमली	तदैव	<ol style="list-style-type: none"> एस०एस०ए० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप। समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की कठिनाइयों पर चर्चा। प्रा०शि० की सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा। बच्चों की नियमित उपस्थित एवं विद्यालय टहराव पर चर्चा। बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयों पर चर्चा। शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा। वा.का.यो.एवंबजट 2004-05 के प्रमुख हस्तक्षेपों पर चर्चा।
6	बी.आर..सी. बड़कोट	तदैव	<ol style="list-style-type: none"> एस०एस०ए० से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप। समुदाय के सदस्यों के प्रशिक्षण की कठिनाइयों पर चर्चा। प्रा०शि० की सार्वभौमिक पहुंच पर चर्चा। बच्चों की नियमित उपस्थित एवं विद्यालय टहराव पर चर्चा। बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाइयों पर चर्चा। शिक्षा की गुणवत्ता पर चर्चा।
7	03.02.2004 डी०पी०ओ० नई टिहरी	सगन्वयक,ए.बी.एस.ए. जिला समन्वयक, बै०शि०अ०,	<ol style="list-style-type: none"> परियोजना के अब तक के कार्यों की प्रगति एवं आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों/हस्तक्षेपों का व्यवस्था सहित विवरण परियोजना के लक्ष्यों को को प्राप्त करने में महसूस की गयी कठिनाइयां एवं आगामी वर्षों में निराकरण के उपाय। एस०एस०ए० की वार्षिक कार्य-योजना को अंतिम रूप देना।

अध्याय-सात

परियोजना क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में 2010 तक संचालित की जाएगी। इस अवधि में 6 से 11 वय वर्ग को वर्ष 2005 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान से आच्छादित किया जायेगा। जबकि 11 से 14 वय वर्ग को सम्पूर्ण अवधि में सर्वशिक्षा अभियान द्वारा संपादित किया जायेगा।

१-प्रबन्धतंत्र

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन जिला परियोजना कार्यालय द्वारा संपादित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों का संचालन इसी व्यवस्था के अंतर्गत किया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निम्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं—

क्र०	पद	पद		स्तर
		स्वीकृत	कार्यरत	
1	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी	1	1	जिला परियोजना कार्यालय
2	सहायक लेखाधिकारी	1	1	" "
3	जिला समन्वयक	4	4	" "
4	कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	" "
5	लेखाकार	1	1	" "
6	आशुलेखक	1	1	" "
7	नंकक	1	1	" "
8	चपरासी	1	1	" "
9	समन्वयक (बी0आर0सी0)	9	9	विकासखण्ड स्तर
10	सहसमन्वयक (बी0आर0सी0)	18	18	" "
11	समन्वयक (एन0पी0आर0सी0)	76	76	न्यायपंचायत स्तर

स्रोत— विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी,टिओगो 2003-2004.

जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित की गई है जिसमें पारित प्रस्तावों के अनुपालन में जिला परियोजना कार्यालय कार्य करता है। विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के पदेन सदस्य सचिव होते हैं। विकासखण्ड रत्तर पर सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को पदेन खण्ड परियोजना अधिकारी बनाया गया है। उनके निर्देशन में बी0आर0सी0 समन्वयक / सहसमन्वयक एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करते हैं।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से कराए जा रहे प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्ष—कक्ष एवं एन.पी.आर.सी. निर्माण एवं शौचालयों के निर्माण में तकनीकी पर्यवेक्षण एवं जानकारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई के अभियंताओं द्वारा दी जाती है। बी0आर0सी0 का निर्माण जलनिगम द्वारा कराया जा रहा है।

जनपद में ई0एम0आर्ड0एस0 सेल की स्थापना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है।

२-वित्तीय प्रबन्धन

परियोजना की प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है। वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदनोपरान्त धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जाती है। जिसका उपभोग निर्धारित प्रोक्योरमेन्ट के अनुसार वित्तीय नियमों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। परियोजना के आय-व्यय का अंकेक्षण सी0ए0 एवं ए0जी0 द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। साथही प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय को आय-व्यय का विवरण प्रेषित किया जाता है। वित्तीय प्रबन्धन की यही प्रक्रिया सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी अपनाई जाएगी। सर्वशिक्षा अभियान के आय-व्यय का अंकेक्षण/संप्रेक्षण सी0ए0 के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही महालेखाकार द्वारा भी जनपद के लेखों का सम्प्रेषण किया जायेगा। साथ ही राज्य परियोजना कार्यालय भी समय-समय पर आंतरिक संप्रेषण किया जाएगा।

अध्याय-आठ

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट २००४- २००५

जनपद में 6 से 11 वर्ष के बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था, प्रधानध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का ठहराव स्कूलों में सुनिश्चित करने के लिए ताकि वे निर्बाध रूप से पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए वातावरण सृजन के कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालयों के भवन का पुनर्निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय तथा पेयजल की स्थापना, विद्यालय भवनों की संरक्षण, अधिक छात्र संख्या एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षा मित्रों की व्यवस्था, बालिकाओं एवं वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए एम.टी.ए./पी.टी.ए. एवं महिला प्रेरक समूह का गठन एवं उनका प्रशिक्षण, बालिकाओं/महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु मौं-बेटी मेला का आयोजन, बाल-मेला का आयोजन, मीना-कैम्पेनिंग आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों की शैक्षणिक सम्प्राप्ति में सुधार लाने हेतु अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण, अध्यापकों को शैक्षणिक सहायक सामग्री हेतु अनुदान, प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनु जाति, जन-जाति के सभी बच्चों तथा सभी वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं विद्यालयों में बुक-बैंक की स्थापना, प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का निःशुल्क स्वारथ्य परीक्षण कार्यक्रम, विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना आदि कार्यक्रम तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, ब्लाक एवं जिला संदर्भ समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं उनकी बैठके ब्लाक एवं न्याय पंचायत समन्वयकों एवं सहायक बैसिक शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं निर्माण कार्यों के लिए ग्राम शिक्षा समितियों का तकनीकी प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जनपद में शैक्षणिक आवश्यकताओं के आकलन हेतु सूक्ष्म नियोजन का कार्य भी परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है।

जनपद में शिक्षा के लिए कार्यरत संस्थाओं का क्षमता वर्धन का कार्य जिसके अन्तर्गत विकासखण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना उनमें साजो-सामान की पूर्ति एवं उनमें एक समन्वयक व दो सह समन्वयकों की नियुक्ति एवं न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना उनमें साजो-सामान की पूर्ति एवं उनमें एक समन्वयक की नियुक्ति की गई है।

डायट की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत धन की व्यवस्था भी की गई है। जिला स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना एवं उसमें स्टाफ की व्यवस्था व विभिन्न गतिविधियों के संचालनार्थ वित्तीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकृत ई.एम.आई.एस. सेल की स्थापना की गई है। समेकित शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों को भी परियोजना के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2004–2005 में ०६से १४ वय वर्ग के बच्चों के शत-प्रतिशत नामांकन एवं बच्चों के विद्यालयों में ठहराव को सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों में नामांकित बच्चों की शैक्षणिक सम्प्राप्ति के संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम संम्पादित किये जायेंगे।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा की भौतिक एवं बौद्धिक संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा आगामी वर्षों में भी प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना हेतु कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। जनपद में नामांकन की अपेक्षा धारण पर अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता महशूस की जा रही है। विद्यालय का वातावरण रूचिपूर्ण एवं आकर्षक नहीं रहता। विद्यालयों में साज–सज्जा एवं पठन–पाठन हेतु सहायक सामग्री का अभाव रहता है। अध्यापकों की शिक्षण विद्या रूचिपूर्ण नहीं है वे परम्परागत रूप से पढ़ाकर पाठ्यक्रम की पूर्ति करना अपना लक्ष्य समझते हैं। जौनपुर, प्रतापनगर व भिलंगना विकास खण्डों में बालिका शाला त्याग अधिक रहता अनुसूचित जाति बच्चों का भी शाला त्याग प्रतिशत इन्हीं विकास खण्डों में अधिक है। जनपद में काफी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जो भवनहीन हैं, जिनमें कक्षाओं के संचालन में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। साथ ही जनपद में काफी जीर्ण–शीर्ण/मरम्मत योग्य विद्यालय हैं जिनमें कक्षा संचालन नहीं किया जा सकता है। जनपद में काफी बड़ी संख्या में विद्यालयों में पेयजल, कीड़ारथल तथा शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। कई विद्यालयों में शैक्षणिक सहायक सामग्री का अभाव है। माता–पिता अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने में रुची नहीं रखते हैं। अतः नामांकन की तुलना में उपरिथित काफी कम रहती है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा से सम्बन्धित समुदाय शिक्षक पर्यवेक्षक तकनीशियन एवं गैर सरकारी संरथाओं को बहुआयमी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता संवर्धन हेतु निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे—

- एन०पी०आर०सी०, बी०आर०सी० तथा डायट स्तर पर प्रतिमाह बच्चों के पाठ्यक्रम पर आधारित समस्याओं तथा पैडागोजी पर चर्चा एवं निदान।
- पाठ्यक्रम, बालिका शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण माड्यूल का विकास।
- अध्यापकों का बहुउद्देशीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
- जिला संदर्भ समूह एवं विकासखण्ड संदर्भ समूहों का गठन, उनका प्रशिक्षण एवं बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा।
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं नियमित मासिक बैठकें।
- बी०आर०सी०, एन०पी०आर०सी० समन्वयकों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- डी०पी०ओ० अभिकर्मीयों एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीयों का प्रशिक्षण, विजनिंग एवं पुनर्बोधात्मक कार्यशालाएं।
- विभिन्न कार्यशालायें/ सेमिनारों का आयोजन।
- फ़िला प्रेरक समूह का गठन ओर प्रशिक्षण एवं नियमित बैठकें।
- माता शिक्षक संघ का गठन, प्रशिक्षण एवं नियमित मासिक बैठकें।
- आचार्यों/अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों का अभिनवीकरण एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण।
- शोध एवं क्रियात्मक शोध।
- विद्यालय कोटि–करण।

- वर्ष भर अच्छा कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिका को दक्षता सम्मान।
- एक्सपोजर विजिट।
- टी०एल०एम० विकास हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण।
- टी०एल०एम० प्रदर्शनी मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- बाल मेला एवं प्रतियोगिताएं।
- ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।
- ग्राम शिक्षा समितियों को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान।
- प्राथमिक विद्यालयों में बुक—बैंकों की स्थापना।
- शिक्षकों को टी०एल०एम० अनुदान..... आदि।

१. निर्माण कार्य

क. नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण

जनपद में गत वर्ष खुले 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से गत वर्ष 09 के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत प्राप्त हुई। शेष 28 में से 18 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रति विद्यालय 6.00 लाख की दर से धनराशि का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया गया है।

ख. संकुल संसाधन केंद्र भवन निर्माण

जनपद में गत वर्ष स्वीकृत 22 सी0आर0सी0 में से गत वर्ष 04 के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत प्राप्त हुई। शेष 18 में से 04 सी0आर0सी0 निर्माण हेतु प्रति सी0आर0सी 4.5 लाख की दर से धनराशि का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया गया है।

क्र०स०	विवरण	लक्ष्य	विवरण
1	नवीनउ0प्रा0विद्यालय भवन निर्माण	18	गत वर्ष खुले 37 उ0प्रा0 विद्यालयों में से
2	सी0आर0सी0 निर्माण	04	

२. टी०एल०ड० अनुदान

इस वर्ष की कार्य योजना में जनपद में कुल 20 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय रु0 50 हजार की दर से बजट का प्राविधान किया गया है, जो ३००३०३० से आच्छादित नहीं है। इसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय 50.00 हजार रुपये की व्यवस्था की जाएगी। इससे विद्यालय की पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य क्रम, शिक्षक संदर्शिकाएं, शब्दकोष, ज्ञानकोष, हायक पाठ्य पुस्तकें, एटलस, ग्लोब, शैक्षणिक चार्ट, मानचित्र (जनपद, राज्य, देश, महादर्वीप, संसार राजनैतिक एवं प्राकृतिक), क्रीड़ा-सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, रिंगबाल, पम्प हवा भरने का, कूदने की रस्सी, कैरम, रबर की बाल, नेट,) , वाद्य-यंत्र (हारमोनियम, ढोलक, मजीरा, तबला, बांसुरी), कुर्सी एवं मेज, ब्लैक बोर्ड (तिपाई सहित) टाट-पट्टी, दरी, ट्रंक, अलमारी, टंकी पानी की एवं लोटा, बाल्टी, घंटा-घड़ी, विज्ञान किट, गणित किट, पत्र-पत्रिकाएंआदि उपलब्ध करायी जाएगी। सामग्री का क्रय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

३. स्कूल अनुदान (विद्यालय विकास अनुदान)

विद्यालयों की स्वच्छता एवं साज-सज्जा हेतु परियोजना के अन्तर्गत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष दो हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस धनराशि से विद्यालय का सौन्दर्यकरण एवं शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था/मरम्मत एवं बच्चों के बैठने हेतु टाट पट्टियों की व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष यह अनुदान 479 विद्यालयों को दिया जाएगा।

विद्यालय विकास अनुदान हेतु विद्यालयों की संख्या

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	संख्या	विवरण
1	परिषदीय जूनियर हाई स्कूल	303	
2	वित्त सहित मा०प्रा० जू०हा० स्कूल	12	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	08	
4	राजकीय हाई स्कूल	42	
5	वित्तसहित मा०प्रा० हाईस्कूल	05	
6	राजकीय इंटर कालेज	97	
7	वित्त सहित मा०प्रा० इंटर कालेज	12	
	योग	479	

४. विद्यालय भवन मरम्मत

जनपद की इस वर्ष की कार्ययोजना में 29 विद्यालयों के मरम्मत हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

विद्यालय विकास अनुदान हेतु विद्यालयों की संख्या

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	संख्या	विवरण
1	परिषदीय जूनियर हाई स्कूल	29	

५. शिक्षक अनुदान

इस अनुदान के द्वारा शैक्षणिक सहायक सामग्री (टी०एल०एम०) का निर्माण किया जायेगा। इसके प्रयोग से कक्षा शिक्षण सरल, सहज एवं प्रभावी होगा। जनपद के परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत सभी अध्यापकों एवं वित्त सहित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं राजकीय एवं वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं राजकीय तथा वित्त सहित मान्यता प्राप्त इंटर कालेज में प्रतिविद्यालय 3 अध्यापकों को यह अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 1748 अध्यापकों को प्रति अध्यापक रु० 500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। (Table- C-Q, Q2.2)

क्र०स०	विद्यालय का प्रकार	अध्यापक संख्या	विवरण
1	परिषदीय जूनियर हाई स्कूल	1253	
2	वित्त सहित मा०प्रा० जू०हा० स्कूल	36	
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	27	
4	राजकीय हाई स्कूल	126	
5	वित्तसहित मा०प्रा० हाईस्कूल	15	
6	राजकीय इंटर कालेज	291	
7	वित्त सहित मा०प्रा० इंटर कालेज	36	
	योग	1748	

६. शिक्षा गारंटी तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा

डी०पी०ई०पी० योजनान्वर्गत जनपद में 116 असेवित बस्तियों में जो नवीन विद्यालय खोलने के मानक को पूरा करती थी में वर्ष 2003-04 नवीन प्राथमिक विद्यालय जनपद में खोले जा चुके हैं। साथ ही जनपद म 226 ई०जी०एस० एवं 14 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र भी खोले गए हैं। 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सर्व-शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की गयी है। किन्हीं कारणों से स्कूल से बाहर है या बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों के लिए ई०जी०एस० एवं वै०एवं नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत बजट का प्राविधान किया गया है। साथ ही कठिन कामों में लगे एवं विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी समूहों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस कार्य में इस वर्ष नी इनकी सहायता ली जाएगी। जनपद में दिसंबर 2004 में 06 से 14 वय वर्ग के कुल 754 बच्चे विद्यालय से बाहर हैं। 144 बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ई०जी०एस० एवं 610 बच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

७. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों तथा बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं एवं वंचित वर्ग के बच्चों का स्कूलों में नामांकन एवं उनकी नियमित उपरिथि सुनिश्चित करना है। इस वर्ष जनपद के कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों एवं अन्य वर्ग की सभी बालिकाओं कुल 25235 बच्चों को को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जायेगी। इसके लिए प्रति बच्चा रु० 150.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण हेतु छात्र संख्या

वर्ष	बालिकाएं(अ०जा० व अ०ज०जा० सहित)	बालक		योग
		अनु०जाति	अ०ज०जाति	
2004 – 2005	21455	3737	24	25216

८. समेकित शिक्षा (विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे)

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित बच्चों को भी विद्यालयों में नहीं लाया जाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत इन बच्चों को उपकरण प्रदान कर विद्यालयों में नामांदान करने तथा अध्यापकों एवं समुदाय का संवेदीकरण किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम आगामी वर्ष में किए जाएंगे—

- स्वास्थ्य परीक्षण।
- चिन्हित बच्चों को आवश्यक उपकरण प्रदान करना।
- कार्यशालाओं का आयोजन करना,

- अभिभावकों के लिए पेरेंट्स काउंसलिंग.
- अध्यापकों का रांवेदीकरण – इस हेतु उनका प्रशिक्षण एवं साहित्य का निर्माण.

वर्तमान में जनपद के विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे बच्चों की ब्लाकवार निम्नवत है—

S.N.	Block	Boys	Girls	Total
1	Bhilangna	89	53	142
2	Chamba	50	30	80
3	Devprayag	72	65	137
4	Jakhnidhar	9	11	20
5	Joumpur	66	41	107
6	Keertinagar	19	15	34
7	Narendranagar	64	53	117
8	Pratapnagar	78	44	122
9	Thouldhar	88	70	158
TOTAL		535	382	917

इसके लिए बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया है।

६. बालिका शिक्षा के अन्तर्गत नवाचार

बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष बालिकाओं की संख्या लगभग आधी है। फिर भी जिस अनुपात में बालिकाओं का नामांकन/ठहराव विद्यालयों में होना चाहिए उस लक्ष्य से हम अभी काफी पीछे हैं। जनपद में बालिका शिक्षा का रस्तर उठाने के लिए मॉडल क्लस्टर डेवलेपमेंट एप्रोच के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं—

- रागुदायिक राहभागिता हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण।
- विद्यालयों में एम०टी०ए०/पी०टी०ए० का गठन व प्रशिक्षण।
- महिला प्रेरक समूहों का गठन व प्रशिक्षण
- ग्राम पंचायत की चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण/कार्यशालाएं।
- अध्यापकों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण।
- कला—जत्था/मीना कैम्पैन कार्यक्रम।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण।
- अभिभावक शिक्षक संघों की प्रतिमाह बैठकें।
- मॉ—बेटी मेंलों का आयोजन।
- ग्राम शिक्षा समितियों की कार्यशालाएँ।
- ठहराव प्रक्रिया तथा तारांकन अभियान।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण
- महिला समाख्या से कन्वर्जन्स।
- रवयं सेनी संगठनों, शिक्षा विदों से सहयोग।
-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वय वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु अग्राकृत गतिविधियां जनपद में संचालित की जाएंगी।

क. कम्प्यूटर शिक्षा

इसके अन्तर्गत जनपद में 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए कम्प्यूटर क्रय हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। साथ ही कम्प्यूटर कक्ष की फरनीशिंग एवं विद्युत व्यवस्था हेतु तथा इन विद्यालयों के अध्यापकों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित करने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

ख. समाजोपयोगी उत्पादन कार्य

बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु जनपद में बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सिलाई कढाई, बुनाई, फल संरक्षण, पेटिंग आदि व्यावसायिक शिक्षा के लिए बजट का प्राविधान किया गया है।

ग. आदर्श संकुल विकास कार्यक्रम

बालिका शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु जनपद में न्याय पंचायत स्तर पर 15 न्याय पंचायतों में आदर्श संकुल-विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छात्र-छात्राओं के शत-प्रतिशत नामांकन एवं टहराव आदि हेतु इन संकुलों में वातावरण सृजन के तहत मां-बेटी मेला, न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों की कार्यशालाएं, बाल-मेला, एवं अध्यापकों के लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु बजट का प्राविधान किया गया है।

१०. अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था

क. नए खुले विद्यालयों के लिए

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गत वर्ष खुले 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 02 अध्यापकों की दर से 74 अध्यापकों के वेतन, भत्तों के लिए बजट का प्राविधान किया गया है।

ख. पद विहीन विद्यालयों के लिए

जनपद में नवम् एवं दशम् वित्त के अन्तर्गत खुले 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जू0हा0) में गत वर्ष सृजित 48 अध्यापकों (16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रतिविद्यालय 3 सहायक अध्यापक (गणित, विज्ञान, भाषा) के पद, इस प्रकार 48 सहायक अध्यापकों) के वेतन, भत्तों के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। ए 16 जूनियर हाईस्कूल निम्नवत हैं:-

क्र०स०	विकास क्षेत्र	विद्यालय	क्र०स०	विकास क्षेत्र	विद्यालय
1	भिलंगना	क0जू0हा0 चौरा	9	जौनपुर	क0जू0हा0 मजेपुर
2		क0जू0हा0 थाती	10		क0जू0हा0 दुबड़ा
3	चम्बा	क0जू0हा0 चवालखेत	11	कीर्तिनगर	क0जू0हा0 देवगढ़ी
4	देवप्रयाग	क0जू0हा0 र्स्युटा	12	न०नगर	क0जू0हा0 ढालवाला
5	जाखीगीधार	क0जू0हा0 पालकोट	13		क0जू0हा0 लवा
6		क0जू0हा0 र्स्याती	14	प्रतापनगर	क0जू0हा0 पड़िया
7		क0जू0हा0 रतोली	15		क0जू0हा0 भरपुरियागांव
8		क0जू0हा0 ननवा	16	थौलधार	क0जू0ठा0 जौलंगी

११. नवीन खुले उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों की व्यवस्था

जनपद में गतवर्ष खुल 37 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति विद्यालय 02 अध्यापकों के पद गत वर्ष सृजित किए गए थे। चूंकि इन विद्यालयों में तीन कक्षाओं (6, 7 व 8)का संचालन होना है अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक विद्यालय के लिए एक और अध्यापक की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

१२. प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है, गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराना। इस हेतु यह आवश्यक है कि अध्यापकों को नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों, विधियों की जानकारी हो ताकि वे उसका उपयोग अपने कक्ष-शिक्षण में कर सकें। जिससे बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी उनको प्रशिक्षणों के माध्यम से दी जाय।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अध्यापकों एवं वित्त सहित मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं राजकीय तथा वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में प्रति विद्यालय 3 अध्यापक इस प्रकार इस वर्ष कुल 1748 अध्यापकों का डायट/बी0आर0सी0स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान प्रति अध्यापक रूपये 70.00 प्रतिदिन की दर से किया गया है। इस प्रशिक्षण में अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण तकनीकी, शिक्षण की नवीन विधाओं, बहुकक्षीय शिक्षण एवं पाठ्यक्रम के कठिन स्थलों पर जानकारियां दी जाएंगी।

क्र० सं०	विद्यालय	प्रशिक्षण हेतु अध्यापकों की संख्या
1	परिषदीय उ0प्रा0 विद्यालय	1253
2	वित्त सहित मान्यता प्राप्त जूहा0	36
3	राजकीय आदर्श विद्यालय	27
4	राजकीय हाईस्कूल	126
5	वित्त सहित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल	15
6	राजकीय इण्टर कालेज	291
7	वित्त सहित मान्यता प्राप्त झोका0 योग	36 1748

१३. ग्राम शिक्षा समिति एवं स्कूल प्रबंधन समितियों का प्रशिक्षण

विद्यालय विकास हेतु समुदाय का सहयोग प्राप्त करने एवं स्कूल प्रबंधन तथा ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय करने के उद्देश्य से जनपद में 500 ग्रामसमितियों का प्रशिक्षण कार्य जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित किया जाएगा। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस मद में धनराशि प्राविधानित नहीं की गयी है।

१४. बी०आर०सी०

जनपद में कुल 9 fodkl [k.M] हैं जो अध्यापकों को अकादमिक सहयोग एवं विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। बी०आर०सी० पर नियमित रूप से –

- एन०पी०आर०सी० समन्वयकों की बैठकें।
- शैक्षिणिक समस्याओं पर चर्चा।
- एन०पी०आर०सी० को तकनीकी सहयोग प्रदान।
- बी०आर०सी० विद्यालयों का भ्रमण उन्हें अकादमिक सहयोग।
- विविध सूचनाओं का संकलन।
- समय–समय पर कार्यशालाएँ।
- प्रशिक्षण (डायट के निर्देशन में।)
- अध्यापकों को अकादमिक राहयोग।
- विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- बाल मेंलों एवं मॉ—बेटी मेंलों का आयोजन।
- टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मेंले का आयोजन।
- सांस्कृतिक एवं खेल—कूद कार्यक्रमों का आयोजन।
- स्कूल चलो अभियान का आयोजन।

इस वर्ष की कार्य योजना में बी०आर०सी० के लिए कन्टेनजेन्सी एवं टी०ए० मदों में धनराशि प्राविधानित की गई है।

१५. एन०पी०आर०सी०

जनपद में कुल 76 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हैं। जिनमें 76 एन०पी०आर०सी० समन्वयक कार्यरत हैं। एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा निम्नांकित कार्य मुख्यतः किये जाते हैं—

- अध्यापकों को अकादमिक सहयोग।
- विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्य।
- ग्राम शिक्षा समितियों / रकूल प्रबन्धन समिति का प्रशिक्षण।
- बाल मेंलों एवं मॉ—बेटी मेंलों का आयोजन।
- टी०एल०एम० निर्माण एवं टी०एल०एम० मेंले का आयोजन।
- सांस्कृतिक एवं खेल—कूद कार्यक्रमों का आयोजन।
- विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- स्कूल चलो अभियान का आयोजन।
- विविध जैक्षिणिक सूचनाओं के संकलन का कार्य।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एन०पी०आर०सी० समन्वयकों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित कार्यों का संपादन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त सभी कार्य एन०पी०आर०सी० द्वारा संपादित कराए जाएंगे। विद्यालयों की अधिकता एवं विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए एन०पी०आर०सी० को छोटा कर 22 अतिरिक्त सी०आर०सी० की स्थापना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जाएगी। जनपद में कुल 76 एन०पी०आर०सी० व नई प्रस्तावित 22 सी०आर०सी० इस प्रकार कुल 98 के लिए यात्रा भृत्ता, कन्टेनजेन्सी एवं

टी०एल०एम० मद में, धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार इन नए प्रस्तावित सी०आर०सी० में 22 समन्वयकों के लिए वेतन एवं उपकरण तथ फर्निचर मद में धनराशि प्राविधानित की गयी है।

१६. शोध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (RESM)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में शोध, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे इसके अन्तर्गत सन्दर्भ व्यक्तियों के पूल का निर्माण उनके यात्राव्यय एवं मानदेय का भुगतान, जिला एवं ब्लाक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन, एक्शन रिसर्च आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इसके अंतर्गत –

- निर्माण कार्यों के प्रशिक्षण हेतु ग्राम शिक्षा समिति की कार्यशालाएं
- टी०एल०एम० कार्यशालाएं.
- रामुदायिक सहभागिता पर कार्यशाला.
- वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा पर कार्यशाला.
- गैग्जीन एवं न्यूज लेटर, फोल्डर आदि का प्रकाशन.
- निगि००१ नानिटरिंग फार्मेटश का मुद्रण.
- जिला एवं ब्लाक रत्तरीय विविध कार्यशालाएं एवं सेमीनार.
- संदर्भ समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण.
- रांदर्भ व्यक्तियों के मानदेय, यात्रा-व्यय आदि का भुगतान.
- मूल्योकन कार्यशालाएं.
- शोध एवं क्रियात्मक शोध
- विद्यालय कोटि-करण.
- एक्सापोजर विजिट.
- टी०एल०एम० विकास हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण, टी०एल०एम० प्रदर्शनी मेला एवं प्रतियोगिताएं.
- बाल मेला एवं प्रतियोगिताएं.
- निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य.
- प्रवार-प्ररार एवं दीवार-लेखन.....आदि

१७. जिला परियोजना कार्यालय

परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिला परियोजना कार्यालय में यात्रा भत्ता, कंज्यूमेबल, उपकरण एवं वाहन मरम्मत एवं पी०ओ०एल० मद आकस्मिक व्यय, एवं वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट मद में धनराशि प्राविधानित की गई है। जनपद में निर्माण कार्यों के तकनिकी पर्यवेक्षण हेतु जनपद में निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत आर०ई०एस० या एम०आई० अथवा शासन द्वारा निर्धारित ऐजेंसी का सहयोग लिया जायेगा। ऐजेंसी के सहायक अभियन्ता के लिये अवर अभियन्ताओं के लिये मानदेय प्राविधान किया गया है।

डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत जनपद में ई०एम०आई०एस० सेल की स्थापना की गई है। इस वर्ष की कार्य योजना में उपकरण, उपकरण मरम्मत, फार्मेट प्रिंटिंग, प्रशिक्षण, सैम्पल स्टडी, एक्सपोजर विजिट एवं कम्प्यूटर कंज्यूमेबल मद में धनराशि प्राविधानित की गई है।

१८. एन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम

जिले में एन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम का क्रियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। वर्तमान समय में जिले में बालिकाओं के नामांकन व धारण की कम समस्या है। जो समस्या विशेष रूप से रामने आ रही है वह बालिकाओं की शैक्षिक संप्राप्ति की है। इस हेतु जिला, विकासखण्ड व संकुल स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा –

जिला स्तर पर एन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम का क्रियान्वयन

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रीक्ट जेण्डर यूनिट होगी। जिसमें डिस्ट्रीक्ट जेण्डर कोर्डिनेटर, रिसोर्स पर्सन व सहायक कर्मचारी होगे। यह यूनिट निम्नानुसार होगी –

1. विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
2. जिला समन्वयक, महिला समाख्या
3. जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा, डी०पी०ई०पी०।
4. जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता, डी०पी०ई०पी०।
5. जिला समन्वयक, वैकल्पिक शिक्षा, डी०पी०ई०पी०।
6. जिला समन्वयक, प्रशिक्षण, डी०पी०ई०पी०।
7. समरत सामायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
8. ममता समूह/एस०एम०सी के 2 सक्रिय महिला सदस्य।
9. अनुजाति/जनजाति संगठनों की 1 सक्रिय महिला सदस्य।
10. राज्य स्तरीय जेण्डर यूनिट का 1 मनोनीत सदस्य।

यह समिति पर्यवेक्षण व समन्वयन का कार्य करेगी। यह यूनिट जिला स्तर पर संसाधनों को जुटाने का एवं प्रशिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करेगी। यह यूनिट जिला स्तर पर प्रशासन से सहयोग लेगी, व अन्य संस्थाओं व स्वयंसेवी संगठनों से समन्वयन करेगी। यह यूनिट वर्ष में दो बार बैठक करेगी। जिसमें इस योजना के क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण की समीक्षा की जायेगी। यह समिति जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परियोजना समिति के प्रति जवाब देह होगी और यह यूनिट जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति के नियंत्रणाधीन कार्य करेगी।

भारत सरकार द्वारा सन् 1991 की जनगणना के आधार पर एन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिले के 8 विकासखण्डों को प्रस्तावित किया गया है। ये वे विकासखण्ड हैं, जोकि एन०पी०ई०जी०ई०एल० के मानकों को पूरा करते हैं अर्थात् ये विकासखण्ड शैक्षिक रूप से पिछड़े हुये हैं, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 30.60 प्रतिशत से कम है तथा पुरुष महिला साक्षरता का अन्तर राष्ट्रीय औसत दर 27.25 प्रतिशत से अधिक है। ये विकासखण्ड निम्नांकित हैं –

संकुल स्तर पर एन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम का क्रियान्वयन

संकुल स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन समन्वयक द्वारा किया जायेगा। जोकि अवैतनिक महिला कार्यकर्त्ति होगी। जोकि कोर टीम के सहयोग से कार्य करेगी। यह कोर टीम निम्नानुसार होगी

1. समन्वयक (जागरूक महिला)
2. न्याय पंचायत समावणक (जिस न्याय पंचायत में एन०पी०ई०जी०ई०एल० के अंतर्गत गठित संकुल होगा)
3. मॉडल संकुल केन्द्र का प्रधानाध्यापक – सदस्य सचिव
4. संबंधित क्षेत्र के वी०ई०सी० / एस०एम०सी० के अध्यक्ष – सदस्य

जिन क्षेत्रों में महिला समाख्या संचालित है वहाँ उनका सहयोग लिया जायेगा। संकुल स्तर पर समन्वयक कोर टीम के सहयोग से समुदाय को जागरूक करेगा तथा बालिकाओं के नामांकन, धारण व संप्राप्ति की सतत निरीक्षण करेगा। एवं परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करेगा। गांव स्तर इस योजना का समन्वयन महिला समाख्या संघ, कोर ग्रुप, ग्रा०शि०सभि०, मातृ संघ, पी०टी०ए० के सहयोग से किया जायेगा। संकुल स्तर पर कोर टीम होगी जोकि सकुल स्तर की गतिविधियों का निर्माण करेगी व निरीक्षण करेगी। ये कोर टीम वी०ई०सी० व एस०एम०सी० के अध्यक्षों से समन्वयन कर बनाई जायेगी। इस संकुल स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष इस के सदस्यों के मध्य से क्रमिक रूप से प्रत्येक चार माह में बनाया जायेगा। माडल क्लर्टर स्कूल का प्रधानाध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होगा। इस कमेटी में कम से कम चार महिलाएं होगी जोकि वी०ई०सी० व एस०एम०सी० से ली गई होंगी।

क. एन०पी०जी०ई०एल० के अंतर्गत निर्माण कार्य

जनपद में कई स्तरों पर हुई चर्चा के उपरान्त, चयनित विकासखण्डों में कुल 54 संकुल बनाए गये हैं। इन संकुलों के अंतर्गत वे विद्यालय लिये गये हैं जहाँ पर बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर न्यून है व महिलाओं की साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से कम है। इन संकुलों के केन्द्रीय विद्यालय में एन०पी०ई०जी०ई०ए०एल० के दिशा निर्देश के अनुरूप एक कक्ष बनाया जायेगा। ये कक्ष शौचालय, पेयजल व बिजली से सुसज्जित रहेगा। इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया है। संकुल विद्यालय में बनने वाले कक्ष हेतु प्राविधानित धनराशि 2 लाख मे यदि कुछ धनराशि शेष रह जाती है तो उस धनराशि से संकुल विद्यालय के चारों ओर चाहरदीवारी भी बनाई जाएगी।

खा. अध्यापक प्रशिक्षण

एन०पी०ई०जी०ई०ए०एल० योजना के अंतर्गत गठित संकुलों के अध्यापकों का जेण्डर संवेदीकरण करने के लिए उनका संकुल स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिस हेतु बजट का प्राविधान आगामी वर्ष में किया जायेगा।

ग. सहभागी क्रियाकलाप

प्रत्येक संकुल में कोल टीम के सहयोग से निम्नांकित सहभागी क्रियाकलाप करवाये जाएंगे—

- संकुल विद्यालय में उन छात्राओं को जो कि पढ़ाई में कमजोर हैं को विषय विशेष की शिक्षा दी जाएगी। जिसके लिए समुदाय में से ही एक व्यक्ति को मानदेय में इस कार्य हेतु संविदा पर रखा जाएगा। जिसके चयन का मानक जिला स्तर पर तय किया जायेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान अगले वर्ष की कार्ययोजना में किया जायेगा है।
- प्रत्येक संकुल में छात्राओं की वर्तमान शैक्षणिक संप्राप्ति के स्तर की जांच करने हेतु विशेष परीक्षण/निरीक्षण किये जाएंगे। इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया है।
- प्रत्येक संकुल विद्यालय में छात्राओं की पढ़ाई हेतु लाईब्रेरी, खेल कूद की सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया है।
- अधिक उम्र की छात्राओं में विशेष दक्षताओं का विकास किया जायेगा। जिस हेतु दक्ष लोगों की सेवाएं मानदेय पर ली जाएगी। जिस हेतु बजट का प्राविधान अगले वर्षों की कार्ययोजना में किया जायेगा।
- प्रत्येक संकुल में उन अध्यापकों/विद्यालयों को पुरुष्कृत किया जायेगा जोकि बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन, धारण व शैक्षणिक संप्राप्ति पर उत्कृष्ट कार्य करेंगे। इस हेतु चयन जिला स्तरीय जेण्डर यूनिट द्वारा किया जायेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान अगले वर्ष की कार्ययोजना में किया जायेगा।
- छात्राओं का उनकों दो जाने वाली नियुक्ति पाठ्य पुस्तक की धनराशि (150.00 रु) से कम व्यय होने पर शेष धनराशि से आवश्यकता पड़ने पर स्लेट, कापी इत्यादि खरीदी जाएगी।

जिले में ईन०पी०ड०जी०ड०एल० कार्यक्रम के अन्तर्गत संकुलों का गठन

विभिन्न स्तरों पर हुई चर्चा एवं परिचर्चा के उपरांत ये ज्ञात हुआ कि जनपद में ऐसे गांव कम संख्या में हैं जहाँ पर बालिकाएं आरंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही है। परन्तु अभी भी कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर बालिकाएं नामांकित तो हैं परन्तु उनके विद्यालय आने जाने का समय शिथिल है, कुछ गांवों में बालिकाएं खेती के काम के समय विद्यालय अनियमित आती हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित तो हों जाती है किन्तु कार्य की अधिकता व अभिभावकों की सोच के कारण शालात्याग कर देती हैं। इन सभी कारणों के कारण उनकी शैक्षणिक रामप्राप्ति न्यून रहती है। बालिकाओं की शैक्षणिक रामप्राप्ति कम होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि अभिभावक बालिकाओं की शैक्षणिक संप्राप्ति के प्रति जागरूक नहीं हैं। इस का मुख्य कारण है महिलाओं की कम शैक्षणिक संप्राप्ति व जागरूक न होना। अतः भारत सरकार द्वारा दी गई एन०पी०जी०ड०एल० की गाईड लाईन के अनुसार अग्रांकित संकुल प्रस्तावित किये गये हैं—

संकुल स्तर पर एन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम का क्रियान्वयन

संकुल स्तर पर इस कार्यक्रम का संचालन समन्वयक द्वारा किया जायेगा। जोकि अवैतनिक महिला कार्यकर्त्रि होगी। जोकि कोर टीम के सहयोग से कार्य करेगी। यह कोर टीम निम्नानुसार होगी।

1. समन्वयक (जागरूक महिला)
2. न्याय पंचायत सामाजिक (जिस न्याय पंचायत में एन०पी०ई०जी०ई०एल० के अंतर्गत गठित संकुल होगा)
3. मॉडल संकुल केन्द्र का प्रधानाध्यापक – सदस्य सचिव
4. संबंधित क्षेत्र के वी०ई०सी०/एस०एम०सी० के अध्यक्ष – सदस्य

जिन क्षेत्रों में महिला समाख्या संचालित है वहाँ उनका सहयोग लिया जायेगा। संकुल स्तर पर समन्वयक कोर टीम के सहयोग से समुदाय को जागरूक करेगा तथा बालिकाओं के नामांकन, धारण व संप्राप्ति की सतत निरीक्षण करेगा एवं परियोजना के उद्देशों की प्राप्ति का प्रयास करेगा। गांव स्तर इस योजना का समन्वयन महिला समाख्या संघ, कोर ग्रुप, ग्रा०शि०समि०, मातृ संघ, पी०टी०ए० के सहयोग से किया जायेगा। संकुल स्तर पर कोर टीम होगी जोकि संकुल स्तर की गतिविधियों का निर्माण करेगी व निरीक्षण करेगी। ये कोर टीम वी०ई०सी० व एस०एम०सी० के अध्यक्षों से समन्वयन कर बनाई जायेगी। इस संकुल स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष इस के सदस्यों के मध्य से क्रमिक रूप से प्रत्येक चार माह में बनाया जायेगा। माडल क्लस्टर स्कूल का प्रधानाध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होगा। इस कमेटी में कम से कम चार महिलाएं होगी जोकि वी०ई०सी० व एस०एम०सी० से ली गई होंगी।

क. एन०पी०जी०ई०एल० के अंतर्गत निर्माण कार्य

जनपद में कई स्तरों पर हुई चर्चा के उपरांत, चयनित विकासखण्डों में कुल 54 संकुल बनाए गये हैं। इन संकुलों के अंतर्गत वे विद्यालय लिये गये हैं जहाँ पर बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर न्यून है व महिलाओं की साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से कम है। इन संकुलों के केन्द्रीय विद्यालय में एन०पी०ई०जी०ई०एल० के दिशा निर्देश के अनुरूप एक कक्ष बनाया जायेगा। ये कक्ष शौचालय, पेयजल व बिजली से सुसज्जित रहेगा। इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्ययोजना में किया गया है। संकुल विद्यालय में बनने वाले कक्ष हेतु प्राविधानित धनराशि 2 लाख में यदि कुछ धनराशि शेष रह जाती है तो उस धनराशि से संकुल विद्यालय के चारों ओर चाहरदीवारी भी बनाई जाएगी।

खा. अध्यापक प्रशिक्षण

एन०पी०ई०जी०ई०एल० योजना के अंतर्गत गठित संकुलों के अध्यापकों का जेण्डर संवेदीकरण करने के लिए उनका संकुल स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिस हेतु बजट का प्राविधान आगामी वर्ष में किया जायेगा।

ग. सहभागी क्रियाकलाप

प्रत्येक संकुल में कोर्ट टीम के सहयोग से निम्नांकित सहभागी क्रियाकलाप करवाये जाएं—

- संकुल विद्यालय में उन छात्राओं को जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं को विषय विशेष की शिक्षा दी जाएगी। जिसके लिए समुदाय में से ही एक व्यक्ति को मानदेय में इस कार्य हेतु संविदा पर रखा जाएगा। जिसके चयन का मानक जिला स्तर पर तय किया जायेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान अगले वर्ष की कार्ययोजना में किया जायेगा है।
- प्रत्येक संकुल में छात्राओं की वर्तमान शैक्षणिक संप्राप्ति के स्तर की जांच करने हेतु विशेष परीक्षण/निरीक्षण किये जाएं। इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया है।
- प्रत्येक संकुल विद्यालय में छात्राओं की पढ़ाई हेतु लाईब्रेरी, खेल कूद की सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु आवश्यक बजट का प्राविधान इस वर्ष की कार्य योजना में किया है।
- अधिक उम्र की छात्राओं में विशेष दक्षताओं का विकास किया जायेगा। जिस हेतु दक्ष लोगों की सेवाएं मानदेय पर ली जाएगी। जिस हेतु बजट का प्राविधान अगले वर्षों की कार्ययोजना में किया जायेगा।
- प्रत्येक संकुल में उन अध्यापकों/विद्यालयों को पुरुष्कृत किया जायेगा जोकि बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन, धारण व शैक्षिक संप्राप्ति पर उत्कृष्ट कार्य करेंगे। इस हेतु चयन जिला स्तरीय जेण्डर यूनिट द्वारा किया जायेगा। इस हेतु बजट का प्राविधान अगले वर्ष की कार्ययोजना में किया जायेगा।
- छात्राओं का उनकों दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की धनराशि (150.00 रु) से कम व्यय होने पर शेष धनराशि से आवश्यकता पड़ने पर स्लेट, कापी इत्यादि खरीदी जाएगी।

जिले में छन०पी०ई०जी०ई०एल० कार्यक्रम के अन्तर्गत संकुलों का गठन

विभिन्न स्तरों पर हुई चर्चा एवं परिचर्चा के उपरात ये ज्ञात हुआ कि जनपद में ऐसे गांव कम संख्या में हैं जहाँ पर बालिकाएं आरंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही है। परन्तु अभी भी कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर बालिकाएं नामांकित तो हैं परन्तु उनके विद्यालय आने जाने का समय शिथिल है, कुछ गांवों में बालिकाएं खेती के काम के समय विद्यालय अनियमित आती हैं, कुछ गांव ऐसे भी हैं जहाँ बालिकाएं विद्यालयों में नामांकित तो हो जाती है किन्तु कार्य की अधिकता व अभिभावकों की सोच के कारण शालात्याग कर देती है। इन सभी कारणों के कारण उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति न्यून रहती है। बालिकाओं की शैक्षिक संप्राप्ति कम होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि अभिभावक बालिकाओं की शैक्षिक संप्राप्ति के प्रति जागरूक नहीं हैं। इस का मुख्य कारण है महिलाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति व जागरूक न होना। अतः भारत सरकार द्वारा दी गई एन०पी०जी०ई०एल० की गाईड लाईन के अनुसार अग्राकृत संकुल प्रस्तावित किये गये हैं—

जिले में छनौपी०झौ०जी०झौ०एल० कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित संकुल

क्र. सं.	विकास खण्ड	संकुल	संकुल में गांव	संकुल में विद्यालय	एन०पी०झौ०जी०झौ०एल० में सम्मिलित करने का कारण
1	भिलगढ़ा	निवालगांव	08	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
2		तोली	09	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
3		करखेड़ी	09	04	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
4		गत्याकोट	08	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
5		होल्टा	08	04	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
6		उरार	08	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
7		लसियालगांव	10	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
8		रगड़ी	07	04	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
9		गंगी	08	03	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
10		मेड	15	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
11		पोनाड़ा	12	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून माहेला साक्षरता,
12		किरेथ	11	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
13		कट्टूड	15	15	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
14		मालगांव	15	15	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
15	देवप्रयाग	त्यूणा	06	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
16		पौड़ीखाल	08	08	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
17		आमणी	07	07	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
18		कोटीभरपुर	05	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
19		जामणोखाल	09	09	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
20		लक्ष्मोली	08	08	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
21	प्रतापनगर	ग्याड	06	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
22		ओनालगांव	09	09	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
23		भेलुन्ता	05	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
24		गैरी राजपूतों की	05	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
25		खेतपाली	05	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून माहेला साक्षरता,
26		गरवाणगांव	06	06	कम शैक्षिक संप्राप्ति, बड़ी उम्र की बालिकाएं
27		वुडकोट	05	05	कम शैक्षिक संप्राप्ति, बड़ी उम्र की बालिकाएं
28	जाखणीधार	खोला	05	02	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
29		चम्पाधार	05	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
30		पटुड़ी	05	02	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,

31	जौनपुर	श्रीकोट	09	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
32		ऐन्दुल	07	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
33		टिकरी	08	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
34		मरोड	06	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
35		पाव	11	07	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
36		बाण्डासारी	16	09	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
37		काटल	12	12	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
38		रणोगी	11	07	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
39		काण्डाजाख	07	08	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
40		परोगी	07	07	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
41		टकारना	08	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
42		मझगाव	15	08	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
43		नकुर्ची	16	09	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
44		साटागाड	08	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
45		नड	05	04	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
46		रातेगल	07	07	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
47		कुगाल्डा	13	06	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
48		रगडगाव	07	05	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
49		ललोटना	12	08	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
50		भुयासारी	13	11	बालिकाओं की कम शैक्षिक संप्राप्ति न्यून महिला साक्षरता,
51	श्रीलक्ष्मी		13	13	कम शैक्षिक संप्राप्ति, काम काजी बालिकाएं, शाला त्यागी बालिकाएं, अनु०जाति के लोग
52		डांग गुसाई	05	05	कम शैक्षिक संप्राप्ति, काम काजी बालिकाएं, शाला त्यागी बालिकाएं, अनु०जाति के लोग
53		डडी गुसाई	05	05	कम शैक्षिक संप्राप्ति, काम काजी बालिकाएं, शाला त्यागी बालिकाएं, अनु०जाति के लोग
54		कोटी	05	05	कम शैक्षिक संप्राप्ति, काम काजी बालिकाएं, शाला त्यागी बालिकाएं, अनु०जाति के लोग

इस वर्ष की कार्ययोग्यता 2004–2005 में 24 एम०सी०एस० में कक्ष निर्माण एवं गत वर्ष में स्वीकृत 06 सहित कुल 30 में आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, कुल प्रस्तावित 54 एम०सी०एस० में एक अनुदेशक की व्यवस्था एवं उसके लिए 05 माह के लिए मानदेय की व्यवस्था की गयी है। साथ ही अन्य विविध गतिविधियों (टी०एल०एम० एवं अन्य आकस्मिक व्यय) के लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है। सभी एम०सी०एस० में छात्रों की संप्राप्ति स्तर के गूलगाकरण एवं उसके बाद 03 गणी तक उपवारात्मक शिक्षण के लिए बजट का प्राविधान किया गया है। समुदाय की सहभागिता संबंधी गतिविधियों के लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक एम०सी०एस० में 01 महिला प्रेरक के यात्रा भत्ता मद में धनराशि प्राविधानित की गयी है।

बजट का विस्तृत विवरण रॉलग्न तालिका "C" एवं "D" पर अंकित है—

SARVA SHIKSHA ABHIYAN Tehri Garhwal

Table- C Plan for the Year 2004-2005

Rs. In Thousand						
Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
I	Civil Work					
1	New Primary School		378.00			
2	New Upper Primary School	18	600.00	10800.00	March 2005, VEC	Last Year sanctioned but Building not Const.
3	Re-Construction PS		378.00			
4	Re-Construction UPS		600.00			
5	A. Class Room PS		135.00			
6	A. Class Room UPS		135.00			
7	Toilets PS		15.00			
8	Toilets UPS		15.00			
9	D. Water PS		20.00			
10	D. Water UPS		20.00			
11	B. Wall PS		40.00			
12	B. Wall UPS		50.00			
13	Major Repairs PS					
14	Major Repairs UPS					
15	Construction of BRC		930.00			
16	Construction of CRC	4	450.00	1800.00	March 2005, VEC	
17	Electrification					
18	Any Other					
	TOTAL			12600.00		
II	Teachong Learning Equipment					
1	TLE New PS		10.00			
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)	20	50.00	1000.00	March 2005, VEC	
3	TLE New UPS	139	50.00			
	TOTAL	284		1000.00		
III	School Grant	145				
1	School Improvement Grants PS		2.00			
2	School Improvement Grants UPS	479	2.00	958.00	Dec 2004, VEC	303JH+8 M.S.+17AJh+42HS+109 IC
	TOTAL			958.00		
IV	Maintenance Grant					
1	Maintenance Grants PS					
2	Maintenance Grants UPS	29	5.00	145.00	March 2005, VEC	303-(125+16+14+19+100)
	TOTAL			145.00		

Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
V	Teacher Grant (TLM)					
1	Teacher Grant (TLM) PS		0.50			
2	Teacher Grant (TLM)UPS	1748	0.50	874.00	Dec. 2004, DPO	253 JHS+27MS+51AJH+126HS+327I
	TOTAL			874.00		
VI	Educatation Guarantee Scheem (EGS)					
1	EGS Primary (No. of Childern)		0.845			
2	EGS Upper Primary (No. of Childern)	244	1.200	292.80	March 2005, DPO	
	TOTAL			292.80		
	Alter. & Innovatative Education (AIE)					
3	AIE Primary (No. of Childern)	310	3.000	930.000	March 2005, DPO	
4	AIE Upper Primary (No. of Childern)	200	3.000	600.000	March 2005, DPO	
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)					
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)					
7	Any Other					
	TOTAL			1530.00		
VII	Free Text Books					
1	F.T. Books to SC/ST children & GirlsPS		0.07			
2	F.T. Books to SC/ST children & GirlsUPS	25216	0.15	3782.40	Sept. 2005, DPO	
	TOTAL			3782.40		
VIII	I. Ed.	917	1.20	1100.4	March 2005, DPO, DIET	
	TOTAL			1100.40		
IX	Innovative Activities					
1	Computer Educataion		1500.00	1500.00	March 2005, DPO	
2	E.C.C.E.		500.00	0.00		
3	Girls Educataiom (SUPW)		500.00	500.00	March 2005, DPO	SUPW
4	SC/ST Intervention		500.00	0.00		
5	Tea Garden/Special Arcas		500.00	0.00		
6	Any Other Model Cluster Dvt. App.		500.00	250.00	March 2005, DPO, BRC	Melas, Wshp. Etc.
	TOTAL			2250.00		
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS	74	12.00	10656.00	March 2005, DPO	74*12 Month*12.00
3	Salary of Additional Teachers PS					48*10 Month*12.00
4	Salary of Additional Teachers UPS	48	12.00	5760.00	March 2005, DPO	
5	Salary of ParaTeachers					
6	Any Other					
	TOTAL			16416.00		

Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
XI	Salary of Teachers Sanctioned in Pre.Year					
1	Salary of Teachers PS					
2	Salary of Teachers UPS					37*05 Month*12.00
3	Salary of Additional Teachers PS					
4	Salary of Additional Teachers UPS	37	12.00	2220.00	March 2005, DPO	For 37 School open in Last year
5	Salary of ParaTeachers					
6	Any Other					
	TOTAL			2220.00		
XII	Teacher Training					
1	Induction Training (30 days)					
2	10 Days In-service Course	1748	0.07	1223.60	March 2005, DIET & BRC	253 JHS+27MS+51AJH+126HS+327I
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS					
4	15 Days Recurring For Untrained Teachers					
5	Any Other					
	TOTAL			1223.60		
XIII	Strengthening Of VEC					
1	VEC Training		0.48	0.00		
2	SMC Training		0.48	0.00		
	TOTAL			0.00		
XIV	BRC (Administrative)					
1	Salary of Co-ordinator					
2	Salary of Co Co-ordinator					
3	Equipment &Furniture/fiture & Equipment		100.00			
4	Travelling Allowance & Meetings	9	6.00	9.00	March 2005, DPO-BRC	9 BRC*1.00
5	Maintinance of Equipment					
6	Maintinance of Building					
7	TLM Grant		5.00			
8	Contigency	9	12.50	67.50	March 2005, DPO-BRC	9 BRC*7.50
9	Any Other					
	TOTAL			76.50		
XV	CRC (Administrative)					
1	Salary of Co-ordinator	22	12.00	2112.00	March 2005, DPO	22 *8 Month*12.00
2	Equipment &Furniture/fiture & Equipment	22	10.00	220.00	March 2005, DPO& VEC	
3	Travelling Allowance & Meetings	22+76	2.40	83.20	March 2005, DPO-CRC	76*.40+22*2.40
4	Maintinance of Equipment					
5	Maintinance of Building					
6	TLM Grant	98	1.00	98.00	March 2005, DPO-CRC	
7	Contigency	98	2.50	169.00	March 2005, DPO-CRC	76*1.5+22*2.5
8	Any Other					
	TOTAL			2682.20		

Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
XVI	Research, Monitoring & Evaluation					
1	PS		1,400			
2	UPS	516	1,400	722.40	March 2005, DPO	10JH+8 M.S +17AJH+42IS+109 IC+37 New JH
	TOTAL			722.40		
XVII	Management			908.00	March 2005, DPO	
	TOTAL			908.00		
XVIII	NPEGEL			7374.00	March 2005, DPO	
	TOTAL			7374.00		
	Grand Total			56155.30		

SARVA SHIKSHA ABHIYAN Tehri Garhwal

Table- C-1 Plan for the Year 2004-2005

Rs. In Thousand

Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
XVII	Management					
1	Salary of Staff					
	Consultants	5	10.00	50.00	March 2005, DPO	
2	Honora cum for Civil Work					
	A.I..	1	2.00	24.00	March 2005, DPO	
	J.E.			419.00	March 2005, DPO	1%
3	Travelling Allowance			50.00	March 2005, DPO	
4	Maintinance of Equipment			25.00	25.00	March 2005, DPO
5	Telephone / Fax			20.00	20.00	March 2005, DPO
6	Contigency			25.00	25.00	March 2005, DPO
7	Consumable			25.00	25.00	March 2005, DPO
8	POL & Vehicle Maintenance			40.00	40.00	March 2005, DPO
9	Maintenance of Vehicle					
10	POL for Motor cycle					
11	Hiring of Vehicle					
12	AWP&B			20.00	20.00	March 2005, DPO
13	Capi. Buil. For Edu. Fun.			0.70	0.00	
14	Capi. Buil. For Proj. Staff	100	1.20	120.00	March 2005, DPO	
15	EMIS Cell			50.00	50.00	March 2005, DPO
16	Inovation			40.00	40.00	March 2005, DPO
	TOTAL			908.00		

Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
XVIII	NPEGEL				March 2005, DPO	
1	Model Cluster School(MCS)					
(a)	Civil Work					
(a)	Additional Class Room	24	135.00	3240.00	March 2005, DPO & VEC	
(b)	Toilet	24	15.00	360.00	March 2005, DPO & VEC	
(C)	Supply of Drinking Water	24	20.00	480.00	March 2005, DPO & VEC	
(d)	Others (Electrification in MCS, Play ground And Boundary Wall/ Barrier of Iron	24	30.00	720.00	March 2005, DPO & VEC	
	Total 1(a to d)			4800.00		
2	Others Additional facilities in MCS		30.00			
(a)	TLE, Furniture/ Fixture	30	20.00	600.00	March 2005, DPO & VEC	24 New +6 MCS Last Year
(b)	Library	30	5.00	150.00	March 2005, DPO & VEC	
(c)	Sport aid	30	5.00	150.00	March 2005, DPO & VEC	
(d)	Vocational Training					
(e)	Others					
	Total 2(a to e)			900.00		
3	Intervention in MCS		60.00			
3A	Recurring Grant to MCS					
(a)	Maintenance of MCS		5.00			
(b)	Remuneration of Instructors	54	1.00	270.00	March 2004, DPO & VEC	05 Month For 1 Ins.*54MCS
(c)	Audio Visual Grant					
(d)	Development of awareness material					
(e)	Others	54	1.00	54.00	March 2004, DPO & VEC	
	Total 3A (a to e)			324.00		
3B	Award to School/ Teacher		5.00			
	Total			0.00		
3C	Innovation Programmes		20.00			
(a)	Student Evaluation	54	5.00	270.00	March 2004, DPO/DIET & VEC	
(b)	Remedial Teaching	54	2.00	324.00	March 2004, DPO/DIET & VEC	For 03 Months
(c)	Bridge Courses					
(d)	Alternative Schools					
	Total (3c(a) to (d))			594.00		
3D	Learning through Open Schools		50.00			
	Total			0.00		
3E	Teachers Training		4.00			
	Total			0.00		
3F	Child Care Centre (2Centers per MCS)		6.00			
	Total			0.00		
	Sub Total (3A to 3F)			918.00		

Code	Head/ Sub heads/Activity	Phy. Targ.	U. cost	Approximate Financial	Time Schedule/Empl. Ag.	Remarks
4	Additional Incentives		0.15			
(a)	Stationary					
(b)	Slates					
(c)	Work Books					
(d)	Uniform					
(e)	Escorts					
(f)	Others					
	Total 4 (a to f)			0.00		
5	Nutrition & School Health	Total		0.00		
6	Community Mobilization(for Enrolment,Retention & Learning		35.00/20.00/20.00/10.00			
(a)	Orientation/Training at MCS Level		0.03			
(b)	T.A./D.A. for Women worker	54	5.00	270.00	March 2004, DPO & VEC	1 Worker each Center
(c)	Documentation					
(d)	Honorarium of Resource person					
(e)	T.A./D.A. for Co-ordinator					
(f)	Meeting	54	5.00	270.00	March 2004, DPO & VEC	
(g)	Workshop & Seminar	54	3.00	162.00	March 2004, DPO & VEC	
(h)	Awareness building	54	1.00	54.00	March 2004, DPO & VEC	
	Total -6 (a to h)			756.00		
	Total			7374.00		

Table - D According to Main Activities Expenses

SARVA SHIKSHA ABHIYAN Tehri Garhwal

Rs. In Thousand

Code	Activities/Particular	AWP&B Last Year	Re-appro- priation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Year		Approximate Balance Amount	Approximat- e Saving Amount	New Proposals	Spill Over after new Proposals	Remark
					Till 31st Dec.	Till 31st Mar					
I Civil Work											
1	New Primary School	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	New Upper Primary School	5400.00	0.00	5400.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	10800.00	10800.00	
3	Re-Construction PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Re-Construction UPS	17400.00	0.00	17400.00	0.00	15800.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	
5	A.Class Room PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	A.Class Room UPS	3400.00	0.00	3400.00	700.00	3400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Toilets PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Toilets UPS	1050.00	0.00	1050.00	300.00	1005.00	45.00	45.00	0.00	45.00	
9	D.Water PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	D.Water UPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	B.Wall PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	B.Wall UPS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	
13	Major Repairs PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Major Repairs UPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Construction of BRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Construction of CRC	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	3600.00	
17	Electrification	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	29300.00	0.00	29300.00	1000.00	25605.00	3695.00	3695.00	12600.00	16295.00	
II Teaching Learning Equipment											
1	TLE New PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)	8250.00	0.00	8250.00	0.00	8250.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	
3	TLE New UPS	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	1850.00	1850.00	0.00	1850.00	
	TOTAL	10100.00	0.00	10100.00	0.00	8250.00	1850.00	1850.00	1000.00	2850.00	
III School Grant											
1	School Improvement Grants PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	School Improvement Grants UPS	1086.00	0.00	1086.00	958.00	958.00	128.00	0.00	958.00	958.00	
	TOTAL	1086.00	0.00	1086.00	958.00	958.00	128.00	0.00	958.00	958.00	
IV Maintenance Grant											
1	Maintenance Grants PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Maintenance Grants UPS	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	145.00	145.00	
	TOTAL	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	145.00	145.00	

Code	Activities/Particular	AWP&B Last Year	Re-appro- priation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Yr		Approximate Balance Amount	Approximat- e Saving Amount	New Proposals	Spill Over after new Proposals	Remark
					Till 31st Dec.	Till 31st Mar					
V	Teacher Grant (TLM)										
1	Teacher Grant (TLM) PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Teacher Grant (TLM) UPS	770.50	0.00	770.50	720.50	720.50	50.00	0.00	874.00	874.00	
	TOTAL	770.50	0.00	770.50	720.50	720.50	50.00	0.00	874.00	874.00	
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	EGS Primary (No. of Children)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EGS Upper Primary (No. of Children)	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	292.80	292.80	
	TOTAL	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	292.80	292.80	
	Alter. & Innovative Education (AIE)										
3	AIE Primary (No. of Children)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	
4	AIE Upper Primary (No. of Children)	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	600.00	600.00	
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	3084.50	0.00	3084.50	0.00	0.00	3084.50	0.00	1530.00	1530.00	
VII	Free Text Books										
1	F.T.Books to SC/ST children & Girls PS	1046.22	-1046.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	F.T.Books to SC/ST children & Girls UPS	1195.68	2152.96	3349.64	3349.64	3349.64	0.00	0.00	3782.40	3782.40	
	TOTAL	2241.90	1106.74	3349.64	3349.64	3349.64	0.00	0.00	3782.40	3782.40	
VIII	I. Ed.	843.60	0.00	843.60	12.00	50.00	793.60	0.00	1100.40	1100.40	
	TOTAL	843.60	0.00	843.60	12.00	50.00	793.60	0.00	1100.40	1100.40	
IX	Innovative Activities										
1	Computer Education	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	
2	E.C.C.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Girls Education	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	500.00	500.00	
4	SC/ST Intervention	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	
5	Tea Garden/Special Areas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Any Other	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	250.00	250.00	
	TOTAL	5000.00	0.00	5000.00	0.00	1500.00	3500.00	0.00	2250.00	2250.00	
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year										
1	Salary of Teachers PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Salary of Teachers UPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10656.00	10656.00	
3	Salary of Additional Teachers PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS	4608.00	0.00	4608.00	0.00	0.00	4608.00	0.00	5760.00	5760.00	
5	Salary of ParaTeachers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	4608.00	0.00	4608.00	0.00	0.00	4608.00	0.00	16416.00	16416.00	

Code	Activities/Particular	AWP&B Last Year	Re-appro- priation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Yr		Approximate Balance Amount	Approximat- e Saving Amount	New Proposals	Spill Over after new Proposals	Remark
					Till 31st Dec.	Till 31st Mar					
XI	Salary of Teachers Sanctioned in Pre.Year										
1	Salary of Teachers PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Salary of Teachers UPS	7104.00	-1106.74	5997.26	0.00	0.00	5997.26	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Salary of Additional Teachers PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Salary of Additional Teachers UPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2220.00	2220.00	
5	Salary of ParaTeachers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	7104.00	-1106.74	5997.26	0.00	0.00	5997.26	0.00	2220.00	2220.00	
XII	Teacher Training										
1	Induction Training (30 days)	3540.60	0.00	3540.60	0.00	0.00	3540.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	10 Days In-service Course	1078.70	0.00	1078.70	0.00	0.00	1078.70	0.00	1223.60	1223.60	
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	15 Days Recurring For Untrained Teachers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4619.30	0.00	4619.30	0.00	0.00	4619.30	0.00	1223.60	1223.60	
XIII	Strengthening Of VEC										
1	VEC Training	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SMC Training	260.64	0.00	260.64	157.92	158.00	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	260.64	0.00	260.64	157.92	158.00	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
XIV	BRC (Administrative)										
1	Salary of Co-ordinator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Salary of Co Co-ordinator	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Equipment & Furniture/fixture & Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Travelling Allowance & Meetings	54.00	0.00	54.00	0.00	9.00	45.00	0.00	9.00	9.00	
5	Maintainance of Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Maintainance of Building	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	TLM Grant	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Contigency	112.50	0.00	112.50	0.00	67.50	45.00	0.00	67.50	67.50	
9	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	211.50	0.00	211.50	0.00	76.50	135.00	0.00	76.50	76.50	
XV	CRC (Administrative)										
1	Salary of Co-ordinator	2112.00	0.00	2112.00	0.00	0.00	2112.00	0.00	2112.00	2112.00	
2	Equipment & Furniture/fixture & Equipment	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	220.00	220.00	
3	Travelling Allowance & Meetings	235.20	0.00	235.20	0.00	30.40	204.80	0.00	83.20	83.20	
4	Maintainance of Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Maintainance of Building	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	TLM Grant	98.00	0.00	98.00	0.00	76.00	22.00	0.00	98.00	98.00	
7	Contigency	245.00	0.00	245.00	0.00	114.00	131.00	0.00	169.00	169.00	
8	Any Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	2800.20	0.00	2800.20	0.00	220.40	2579.80	0.00	2682.20	2682.20	

Code	Activities/Particular	AWP&B Last Year	Re-appro- priation	Revised Sanctioned Amount	Expenses of the Last Yr		Approximate Balance Amount	Approximat- e Saving Amount	New Proposals	Spill Over after new Proposals	Remark
					Till 31st Dec.	Till 31st Mar					
XVI	Research, Monitoring & Evaluation										
1	PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	UPS	760.20	0.00	760.20	65.84	161.69	598.51	0.00	722.40	722.40	
	TOTAL	760.20	0.00	760.20	65.84	161.69	598.51	0.00	722.40	722.40	
XVII	Management	1062.000	0.000	1062.000	8.175	110.00	952.000	0.000	908.000	908.000	
	TOTAL	1062.000	0.000	1062.000	8.175	110.000	952.000	0.000	908.000	908.000	
XVIII	NPEGEL	1819.00	0.00	1819.00	0.00	0.00	1819.00	1200.0	7374.0	8574.00	
	TOTAL	1819.00	0.00	1819.00	0.00	0.00	1819.00	1200.0	7374.0	8574.00	
	Grand Total	76531.340	0.000	76531.340	6772.073	41659.727	34872.613	6745.00	56155.30	62900.300	

Sarva Shiksha Abhiyan, Tehri Garhwal

Annual Work Plan & Budget 2004-2005

Committed & Planned Expenditure

Code	Activities/Particular	Committed Expenditure	Planned Expenditure	Total W.Plan	Remark
I Civil Work					
1	New Primary School			0.00	
2	New Upper Primary School	2400.00	8400.00	10800.00	
3	Re-Construction PS			0.00	
4	Re-Construction UPS	1600.00	0.00	1600.00	
5	A. Class Room PS			0.00	
6	A. Class Room UPS	0.00		0.00	
7	Toilets PS			0.00	
8	Toilets UPS	45.00		45.00	
9	D. Water PS			0.00	
10	D. Water UPS			0.00	
11	B. Wall PS			0.00	
12	B. Wall UPS	250.00		250.00	
13	Major Repairs PS			0.00	
14	Major Repairs UPS			0.00	
15	Construction of BRC			0.00	
16	Construction of CRC	1800.00	1800.00	3600.00	
17	Electrification			0.00	
18	Any Other			0.00	
	TOTAL	6095.00	10200.00	16295.00	
II Teaching Learning Equipment					
1	TLE New PS			0.00	
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)	(00)	1000.00	1000.00	
3	TLE New UPS			1850.00	
	TOTAL	0.00	1000.00	2850.00	
III School Grant					
1	School Improvement Grants PS			0.00	
2	School Improvement Grants UPS	958.00		958.00	
	TOTAL	958.00	0.00	958.00	
IV Maintenance Grant					
1	Maintenance Grants PS			0.00	
2	Maintenance Grants UPS		145.00	145.00	
	TOTAL	0.00	145.00	145.00	

Code	Activities/Particular	Committed Expenditure	Planned Expenditure	Total W.Plan	Remark
V	Teacher Grant (TLM)				
1	Teacher Grant (TLM) PS			0.00	
2	Teacher Grant (TLM) UPS	874.00		874.00	
	TOTAL	874.00	0.00	874.00	
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)				
1	EGS Primary (No. of Children)			0.00	
2	EGS Upper Primary (No. of Children)			292.80	
	TOTAL	0.00	0.00	292.80	
	Alter. & Innovative Education (AIE)				
3	AIE Primary (No. of Children)	930.00		930.00	
4	AIE Upper Primary (No. of Children)	600.00		600.00	
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)	0.00		0.00	
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)	0.00		0.00	
7	Any Other	0.00		0.00	
				0.00	
	TOTAL	1530.00	0.00	1530.00	
VII	Free Text Books				
1	F.T. Books to SC/ST children & GirlsPS			0.00	
2	F.T. Books to SC/ST children & GirlsUPS	3782.40		3782.40	
	TOTAL	3782.4	0.00	3782.40	
VIII	I. Ed.	1100.40		1100.40	
	TOTAL	1100.40	0.00	1100.40	
IX	Innovative Activities				
1	Computer Education		1500.00	1500.00	
2	E.C.C.E.		0.00	0.00	
3	Girls Education		500.00	500.00	
4	SC/ST Intervention		0.00	0.00	
5	Tea Garden/Special Areas		0.00	0.00	
6	Any Other		250.00	250.00	
	TOTAL	0.00	2250.00	2250.00	
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year				
1	Salary of Teachers PS			0.00	
2	Salary of Teachers UPS	10656.00		10656.00	
3	Salary of Additional Teachers PS	0.00		0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS		5760.00	5760.00	
5	Salary of ParaTeachers		0.00	0.00	
6	Any Other		0.00	0.00	
	TOTAL	10656.00	5760.00	16416.00	

Code	Activities/Particular	Committed Expenditure	Planned Expenditure	Total W.Plan	Remark
XI	Salary of Teachers Sanctioned in Pre.Year				
1	Salary of Teachers PS		0.00	0.00	
2	Salary of Teachers UPS		0.00	0.00	
3	Salary of Additional Teachers PS		0.00	0.00	
4	Salary of Additional Teachers UPS		2220.00	2220.00	
5	Salary of ParaTeachers		0.00	0.00	
6	Any Other		0.00	0.00	
	TOTAL	0.00	2220.00	2220.00	
XII	Teacher Training				
1	Induction Training (30 days)		0.00	0.00	
2	10 Days In-service Course	1223.60		1223.60	
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS		0.00	0.00	
4	15 Days Recurring For Untrained Teachers		0.00	0.00	
5	Any Other		0.00	0.00	
	TOTAL	1223.60	0.00	1223.60	
XIII	Strengthening Of VEC				
1	VEC Training		0.00	0.00	
2	SMC Training		0.00	0.00	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	
XIV	BRC (Administrative)				
1	Salary of Co-ordinator		0.00	0.00	
2	Salary of Co Co-ordinator		0.00	0.00	
3	Equipment & Furniture/fiture & Equipment		0.00	0.00	
4	Travelling Allowance & Meetings	9.00		9.00	
5	Maintinance of Equipment		0.00	0.00	
6	Maintinance of Building		0.00	0.00	
7	TLM Grant	0.00		0.00	
8	Contigency	67.50		67.50	
9	Any Other	0.00		0.00	
	TOTAL	76.50	0.00	76.50	
XV	CRC (Administrative)				
1	Salary of Co-ordinator	2112.00		2112.00	
2	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	220.00		220.00	
3	Travelling Allowance & Meetings	83.20		83.20	
4	Maintinance of Equipment		0.00	0.00	
5	Maintinance of Building		0.00	0.00	
6	TLM Grant	98.00		98.00	
7	Contigency	169.00		169.00	
8	Any Other	0.00		0.00	
	TOTAL	S.S.A AWP, T.gwl. Comm. Pl	2682.20	0.00	2682.20

Code	Activities/Particular	Committed Expenditure	Planned Expenditure	Total W.Plan	Remark
XVI	Research, Monitoring & Evaluation				
1	PS			0.00	
2	UPS	722.40		722.40	
	TOTAL	722.40	0.00	722.40	
XVII	Management	279.00	470.00	908.00	
	TOTAL	279.00	470.00	908.00	
XVIII	NPEGEL				
	TOTAL	0.00	8574.00	8574.00	
	Grand Total	2 979.50	30619.00	62900.30	

**S.S.A. Tehri Garhwal
EXPENDITURE PLANE**

Rs. Thousand

S.N.	Category	1st Quarter (30th June)	2nd Quarter (30th Sept.)	3rd Quarter (31st Dec.)	4th Quarter (31st March)	TOTAL
I	Civil Work					
1	New Primary School					0.00
2	New Upper Primary School			2400.00	8400.00	10800.00
3	Re-Construction PS					0.00
4	Re-Construction UPS			1600.00		1600.00
5	A.Class Room PS					0.00
6	A.Class Room UPS					0.00
7	Toilets PS					0.00
8	Toilets UPS					45.00
9	D.Water PS					0.00
10	D.Water UPS					0.00
11	B.Wall PS					0.00
12	B.Wall UPS			250.00		250.00
13	Major Repairs PS					0.00
14	Major Repairs UPS					0.00
15	Construction of BRC					0.00
16	Construction of CRC			1800.00	1800.00	3600.00
17	Electrification					0.00
18	Any Other					0.00
	TOTAL	0.00	0.00	6050.00	10200.00	16295.00
II	Teaching Learning Equipment					
1	TLE New PS					0.00
2	TLE UPS (not Covered Under OBB)			0.00	1000.00	1000.00
3	TLE New UPS			1850.00		1850.00
	TOTAL	0.00	1850.00	1000.00	0.00	2850.00
III	School Grant					
1	School Improvement Grants PS					0.00
2	School Improvement Grants UPS			1000.00		958.00
	TOTAL	0.00	1000.00	0.00	0.00	958.00
IV	Maintenance Grant					
1	Maintenance Grants PS				0.00	0.00
2	Maintenance Grants UPS				145.00	145.00
	TOTAL	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00

S.N.	Category	1st Quarter (30th June)	2nd Quarter (30th Sept.)	3rd Quarter (31st Dec.)	4th Quarter (31st March)	TOTAL
V	Teacher Grant (TLM)					
1	Teacher Grant (TLM) PS					0.00
2	Teacher Grant (TLM) UPS			874.00		874.00
	TOTAL	0.00	0.00	874.00	0.00	874.00
VI	Education Guarantee Scheme (EGS)					
1	EGS Primary (No. of Children)				0.00	0.00
2	EGS Upper Primary (No. of Children)				292.80	292.80
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	292.80	292.80
	Alter. & Innovative Education (AIE)					
3	AIE Primary (No. of Children)		465.00		465.00	930.00
4	AIE Upper Primary (No. of Children)		390.00		300.00	600.00
5	Non-Resid. Bridge Courses (No. of Children)		0.00		0.00	0.00
6	Residential Bridge Courses (No. of Children)		0.00		0.00	0.00
7	Any Other		0.00		0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00
	TOTAL	0.00	765.00	0.00	765.00	1530.00
VII	Free Text Books					
1	F.T Books to SC/ST children & Girls PS		0.00			0.00
2	F.T Books to SC/ST children & Girls UPS		3782.40			3782.40
	TOTAL	0.00	3782.40	0.00	0.00	3782.40
VIII	I. Ed.					
	TOTAL	0.00	550.20	0.00	550.20	1100.40
IX	Innovative Activities					
1	Computer Education			1500.00		1500.00
2	E.C.C.E.				0.00	0.00
3	Girls Education		250.00		250.00	500.00
4	SC/ST Intervention		0.00		0.00	0.00
5	Tea Garden/Special Areas		0.00		0.00	0.00
6	Any Other		125.00		125.00	250.00
	TOTAL	0.00	375.00	1500.00	375.00	2250.00
X	Salary of Teachers Recruited in Past Year					
1	Salary of Teachers PS					0.00
2	Salary of Teachers UPS	2664.00	2664.00	2664.00	2664.00	10656.00
3	Salary of Additional Teachers PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Salary of Additional Teachers UPS		2880.00		2880.00	5760.00
5	Salary of ParaTeachers		0.00		0.00	0.00
6	Any Other		0.00		0.00	0.00
	TOTAL	2664.00	5544.00	2664.00	5544.00	16416.00

S.S.A. A.W.P.B. T.O. Exp. Pl.

S.N.	Category	1st Quarter (30th June)	2nd Quarter (30th Sept.)	3rd Quarter (31st Dec.)	4th Quarter (31st March)	TOTAL
XI	<u>Salary of Teachers Sanctioned in Pre-Year</u>					
1	Salary of Teachers PS				0.00	0.00
2	Salary of Teachers UPS				0.00	0.00
3	Salary of Additional Teachers PS				0.00	0.00
4	Salary of Additional Teachers UPS				2220.00	2220.00
5	Salary of Para Teachers				0.00	0.00
6	Any Other				0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	2220.00	2220.00
XII	<u>Teacher Training</u>					
1	Induction Training (30 days)				0.00	0.00
2	10 Days In-service Course				1223.60	1223.60
3	10 Days Orientation For freshly Trd. Recruit UPS				0.00	0.00
4	15 Days Recurring For Untrained Teachers				0.00	0.00
5	Any Other				0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	1223.60	1223.60
XIII	<u>Strengthening Of VEC</u>					
1	1 VEC Training					0.00
2	2 SMC Training					0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XIV	<u>BRG (Administrative)</u>					
1	Salary of Co-ordinator				0.00	0.00
2	Salary of Co Co-ordinator				0.00	0.00
3	Equipment & Furniture/fiture & Equipment				0.00	0.00
4	Travelling Allowance & Meetings				9.00	9.00
5	Maintinance of Equipment				0.00	0.00
6	Maintinance of Building				0.00	0.00
7	TLM Grant				0.00	0.00
8	Contigency				67.50	67.50
9	Any Other				0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	76.50	0.00	76.50
XV	<u>CRC (Administrative)</u>					
1	Salary of Co-ordinator				1056.00	1056.00
2	Equipment & Furniture/fiture & Equipment				220.00	220.00
3	Travelling Allowance & Meetings				83.20	83.20
4	Maintinance of Equipment				0.00	0.00
5	Maintinance of Building				0.00	0.00
6	TLM Grant				98.00	98.00
7	Contigency				169.00	169.00
8	Any Other				0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	1406.20	1276.00	2682.20

S.S.A A.W.P.B.T.G. Exp. Pl.

S.N.	Category	1st Quarter (30th June)	2nd Quarter (30th Sept.)	3rd Quarter (31st Dec.)	4th Quarter (31st March)	TOTAL
XVI	Research, Monitoring & Evaluation					
1	PS					0.00
2	UPS		361.20		361.20	722.40
	TOTAL	0.00	361.20	0.00	361.20	722.40
XVII	Management	227.00	227.00	227.00	227.00	908.00
	TOTAL	227.00	601.50	227.00	601.50	908.00
XVIII	NPEGEL		4000.00			8574.00
	TOTAL	0.00	4000.00	0.00	0.00	8574.00
	Grand Total	2891.00	18829.30	13942.70	23409.30	62900.30

S.S.A. A.W.P.B. T.G. Exp. Pl.

S.S.A. Tehri Garhwal
Annual Work Plan & Budget 2004-2005
Abstract Of AWP&B Proposals 2003 - 2004

SN	Particulars	RS in Thousand
A	EFC Approved Project Cost	464300.000
B	Proposed revised Cost	464300.000
C	cumulative Ant. Expenditure	
	Amount till March 2004	47152.497
D	As % of A	10.156
E	Average Expenditure per year	
F	Approved AWP&B 2003-2004	76532.340
G	Expenditure 2003-2004	41659.727
H	Anticipated Amount saved 2003-2004	34872.613
I	Spill Over 2004-2005	6745.000
J	Fresh Proposal For 2004-2005	56155.300
K	Total AWP&B 2004-2005	62900.300
L	Total AWP&B 2004-2005 as % of av. Yearly Exp.(K% of Col E)	
M	Total AWP&B 2004-2005 as % of (Proposed revised) EFC Cost	13.547

Statement Of Civil Works Cost 2004 - 2005

SN	Particulars	Amount
A	EFC Approved Project Cost	464300.000
B	Proposed revised Cost	
C	33.33% of revised Cost	153219.000
D	Civil work cost proposed by State	
E	Cumulative Expenditure till March 2004	25605.000
	Allocation made for 2004-2005	
F	Fresh Plan	12600.000
G	Anticipated Spill over	3695.000
H	Total	16295.000
I	Expenditure till March 2005(S.O.+F.P.)	41900.000

Statement Of Management Cost 2004 - 2005

SN	Particulars	Amount
A	EFC Approved Project Cost	464300.000
B	Proposed revised Cost	464300.000
C	6% of revised Cost	27858.000
D	Management cost proposed by State	
E	Cumulative Expenditure till March 2004	285.460
	Allocation made for 2004 - 2005	
F	Fresh Plan	908.000
G	Anticipated Spill over	0.000
H	Total	908.000
I	Expenditure till March 2005(S.O.+F.P.)	1193.460

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
DISTRICT - TEHRI GARHWAL
Procurement Plan

Rs. In Thousand

Cat.	Type of Procurement	Unit	Unit Cost	Total Cost	Procurement Procedure	Procurement Agency	Time Schedule
C. Work	New Upper Primary School	18	600.00	10800.00	Comm. Participation	V.E.C	Mar-05
„	Re-Construction UPS	4	400.00	1600.00	Comm. Participation	V.E.C	Dec. 2004
„	Toilets UPS	3	15.00	45.00	Comm. Participation	V.E.C	Dec. 2004
„	B. Wall UPS	5	50.00	250.00	Comm. Participation	V.E.C	Dec. 2004
„	Construction of CRC	8	450.00	3600.00	Comm. Participation	V.E.C	Dec. 2004 & March 2005
TLE	TLE UPS (not Covered Under OBB)	20	50.00	1000.00	National Shopping	V.E.C	Mar-05
„	TLE New UPS	37	50.00	1850.00	National Shopping	V.E.C	Jul-04
SG	School Improvement Grants UPS	479	2.00	958.00		V.E.C	Dec. 2004
SMG	School Improvement Grants UPS	29	5.00	145.00	Comm. Participation	V.E.C	Mar-05
TG	Teacher Grant (TLM)UPS	1748	0.50	874.00	National Shopping	S. Teacher	Dec. 2004
FTB	F.T. Books to SC/ST children & Girls UPS	25216	0.15	3782.40		DPO	Sep-05
IA (GE)	Computer Education	1	1500.00	1500.00	National Shopping	DPO	Mar-05
CRC	Equipment & Furniture/fiture & Equipment	22	10.00	220.00	National Shopping	V.E.C	Mar-05
NPTEL	Civil Work	24	200.00	4800.00	Comm. Participation	V.E.C	Mar-05
„	Additional facilities in MCS	30	30.00	900.00	National Shopping	V.E.C	Mar-05

पैरा टीचर्स / आचार्य पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि – 15 दिन (आवासीय),

प्रशिक्षण स्थल – डायट।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 50.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	750.00
2	आवासीय व्यवस्था (जल विद्युत एवं अन्य)	रु0 25.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	25.00
3	लेखन सामग्री	रु0 100.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	100.00
4	प्रशिक्षण साहित्य	रु0 100.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	100.00
5	आकर्षिक व्यय	रु0 25.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	25.00
एक पैरा टीचर / आचार्य के एक माह के प्रशिक्षण हेतु			1000.00

आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि – 7 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल – डायट,

प्रतिभागियों की संख्या – 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14700.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	7000.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेय	रु0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	2100.00
4	प्रशिक्षण सामग्री (किट)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी एकबार	7000.00
5	आकर्षिक व्यय		800.00
6	भ्रमण कार्यक्रम		2000.00
कुल लागत 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण हेतु (इकाई लागत एक कार्यकर्त्री के प्रशिक्षण हेतु – 1050.00)			33600.00

सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु रांदर्भ व्यक्तियों (टी0ओ0टी0) का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि – 10 दिन (आवासीय)।

प्रशिक्षण स्थल – डायट।

प्रतिभागियों की संख्या – 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	21000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामाग्री)	रु0 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	आकर्षिक व्यय		2000.00
कुल लागत एक बैच टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण हेतु			31750.00

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण अवधि – 10 दिन (गैर आवासीय)।
प्रशिक्षण स्थल– बी0आर0सी0।
प्रतिभागियों की संख्या– 35 (3 प्रशिक्षकों सहित)

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	14000.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु0 50.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1750.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
4	आकर्षिक व्यय		1750.00
कुल इकाई लागत (एक अध्यापक प्रशिक्षण हेतु रु0 70.00 प्रति दिन)			24500.00

निर्माण कार्यशाला
अवधि – 1 दिन, कार्यशाला स्थल– डी0पी0ओ0,
प्रतिभागियों की संख्या – 50.

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय	रु0 20.00 प्रति प्रतिभागी	1000.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 100.00 प्रति प्रशिक्षक	5000.00
3	आकर्षिक व्यय	रु0 25.00 प्रति प्रतिभागी	1250.00
कुल लागत एक निर्माण कार्यशाला हेतु			7250.00

बालिका शिक्षा संवेदाकरण के प्रशिक्षण हेतु टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण
प्रशिक्षण अवधि – 2 दिन (आवासीय)।
प्रशिक्षण स्थल– डायट,
प्रतिभागियों की संख्या – 35 (3 प्रशिक्षकों सहित).

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4200.00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7000.00
3	प्रशिक्षकों का मानदेन	रु0 100.00 प्रति प्रशिक्षक प्रतिदिन	600.00
4	आकर्षिक व्यय एवं प्रशिक्षण सामग्री		1200.00
कुल लागत एक बैच टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण हेतु			13000.00

मां-बेटी मेला
ग्राम सभा स्तर

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	प्रदर्शन एवं साज सज्जा		1000.00
2	वाहन पर व्यय		500.00
3	पुरस्कार आदि		800.00
4	जलपान पर व्यय		1000.00
5	आकर्षिक व्यय (बैनर / पोस्टर)		500.00
कुल लागत एक मां-बेटी मेला हेतु			3800.00

ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला (बालिका शिक्षा)
 कार्यशाला अवधि— एक दिवसीय।
 कार्यशाला स्थल— एन०पी०आर०सी०

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	टेन्ट आदि की व्यवस्था		1000.00
2	पुरस्कार आदि		800.00
3	जलपान पर व्यय		700.00
4	आकर्सिक व्यय		600.00
5	माइक व्यवस्था		200.00
6	वाहन पर व्यय		500.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			3800.00

बालिका / रामेकिंता—शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों की कार्यशाला
 अवधि — 3 दिन (गैरआवासीय)।
 कार्यशाला स्थल— बी०आर०सी०
 प्रतिभागियों की संख्या — 35 से 40

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4800.00
2	प्रशिक्षण सामग्री	रु० 25.00प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1000.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 50.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	2000.00
4	आकर्सिक व्यय		600.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			8400.00

बी०आर०सी० व एन०पी०आर० समन्वयक, ए०बी०एस०ए० / एस०डी०आई०,
 डायट एवं परियोजना अभिकर्मियों की पुर्नभिमुखीकरण कार्यशाला
 अवधि — 3 दिन (आवासीय)।
 कार्यशाला स्थल— डायट,
 प्रतिभागियों की संख्या— 38 (3 प्रशिक्षकों सहित)।

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	6840.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु० 50.00प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1900.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	7600.00
4	आकर्सिक व्यय		1660.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			16390.00

बाल—मेला

न्यायपंचायत रत्तर

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जलपान पर व्यय		500.00
2	आकर्सिक व्यय (बैनर / पोर्टर एवं पुरस्कार)		500.00
कुल लागत एक बाल—मेला हेतु			1000.00

समेकित शिक्षा की दो दिवसीय कार्यशाला

अवधि – 2 दिन (आवासीय)।

कार्यशाला स्थल— बी0आर0सी0 एवं डी0पी0ओ0

प्रतिभागियों की संख्या – 35 से 40

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4800.00
2	प्रशिक्षण सामग्री	रु0 100.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	4000.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	8000.00
4	आकर्षिक व्यय (गृनी विश्राम हेतु)		1200.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			18000.00

जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला

अवधि – 1 दिन (गैर आवासीय)।

कार्यशाला स्थल— डायट / डी0पी0ओ0

प्रतिभागियों की संख्या – 35 से 40

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 40.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	1600.00
2	प्रशिक्षण सामग्री	रु0 25.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	1000.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 150.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	6000.00
4	आकर्षिक व्यय		1400.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			10000.00

ब्लाक स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला

अवधि – 1 दिन (गैर आवासीय)।

कार्यशाला स्थल— डायट / डी0पी0ओ0

प्रतिभागियों की संख्या – 35 से 40

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	भोजन / जलपान पर व्यय	रु0 40.00 प्रति प्रतिभागी	1200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन सामग्री)	रु0 25.00 प्रति प्रतिभागी	1000.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु0 100.00 प्रति प्रतिभागी	3000.00
4	आकर्षिक व्यय		800.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			6000.00

टी0एल0एम0 मेला

अवधि – 1 दिन (गैर आवासीय)।

कार्यशाला स्थल— बी0आर0सी0

प्रतिभागियों की संख्या – 45 से 50

क्र0	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान	20.00X50	1000-00
2	यात्रा भत्ता (औसत)		3500-00
3	पुरुष्कार	100.00X5X3	1500-00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			5000.00

टी०एल०एम० मेला
अवधि – 1 दिन (गैर आवासीय)।
कार्यशाला स्थल– डायट / डी०पी०ओ०
प्रतिभागियों की संख्या – 45 से 50

क्र०	मद	दर	कुल व्यय
1	जल-पान	40.00X50	2000-00
2	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	10000-00
3	पुरुष्कार	200.00X5X3	3000-00
4	आकर्षिक व्यय		1000-00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			16000.00

कम्प्यूटर प्रशिक्षण (बांशिका)
अवधि – 10 दिन (आवासीय)।
कार्यशाला स्थल– डायट / डी०पी०ओ०
प्रतिभागियों की संख्या – 5 + 2

➤	■■■	■■■	■■■
1	भोजन/जलपान पर व्यय	रु० 60.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन	4200.00
2	प्रशिक्षण सामग्री (लेखन-सामग्री)	रु० 100.00 प्रति प्रतिभागी (एक बार)	700.00
3	यात्रा भत्ता (औसत)	रु० 200.00 प्रति प्रतिभागी (एकबार)	1400.00
4	दो संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	रु० 200.00 प्रति संदर्भदाता प्रतिदिन	4000.00
5	आकर्षिक व्यय		1700.00
कुल लागत एक कार्यशाला हेतु			12000.00